



सत्यमेव जयते

**पांचवीं
पंच वर्षीय
योजना
1974-79**

**भारत सरकार
योजना आयोग**

प्रावक्तव्यन*

लगभग तीन वर्ष बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हो रही है। इन वर्षों में राष्ट्र को अनेक गम्भीर राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज हम यहां पांचवीं योजना के अन्तिम रूप का अनुमोदन करने के लिए एकत्र हुए हैं, यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि हम चुनौतियों का ठीक प्रकार से सामना कर पाये हैं और अपने काम में सफल रहे हैं।

दुर्भाग्यवश, पांचवीं योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इतने ज्यादा उतार-चढ़ाव आए कि उनसे विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देश अत्यधिक प्रभावित हुए। विश्व भर के अर्थ-शास्त्रियों और राजनीतिक नेताओं को 1930-40 के बीच के दशक की आर्थिक संकट की याद आने लगी। पांचवीं योजना के प्रारूप को जिन सम्भावनाओं के आधार पर तैयार किया गया था उनको खाद्यान्नों, उर्वरकों और तेल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि ने बेकार कर दिया। इन घटनाओं के कारण खाद्यान्न और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी यह आवश्यक हो गया कि कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करना प्रमुख काम हो गया और सभी अन्य उद्देश्य गोण हो गए। 1974-75 के मध्य में हमने मुद्रास्फीति/निरोधी कार्यक्रम तैयार किया जिससे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अनेक निर्णय करने पड़े। मुद्रास्फीति पर काबू पाने में हमें जो सफलता मिली उस की ओर सारे विश्व का ध्यान गया है।

उत्पादन बढ़ाने और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति में हमारी योजना के जो तत्व सहायक हैं उनकी ओर ध्यान दिलाने के लिए पिछले वर्ष नया आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। आर्थिक अपराधों के खिलाफ आरम्भ किए गए अभियान और राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के कारण अनुशासन और कुशलता का जो सामान्य वातावरण बना उससे आर्थिक कार्यों के निष्पादन पर उल्लेखनीय और सर्वतोमुखी सुधार करने में सहायता मिली। इससे प्राप्त परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन का पिछला सारा रिकार्ड टूट गया और 1180 लाख टन से अधिक उत्पादन हुआ। देश के लगभग सभी भागों ने इस वृद्धि में अपना योगदान दिया और कृषि समुदाय के सभी भाग इससे लाभान्वित हुए हैं। विद्युत् संयंत्रों के कार्यसंचालन और कोयला, इस्पात और उर्वरकों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में हमें कमी के बजाय बेशी की समस्या का सामना करना पड़ा। तेल

*प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में दिनांक 24 सितम्बर, 1976 को जो भाषण दिया, उसे प्रावक्तव्यन के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।

के सम्बन्ध में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली। बम्बई हाई की तेल-क्षमता की पूरी जानकारी मिल गई है और वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है। हमारे प्रौद्योगिकीविदों का इस सफलता पर गौरव का अनुभव करना उपयुक्त ही है। आन्तरिक मुद्रा-स्फीति पर काढ़ पाना और सुस्पष्ट नियंत्रित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हमें अपने नियंत्रित में वर्ष 1975-76 में 18 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने में सहायता मिली। यह उपलब्ध ऐसे समय में हुई जब कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा सामान्य रूप से घट रही थी। नियंत्रित से अधिक आमदानी होने और विदेशों से देश में आने वाले धन में काफी वृद्धि होने के कारण हमारे विदेशी मुद्रा कोष में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इन उत्साहबर्धक प्रवृत्तियों के कारण हम पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में समर्थ हुए हैं। विकास कार्यक्रमों के निरूपण और कार्यान्वयन के काम में अब कुछ अधिक समय लग सकता है। इस सुसंगत और सम्भाव्य योजना को तैयार करने में उपाध्यक्ष महोदय तथा उनके सहयोगियों ने कठोर परिश्रम किया है। संक्षेप में, इस योजना में उस कमी को पूरा करने का यथासम्भव प्रयत्न किया गया है जो योजना के प्रथम वर्ष में गतिहीनता के कारण पैदा हुई थी।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अनिश्चित आरम्भ के बाद भी हम योजना को अन्तिम रूप दे पाए हैं। परन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम योजना अवकाश पर थे। योजना में शामिल अधिकांश स्कीमों पर कार्य आरम्भ हो गया है। हम खासकर कुणि, सिचाई और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। योजना आयोग ने हमारे सामने अब जो दस्तावेज रखा है वह एक अर्थ में योजना का मध्यावधि मूल्यांकन है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति का विश्लेषण करने और वर्तमान कार्यक्रमों के लिए योजना के बाकी दो वर्षों में पर्याप्त धन आवंटित करने के लिए भी योजना आयोग ने इस अवसर का उपयोग किया। इसके साथ-साथ, दीर्घकालीन सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नये शुरू किए जाने वाले कामों और काफी समय में पूरी होने वाली कुछ परियोजनाओं के लिए भी समुचित प्रावधान किया गया है।

हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि चाहे कितनी ही बड़ी योजना क्यों न बना ली जाए वह हमेशा हमारी आशाओं से कम रहेगी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और सरकारी क्षेत्र अपने कार्यक्रमों के लिए अधिक धन क्यों चाहते हैं। पिछले दो दशकों में, हमने सिचाई, विद्युत् और औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में काफी दक्षता प्राप्त कर ली है। परन्तु इन क्षमताओं को आवश्यक वास्तविक और वित्तीय संसाधनों के बराबर बनाना सम्भव नहीं हो पाया है।

योजना जिस रूप में सामने आई है उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम सरकारी वित्त व्यवस्था में अत्यधिक अनुशासित रूप में काम करें। कराधान नियमों को ठीक प्रकार से लागू करना, ऋणों और दूसरी देयताओं की समय पर वसूली, सरकारी खर्च में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखने या दूसरी तरह होने वाली फिलूलखर्चों को रोकना, प्रौद्योगिकी और अर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ परियोजनाओं को चुनना और कार्यक्रमों का सूक्ष्म प्रबोधन और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबन्ध आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिनके बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। सरकारी उद्यमों का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इन पर लगाई गई राशि से समुचित

लाभ प्राप्त हो सके। विजली बोर्डों के कार्य सचालन में सुधार करने की भी काफी गुंजाइश है। ये धर्मर्थ संस्थाएं या कल्याण संगठन नहीं हैं। इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों को उन्हें प्राप्त लाभों के लिए उपयुक्त मूल्य अदा करना चाहिए।

आगामी दो वर्षों में हमें संसाधनों में काफी वृद्धि करनी होगी। योजना और उसके उद्देश्यों के प्रति हमारी जो निष्ठा है उससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।

पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने से हमारा नैतिक साहस बढ़ा है। इसमें विविध स्थानों पर ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनसे यह मालूम होता है कि देश पिछले दो सालों से जिन अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था उन पर काबू पा लिया गया है और देश अब विश्वास के साथ विकास की प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है। परन्तु अभी हमारी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। मुद्रा-स्कौति पर यद्यपि काबू पा लिया गया है परन्तु उसका पूर्णतः उन्मूलन नहीं हो पाया है। यदि थोड़ी भी ढील दी गई तो मुद्रा-स्कौति फिर से बढ़ जाएगी। मुद्रा का प्रसार काफी बड़ी दर से बढ़ रहा है जो चिन्तनीय है और उसको नियन्त्रित किया जाना चाहिए। यह तब तक सम्भव न हो पायेगा जब तक केन्द्र और राज्य अपने सभी खर्च के कार्यक्रमों में कठोर अनुशासन नहीं अपनाते। राज्यों को चाहिए कि वे यथा अनुमोदित योजना परिव्ययों के अन्दर ही काम करें और अधिविकर्ष (ओवर ड्रॉफ्ट) का तरीका न अपनाएं। यदि हमने मूल्य बढ़ने दिए तो योजना की वास्तविक उपलब्धियों में और कमी आ जाएगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी का उन्मूलन करना, योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं उन्हें मूल्य वृद्धि से बहुत आघात पहुंचेगा।

अनाज का समीकरण भण्डार (बफर स्टाक) काफी मात्रा में होने और अगली फसल के आसार अच्छे होने से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। हाल में मूल्यों का बढ़ने की ओर जो रुख चल रहा है उसे बदला जा सकता है।

आगामी बचत और विनियोजन की समस्या काफी समय से असाध्य बनी हुई है और आज भी वैसी ही है। इसलिए यदि देश को निरन्तर 5-6 प्रतिशत की दर से विकास करना है तो उसे विनियोजन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी। क्रियिक योजना दस्तावेजों से यही कठिन और मूल समस्या बराबर प्रकट होती रही है।

हमारा काम कुछ आसान हो सकता है यदि हम अपने देशवासियों को सीधी-सादी भाषा में यह समझा सकें कि योजना किस बारे में है, इसके लिए धन किस तरह इकट्ठा किया जाना है और अगर अर्थव्यवस्था आगे न बढ़ी तो उससे उनको, उनके परिवारों को और सारे देश को क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आयोजना का काम कुछ विशेषज्ञों तक सीमित रख कर गुप्त रूप से नहीं किया जा सकता। राज्य, जिला और स्थानीय सभी स्तरों पर सारी जनता को इस प्रक्रिया का भागीदार बनाना होगा।

योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनता की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों न इनमें जनता की रुचि बढ़ाई जाए जिससे गांवों में सड़कों के निर्माण, लघु सिंचाई कार्य, फार्म वन-उद्योग और इसी प्रकार के दूसरे कामों से इन कार्यक्रमों को नया बल प्रदान किया जा सके। अगर लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि योजना का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय देना है तो वे कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेने लगेंगे और अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे लोग जिस अधिक समानता की भावना को अपने मन की गहराइयों में संजोए हुए हैं उसकी कोई भी योजना अवहेलना

नहीं कर सकती। सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय सभी प्रकार की विषमताओं को घटाना हमारे विकासमान आयोजन का सर्वदा मुख्य उद्देश्य रहता चाहिए। हमारे आयोजन का निर्देश यह है कि कुछ समय के अन्दर सभी समुदायों और खासकर अनुसूचित जन जातियों, हरिजनों, पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए।

पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना अधिक सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का एक सुनिश्चित तरीका है। योजना आयोग के दस्तावेज में इस समस्या पर कुछ विचार किया गया है। आयोग ने जो अध्ययन किए हैं उनसे यह पता चलता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाकर तथा 20 सूखी कार्यक्रम की परिकल्पना के अनुसार सक्रिय रूप से भूमि सुधारों का आयोजन कर गांवों में बेरोजगारी की समस्या काफी कुछ सुलझाई जा सकती है। योजना आयोग के दस्तावेज में एक गंभीर निष्कर्ष यह है कि कुल बोये गए क्षेत्र के केवल 15 प्रतिशत क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति हेक्टर उत्पादन 1500 रुपये का होता है। कृषि उत्पादन में केवल हमारे 12 प्रतिशत जिले 5 प्रतिशत से अधिक विकास की दर प्राप्त कर सके। इस प्रकार सिंचाई, उच्चत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और भूमि सुधारों के माध्यम से विकास के लाभों के अधिक समान वितरण से कृषि उत्पादन बढ़ा कर अधिक रोजगार के अवसर सुलभ किए जा सकते हैं। रोजगार कार्यक्रम अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार होने पर वहाँ के लोगों को शहरों और कस्बों की ओर जाना बन्द हो जाएगा। इससे कुछ सीमा तक शहरों में बेरोजगारी की स्थिति भी काबू में आ जाएगी और नागरिक सेवाओं पर पड़ने वाला बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। हमें हथकरघा और दस्तकारी, दरी बुनाई, रेशम उद्योग आदि जैसे घरेलू उद्योगों पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। पिछले दो सालों में इन उद्योगों में रोजगार के अवसर बहुत घट गए हैं। इस प्रक्रिया को रोकना होगा। इन उद्योगों से सबधित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे देश में स्वरोजगार के अनेक अवसर हैं। गांव वालों को अनेक सेवाओं की आवश्यकता है और अनेक क्षेत्र इन सेवाओं के लिए दाम भी दे सकते हैं। कल्पनाशील स्थानीय आयोजन द्वारा इन कामों का निर्धारण किया जाना चाहिए, शिक्षित युवावर्ग को संगठित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और अन्य अभिकरणों से वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

कभी कभी यह भी कहा जाता है कि आयोजन के बारे में अब वह उत्साह और जोश नहीं है जो 1950 से 1960 के दशक में था। एक सिंचाई बांध या विजली घर पूरा होने या काम करने के समय की अपेक्षा बनते समय अधिक जागृति पैदा करता है। आयोजन राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके प्रति हमारी निष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती है। इसमें एक विरोधाभास यह है कि जो आयोजन के विरुद्ध थे वे अब इसके प्रति मौखिक सहानुभूति व्यक्त करने लगे हैं और जो आयोजन के समर्थक समझे जाते थे वे अब इसके निष्पादन के क्षिप्र पहलुओं के कटु आलोचक बन गए हैं। जब कभी कोई चीज जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है तो उसका संस्थान बन जाने का खतरा रहता ही है। नौकरशाही से भी हमारी योजनाओं को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। मैं यह अपने असैनिक (सिविल) कर्मचारियों की निन्दा में नहीं कह रही हूं। उनमें से अनेक आयोजन के निष्ठावान समर्थक हैं। मेरा नौकरशाही से मतलब है कि कूक कर पांव रखने की प्रवृत्ति, परिवर्तन से बचना और स्पष्ट विकल्पों को उपयोगों में लाने के प्रति अनिच्छा। विवेक जो करने को कहता है उनसे भी आगे काम करने का प्रयत्न करना आयोजन का मूलमंत्र है। यह वह स्थान है जहाँ पर निष्ठा और उद्यम की परख होती है।

मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने के लिए विज्ञान का उपयोग करने को आयोजन कहते हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय की स्थिति से तुलना करने पर उसके बाद विज्ञान का जो सुनियोजित विकास हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। जो अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं एक-एक कर अपनी रजत जयन्ती मना रहीं हैं, उनको देखने पर मैं उनकी प्रगति और विकास में उनके प्रत्यक्ष योगदान से अत्यन्त प्रभावित हुई हूँ। हमने विज्ञान और आत्मनिर्भरता प्राप्ति की दिशा में जो काम किए हैं उनकी अब संसार भर में चर्चा होने लगी है। परन्तु मैं देखती हूँ कि हममें कुछ आत्मसंतोष की भावना भी आने लगी है। आत्मनिर्भरता का यह अर्थ कभी नहीं है कि संतोष की वृत्ति अपना ली जाए। जब हम कार्य के नये-नये और अधिक आधुनिक आयामों में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को अभी काफी कुछ करना है। नामरिकों के कर्तव्यों की नई सूची के एक खंड में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत् प्रयास करने का उल्लेख है। जीवन के किसी क्षेत्र में उत्कर्ष का अनुसंधान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि विज्ञान के क्षेत्र में क्योंकि इससे प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम प्राप्त होता है।

विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके दीर्घकालीन प्रभावों पर गम्भीरता से विचार करें। हमें अपने इंजीनियरों और लोगों में प्रकृति के प्रति परम श्रद्धा और आदर की भावना जागृत करनी चाहिए। वनों को बिना समझें-बूझें न काटा जाए और हवा व जल को भी दृष्टि न किया जाए। प्रौद्योगिकी को प्राकृतिक शक्तियों के अनुरूप और सुसंगत कार्य करना चाहिए।

पिछले 25 वर्षों की अपेक्षा इस समय आयोजन की सफलता के लिए उत्तम अवसर है। यह अनुभव किया जाने लगा है कि हमारी सहिष्णुता को हमारी कमज़ोरी समझा गया और कुछ लोगों ने दण्ड के अभाव में इसका उपयोग राष्ट्रीय नीतियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया। उनका उद्देश्य अपने वर्गों का हित साधना या राजनीतिक लाभ उठाना था। जिन नये सूत्रों पर हाल में हमने बल दिया है वे राष्ट्रीय विकास के सामान्य कार्यक्रम के अंग हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस अनुशासन के नए वातावरण से लाभ उठाकर योजना को आगे बढ़ाएं।

योजना को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आखिरकार योजना, स्कीमों की सूचीमात्र नहीं होती और न वह सांख्यिकीय या गणितीय अधुनातम अभ्यास होती है। अनेक प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों से घिरे हुए जो लोग उनसे लस्त नहीं होते और उन पर काबू पाने के लिए साहसपूर्वक लड़ते हुए धीरे-धीरे लगातार वष प्रतिवर्ष आगे बढ़ते हुए अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते रहते हैं, यह उनकी प्रगति का घोषणापत्र है। कभी-कभी यह कार्यक्रम महवाकांक्षी प्रतीत हो सकता है और इससे कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं, परन्तु इससे भयभीत होकर गलती से भी इस प्रकार की तथाकथित 'वास्तविक' योजना की ओर नहीं मुड़ना चाहिए जिसमें विशेष प्रयत्न करने और बलिदान करने की आवश्यकता न पड़े। प्रगति तभी सम्भव है जब कि हम आखिरी दम तक अपने समस्त प्रयत्न और क्षमता उस पर लगा दें। वस्तुतः अनुभव हमें यह बताता है कि आखिरी दम तक काम करने से अधिक शक्ति, विश्वास और संतोष की प्राप्ति होती है।

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

1. आर्थिक स्थिति की समीक्षा	1
2. संभावनाएँ	5
3. विकास की दर और स्वरूप	22
4. वित्तीय संसाधन	29
1. सरकारी क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था	29
2. बचत और विनियोजन	39
3. भुगतान संतुलन	44
4. सामान्य	49
5. योजना परिव्यय और विकास कार्यक्रम	50
1. योजना परिव्यय	50
2. कृषि और सिंचाई	52
3. विद्युत्	57
4. उद्योग और खनिज	58
5. ग्रामीण तथा लघु उद्योग	65
6. परिवहन और संचार	67
7. शिक्षा	73
8. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण योजना और पोषाहार	76
9. शहरी विकास, आवास और जल पूर्ति	79
10. हस्तशिल्पी प्रशिक्षण और श्रमिक कल्याण	80
11. पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज कल्याण और पुनर्वास	81
12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	83
6. 1. विद्युत् और सिंचाई प्रणालियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् का प्रस्ताव	87
2. पांचवीं पचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् का प्रस्ताव	88
7. अनुलग्नक	89

अध्याय 1

आर्थिक स्थिति की समीक्षा

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1972-73 के मूल्यों और कराधान वर्ष 1973-74 के पूर्वार्द्ध की आर्थिक स्थिति के अनुसार तैयार किया गया था। इसके बाद दो प्रमुख घटनाएँ घटित हुईं। मुद्रास्फीति सितम्बर, 1974 तक निरन्तर जोर पकड़ती गई और आयातित तेल और अन्य सामग्री का मूल्य तेजी से बढ़ने के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हो गई।

1. 2. मुद्रा-स्फीति का प्रभाव सबसे पहले 1972-73 में दिखाई देने लगा और सितम्बर, 1974 तक निरन्तर अबाध गति से आगे बढ़ता रहा। इस अवधि में सूचकांक म 31.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगभग दो-तिहाई मूल्य वृद्धि खाद्य सामग्री और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य बढ़ने के कारण हुई। मूल्यों में समस्त वृद्धि का लगभग एक चौथाई भाग, मशीनरी, परिवहन उपस्कर और निर्मित सामान के मूल्य बढ़ने के कारण हुई। ये प्रभाव सबसे पहले 1972-73 में भयकर सूखा पड़ने के समय दिखाई देने लगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री, आवश्यक कच्चे माल और निवेशों की कमी हो गई। बिजली की कमी के साथ साथ आयातित निवेशों के अन्तराष्ट्रीय मूल्य बढ़ने और उनका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1973-74 में औद्योगिक उत्पादन स्थिर हो गया। आंशिक रूप से अधिक मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था करने और वाणिजिक क्षेत्र में बैंकों से अधिक ऋण मिलने से मुद्रा का प्रसार बहुत बढ़ गया और इससे मूल्य की स्थिति और भी खराब हो गई। इस प्रकार 1973-74 में मुद्रा के प्रसार में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1972-73 में 15.9 प्रतिशत वृद्धि के अलावा है। काले धन के साथ-साथ मुद्रा का प्रसार हुआ और इस प्रकार कमी की स्थिति में सट्टेबाजों और असामाजिक तत्वों ने अपने काम को बढ़ाने के लिए इस समय का लाभ उठाया। लागत और मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि होने से सुरक्षात्मक कार्रवाई के रूप में कुछ मश्होले सामान, जैसे इस्पात, कोयला, सीमेन्ट और अलूमिनियम के मूल्य भी बढ़ाने पड़े। चावल और गेहूं जैसे जरूरी अनाजों के वसूली व विक्री के मूल्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव रहन-सहन के स्तर पर ही नहीं पड़ा, बल्कि मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिला।

1. 3. भुगतान संतुलन की स्थिति भी काफी अस्त-व्यस्त रही। काफी मात्रा में अनाज और दूसरे प्रकार का खाने-पीने का सामान आयात करना पड़ा। तेल के मूल्यों में चौगुनी वृद्धि हुई और अनाज, उर्वरक, मशीनों व उपस्कर, अलौह धातुओं और अन्य प्रकार के आयातित सामान के मूल्य भी काफी बढ़ गए जिससे हमारे सारे संसाधन इन्हीं पर समाप्त हो गए। आयात की जाने वाली

तीन मुख्य चीजों अर्थात् खाद्य सामग्री, उर्वरक पैट्रोल व अन्य स्नेहक (पी० ओ० एल०) का आयात बिल 1974-75 में कुल आयात का 53.2 प्रतिशत था जबकि 1973-74 में 42.6 प्रतिशत और 1972-73 में 23 प्रतिशत था। इसरे शब्दों में इन चीजों का आयात बिल 1973-74 में 1260 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 1972-73 में यह 431 करोड़ रुपए था और 1974-75 में जाकर यह लगभग 2500 करोड़ रुपये हो गया। निस्सन्देह निर्यात किए जाने वाले सामान के मूल्य में भी वृद्धि हुई परन्तु भुगतान संतुलन की स्थिति निरन्तर घाटे की ही बनी रही। जो व्यापार का अन्तर 1972-73 में 103.4 करोड़ रुपए की वेशी का था, वह 1973-74 में जाकर 432 करोड़ रुपए और 1974-75 में जाकर 1190 करोड़ रुपए के घाटे का हो गया। इसका कारण 1973 से व्यापार में तेजी से कमी आने और ऊपर बढ़ाई गई कुछ चीजों का अधिक मात्रा में आयात करना था। भुगतान संतुलन की घाटे की पूर्ति के लिए 1974-75 में लगभग 485 करोड़ रुपए की तेल के लिए विशेष सुविधाओं समेत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण, लेकर की गई। इन गतिविधियों के साथ-साथ कई बाहरी देशों की स्थिति खराब हो गई और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति अस्थिर रही जिसका योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था।

1.4. अपरिहार्य रूप से, योजना के वित्तीय और वास्तविक आयाम और भुगतान संतुलन की स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई। लागत बढ़ने, सरकारी खर्च के लिए अधिक परिव्यय और विकासेतर खर्च पर योजना के सभी संसाधन समाप्त हो गए और परिव्याप्त वास्तविक विनियोजन का आकार कम होने के कारण कार्यक्रमों में फेर-बदल करना पड़ा। निजी क्षेत्र के विनियोजनों पर भी इस का प्रभाव पड़ा। देश और विदेश की स्थिति इतनी अस्त-व्यस्त होने से योजना को अन्तिम रूप देने का काम तब तक रोकना पड़ा जब तक स्थिति अधिक स्थिर न हो जाए।

1.5. योजना को अन्तिम रूप देने के काम को कुछ आगे बढ़ाने का अर्थ यह नहीं था कि योजना अवकाश किया गया था। इसका अर्थ विद्यमान परिस्थितियों में योजना परिव्ययों को पुनः क्रमबद्ध करना है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि आयोजन करते समय अर्थ-व्यवस्था के अल्पकालीन प्रबन्ध पर भी काफी ध्यान देना पड़ता है। देश में मुद्रा-स्फीति को रोकने और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अनुसार अर्थ-व्यवस्था को लाने के लिए तत्काल उपाय करने पड़े। योजना प्रारूप के उद्देश्यों के अनुसार निर्दिष्ट प्राथमिकताओं में भी आवश्यक प्राथमिकताएं निश्चित करनी पड़ीं। इस प्रकार विनियोजन आयोजन के खाद्य सामग्री और ऊर्जा अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गए। क्रमिक वार्षिक योजनाएं इन बातों को ध्यान में रख कर तैयार की गई।

1.6. वार्षिक योजना 1974-75 ऐसे समय पर तैयार की गई जब कि मुद्रास्फीति काफी ज्यादा थी। इसलिए यह मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को रोकने और खास कर मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने को ध्यान में रख कर तैयार की गई थी। योजना परिव्यय सामान्य स्तर पर बनाए रखे गए। फिर भी इस बात की सावधानी रखी गई थी कि सिंचाई और उर्वरक सहित कृषि, ऊर्जा (विद्युत, कोयला और तेल), इस्पात, अलोह धातुओं और कुछ आधारभूत उपभोक्ता सामग्री के उद्योगों से सम्बन्धित बल रही परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था की जाए। अप्रयुक्त क्षमताओं के भरपूर उपयोग पर बल दिया गया। समाज सेवाओं का प्रावधान कुछ कम कर दिया गया परन्तु उसका भी बुक्तिसंगत स्तर बनाए रखा गया।

1.7. इस वर्ष व्यापक कार्यनीति तैयार की गई और अनेक राजकोषीय, मुद्रा सम्बन्धी और प्रशासनिक उपाय शुरू किए गए। इसमें (केन्द्र और राज्य दोनों द्वारा) अतिरिक्त संसाधन

जुटाना, उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन, मुद्रा प्रसार को बढ़ाने से रोकना और समाज विरोधी तत्वों का उन्मूलन आदि आते हैं। कुछ अतिरिक्त आमदनियों को जब्त कर, लाभांश पर प्रतिबन्ध लगाकर और अधिक आमदनी वाले करदाताओं से अनिवार्य जमा केराकर बढ़ी हुई आय को विनियमित किया गया। मुख्य कृषि फसलों की वसूली के मूल्य बढ़ाने नहीं दिए गए। इन उपायों से मुद्रा प्रसार पर रोक लगी, मूल्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और आवश्यक सामान आसानी से मिलने लगा। मुद्रा-प्रसार में 1974-75 में केवल 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि पिछले वर्ष 15.4 प्रतिशत की हुई थी। सितम्बर, 1974 और मार्च, 1975 के अन्त तक थोक मूल्य सूचकांक में 7.1 प्रतिशत की कमी आई।

1.8. यद्यपि मुद्रास्फीति नियन्त्रित की गई, परन्तु अर्थ-व्यवस्था विभिन्न कंठिनाइयों में काम करती रही। 1974-75 में कृषि उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की कमी आई। औद्योगिक उत्पादन 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। यद्यपि समग्र विनियोजन (निवल) 1973-74 के 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 1974-75 में 14.8 प्रतिशत हो गया, परन्तु आन्तरिक बचत (निवल) की दर में मामूली वृद्धि हुई जो कि 1973-74 के 12.8 प्रतिशत से 1974-75 में 13.1 प्रतिशत हुई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हुई।

1.9. वर्ष 1974-75 के अन्त तक मूल्य में कुछ मात्रा में स्थिरता प्राप्त कर ली गई थी, इसलिए वार्षिक योजना 1975-76 में मूल्य स्थिरता की स्थिति में विकास का काम आरम्भ हो सका। कृषि, सिंचाई, विद्युत, कोयला, तेल और उर्वरक को प्राथमिकता दी जाती रही। शीघ्र प्रतिफल देने वाली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मज़दूरों के अनुशासित रहने और जमाखोरी तस्करी के विरुद्ध निरन्तर कार्रवाई करने से उपयुक्त बातावरण का निर्णय हुआ। अच्छी फसल ने इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता दी। वर्ष 1975-76 में राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 6 से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई—कृषि उत्पादन लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा और औद्योगिक उत्पादन 5.7 प्रतिशत। वर्ष 1975-76 में लगभग 130 लाख टन खाद्यान्न की उगाही की गई। इसके साथ-साथ खाद्यान्न आयात करने से बहुत बड़ा खाद्य भण्डार (170 लाख टन) बन गया। मार्च, 1975 के अन्त में थोक मूल्य सूचकांक 307.1 था, वह मार्च, 1976 के अन्त तक घटकर 283.0 रह गया। इस प्रकार लगभग 8 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 1975-76 के बजट वर्ष में 200 करोड़ रुपए की वेशी हुई, जब कि पहले इसमें 490 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया था। भुगतान संतुलन की स्थिति 1975-76 में भी चिन्ता का विषय बनो रही और व्यापार का अन्तर बहुत ज्यादा 1216 करोड़ रुपए का था। यह तब हुआ जब कि निर्णति को जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और आयातित वस्तुओं के मूल्यों में केवल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तस्करी और विदेशी मुद्रा में गैर-कानूनी काम को रोकने के लिए सब्त कार्रवाई करने के कारण निजी माध्यमों से काफी मात्रा में विदेशों से धन भारत आने लगा। इसके साथ कुल विदेशी सहायता की मात्रा में भी वृद्धि हुई, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष के अन्त तक विदेशी मुद्रा की जमा राशि 1885 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह केवल 969 करोड़ रुपए थी।

1.10. वर्ष 1975-76 में प्राप्त मूल्य-स्थिरता और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए 1976-77 में विनियोजन का अधिक सुस्पष्ट कार्यक्रम बनाया गया था। वार्षिक योजना 1976-77

के लिए 7852 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जो कि 1975-76 के मूल योजना आवंटन से 31.4 प्रतिशत अधिक है। नये आर्थिक कार्यक्रम और सामाजिक न्याय के विचार पर अब और अधिक ध्यान दिया जा सकता है। कृषि सहित सिन्हाई, ऊर्जा और सझोले सामान वाले अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें उन स्कीमों पर तो ध्यान दिया गया है ही जिन पर काम हो रहा है, साथ ही चयनात्मक आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नये काम शुरू करने की भी परिकल्पना की गई है। इस प्रकार की कार्य नीति के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने से अर्थ-व्यवस्था की विकास-क्षमता के अधिकतम होने की सम्भावना है।

1.11. इस प्रकार अब तक जो प्रयास किए गए हैं उनसे मुद्रास्फीतिकारक प्रवृत्तियों को रोकने और आर्थिक स्थिति को आशावान मोड़ देने में सफलता मिली है। विकास प्रक्रिया में जिन बाधाओं ने पहले गम्भीर रुकावट पैदा कर रखी थी उनको काफी कुछ दूर कर दिया गया है। अब अधिक आर्थिक अनुशासन बरता जा रहा है और इस समय देश में नई गतिशीलता आ गई है। काफी मात्रा में मूल्य-स्थिरता प्राप्त की जा चुकी है और आशा है कि हाल में जो कारगार उपाय किए गए हैं उनसे हाल की मूल्य-वृद्धि पर काबू पा लिया जाएगा। सरकारी अभिकरणों के पास अनाज का काफी बड़ा भण्डार है और विदेशी मुद्रा की स्थिति भी संतोषप्रद है। कुछ सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली में भी स्थायित्व आ गया है। इसलिए पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग ने यह सबसे उत्तम अवसर समझा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी दो वर्षों के विकास कायक्रमों की बड़ी सावधानी से विस्तृत जांच की गई। इससे खास या प्राथमिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में लक्ष्यों और नीतियों का सुस्पष्ट अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किया जा सका है।

अध्याय 2

सम्भावनाएं

गरीबी हटाने और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इस अध्याय में विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने, आकार बताने, जिससे दीर्घकालीन विनियोजन का चयन करने में सहायता मिलेगी और उद्देश्यों की सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्य-नीति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कार्य-नीतियां तीन प्रधान क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, ऊर्जा और महत्वपूर्ण मध्यस्थीर्ण के उत्पादन और अतिरिक्त रोज़गार अवसरों के सूजन से सम्बन्धित हैं।

कृषि क्षेत्र

2.2. यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के कुल उत्पादन में 1960-61 के मूल्य स्तर पर 1961-62 से 1973-74 तक की अवधि में 2.7 प्रतिशत मिश्रित वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। सारणी-1 से यह पता चलता है कि इसी अवधि में अनाज के उत्पादन में 2.72 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

सारणी 1. 1961-62 से 1973-74 की अवधि में चूनीदा फसलों के उत्पादन की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर¹

फसल	वृद्धि दर (प्रतिशत)
(1)	(2)
1. चावल	2.08
2. गेहूं	8.85
3. उवार	(-) 0.87
4. बाजरा	4.39
5. मक्का	3.21
6. सभी अनाज	3.16
7. सभी दालें	(-) 0.51
8. सभी खाद्यान्न	2.72
9. गन्ना	2.37
10. कपास (फोहे)	1.17

(1)	(2)
11. जृट	(-) 0. 87
12. मेस्ता	(-) 3. 81
13. तिलहन (प्रमुख 5)	1. 26
14. सभी फसलें 2	2. 45

1. “विशिष्ट समय की मात्रा के संदर्भ में उत्पादन के आंकड़ों के अर्थ-लाग-समाश्रयण” से अनुमानित ।
2. कृषि उत्पादन के सूचकांकों पर आधारित ।

2. 3. 1970-71 के बाद से खाद्यान्नों का उत्पादन अनुमानित प्रवर्ति स्तर से न तो पूरे देश में और न ही किसी राज्य में लगातार कम रहा । इसलिए इस विचार की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि आठवें दशक के आरम्भिक वर्षों में खाद्यान्न अर्थनीति निष्क्रिय रही ।

2. 4. उत्पादन वृद्धि और निवेश वृद्धि के स्वरूप के अध्ययनों से यह पता चलता है कि देश के कुछ भागों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि बुनियादी तौर से सिंचाई और बहुफसल प्रणाली के विस्तार के कारण हुई है, तथा कुछ अन्य भागों में पानी, बीज और उर्वरक से सम्बन्धित तकनीकी के कारण हुई है । प्रत्येक जिले में स्थिति अलग-अलग है । सारणी-2 में 1970-71 से 1972-73 की तीन वर्षों की अवधि में हुए कृषि विकास के स्तरों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । यह विश्लेषण जिला स्तर के प्रति हैक्टर उत्पादन के कुल मूल्य, और कुल फसल क्षेत्र, उर्वरकों का उपयोग, ट्रैक्टर का प्रयोग, पम्प सैट लगाने और कुल सिंचित क्षेत्र जैसे निवेश सूचकों के आंकड़ों पर आधारित है । आठवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों में केवल 15 प्रतिशत कुल फसल क्षेत्र में फसल उत्पादन का प्रति हैक्टर कुल मूल्य लगभग 1500 रुपया वार्षिक था । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का यह सापेक्ष उन्नत अंश सम्पूर्ण उत्पादन का 27.84 प्रतिशत और उर्वरक और पम्प सैट जैसे प्रमुख निवेश मदों का लगभग 40 प्रतिशत था । दूसरी ओर, कुल फसल क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत भाग में फसल उत्पादन का सकल मूल्य 1000 रुपए प्रति हैक्टर था । और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निवेश का लगभग एक-तिहाई भाग लगा हुआ था । सारणी-3 से यह ज्ञात होता है कि भारत के लगभग 12 प्रतिशत जिलों में जिनके अन्तर्गत कुल फसल क्षेत्र का लगभग 14 प्रतिशत क्षेत्र था और जिनमें महत्वपूर्ण निवेश मदों का 20 प्रतिशत लगाया गया था, 1962-63, 1964-65 से 1970-71, 1972-73 के तीन वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि की मिश्रित वार्षिक दर 5 प्रतिशत से भी अधिक प्राप्त हुई है । जिन लगभग 30 प्रतिशत जिलों के अन्तर्गत लगभग इतना ही कुल फसल क्षेत्र है किन्तु निवेश की मात्रा इससे कुछ अधिक है, उनमें कृषि उत्पादन में वृद्धि की मिश्रित वार्षिक दर 3 प्रतिशत से अधिक रही है । जिन अन्य जिलों के अन्तर्गत कुल फसल क्षेत्र का 30.98 प्रतिशत भाग है, उनमें वृद्धि की मिश्रित वार्षिक दर 1 से 2.99 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है । इस वर्ग के जिले माडल वर्ग के अनुरूप हैं और इन जिलों में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत औसत उत्पादन भी कम होता है । शेष जिलों में उत्पादन में वृद्धि की मात्रा प्रति मिश्रित वर्ष में 1 प्रतिशत से भी कम रही । भविष्य में कार्य-नीति बनाते समय इन वातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

सारणी-2 1970-71 से 1972-73 के तीन वर्षों में भारत में जिला स्तर पर कृषि विकास के स्तरों की संक्षिप्त रूप रेखा

जोड़ का आवर्ती प्रतिशत							
प्रति हैक्टर उत्पादन	का सकल मूल्य (अधिक भारतीय मूल्यों में रूपए)	कुल फसल क्षेत्र	सम्पूर्ण उत्पादन	एन०पी० के० का उपयोग	ट्रैक्टरों का प्रयोग	पम्प सेट लगाए	सकल सिचित क्षेत्र भारत में जिलों की संख्या (प्रतिशत)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. 2500-2799	0.70	1.83	2.37	5.39	0.83	2.22	1.06
2. 2000-2499	3.04	7.18	10.60	12.89	7.82	8.27	3.56
3. 1500-1999	14.48	27.84	38.93	46.81	40.68	34.08	17.73
4. 1000-1499	40.30	59.46	67.24	69.90	63.40	64.25	42.91
5. 500-999	83.96	94.20	93.79	95.88	91.56	95.75	87.94
6. 54-499	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : क्षेत्रीय विकास केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भावी योजना प्रभाग, योजना आयोग, भारत में कृषि विकास के क्षेत्रीय स्तरों से संबंधित परियोजना/19 प्रमुख फसलों का विश्लेषण किया गया।

सारणी-3. 1962-63/64-65 से 1970-71/72-73 तक प्रत्येक तीन वर्षों में भारत में जिला स्तर पर कृषि विकास में उन्नति की संक्षिप्त रूप रेखा

1070-71/1972-73 में जोड़ का आवर्ती प्रतिशत							
उत्पादन के सकल मूल्य में मिश्रित वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)*	कुल फसल क्षेत्र	सम्पूर्ण उत्पादन	एन०पी० के० का उपयोग	ट्रैक्टरों का प्रयोग	पम्पसेट लगाए	कुल सिचित क्षेत्र	भारत में जिलों की संख्या (प्रतिशत)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. 11.00-11.35	0.62	0.15	0.02	0.84	0.08	0.09	0.36
2. 9.00-10.99	1.38	0.98	1.22	2.89	1.26	1.19	1.42
3. 7.00- 8.99	7.93	9.97	14.13	32.47	12.47	16.28	6.38
4. 5.00- 6.99	13.89	17.03	20.81	46.46	20.13	24.37	12.41
5. 3.00- 4.99	29.60	36.13	38.99	67.72	34.68	45.53	29.08
6. 1.00- 2.99	60.58	67.75	66.24	83.74	66.63	71.90	62.41
7. 0.00- 0.99	73.09	80.98	81.92	90.74	80.69	83.81	75.18
8. नकारात्मक	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*वृद्धि दर की गणना 1970-71 से 1972-73 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक फसल के अधिक भारतीय मूल्यों के औसत के आधार पर 1962-63 से 1964-65 और 1970-71 से 1972-73 में हुए उत्पादन का गूल्य ज्ञात करके की गई है।

स्रोत : क्षेत्रीय विकास केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भावी योजना प्रभाग, योजना आयोग, भारत में कृषि विकास के स्तर से संबंधित परियोजना।

2.5. कृषि क्षेत्र की दीर्घकालीन योजना की कार्य-नीति में समस्या प्रधान क्षेत्रों और समाज के निर्बल वर्गों की विशेष आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ भूमिगत और भूतल जल का सर्वेक्षण और खोज, कृषि कार्यों में नई तकनीकी जानकारी का अधिक उपयोग, यन्त्रीकरण का विस्तार और निवेश की पूर्ति करने से सम्बद्धित कार्यक्रम शामिल है।

2.6. 1961-62 से 1972-73 तक की अवधि में कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि की दर 0.54 प्रतिशत प्रति मिश्रित वर्ष होने का अनुमान है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कुल सिंचित क्षेत्र में बहु-फसल की लोच के आधार पर 1970-71 से सन् 2000 तक कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि की दर 0.66 प्रतिशत प्रति मिश्रित वर्ष होने का अनुमान लगाया है। पूरे देश में कुल सिंचित क्षेत्र से कुल फसल क्षेत्र की लोच 0.20 रहने का अनुमान है। पांचवीं योजना की अवधि में सिंचित क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि सुगमतापूर्वक 4 प्रतिशत की दर से प्राप्त की जा सकती है। आगामी योजनावधियों में इस वृद्धि दर को और बढ़ाने की आवश्यकता होगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में, परिमित आधार पर, कुल फसल क्षेत्र में 0.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि सुगमतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है और आगामी योजना की अवधि में लगभग 0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर रखी जा सकती है।

2.7. 1961-62 और 1972-73 के मध्य खाद्यान्नों के कुल फसल क्षेत्र में 0.49 प्रति मिश्रित वर्ष होने का अनुमान है। पांचवीं योजना की अवधि में विकास दर 0.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने की सम्भावना है। बाद की योजनावधियों में खाद्यान्नेतर फसल में रुचि लेने की प्रवृत्ति बनी रहने की संभावना है। जहां तक केवल अन्न फसलों का सम्बन्ध है, धान की फसल का सिंचित क्षेत्र गेहूं की फसल के सिंचित क्षेत्र की तुलना में अधिक रहने की सम्भावना है। हाल ही में किए गए एक मूल्यांकन में भी यह सुझाव दिया गया है कि पांचवीं योजना की अवधि में धान की अधिक उपज देने वाली किस्म के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हो जाएगा किन्तु इसी अवधि में गेहूं की फसल के सिंचित क्षेत्र में पूर्णतः अधिक देने वाली किस्में उगाई जाने लगेगी। ज्वार और कुछ दूसरे अनाजों की किस्मों से काफी उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं बशर्ते कि कीटाणुओं पर नियन्त्रण किया जा सके। योजना आयोग द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि अगले दशक के अन्त तक खाद्यान्नों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत वृद्धि अवश्य होनी चाहिए।

2.8. खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिक उत्पादन के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्पादन में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होना। उत्पादन में वृद्धि निवेश के उपयोग को बढ़ाने से होती है। विभिन्न कृषि सम्बन्धी स्थितियों में प्रत्येक फसल के उत्पादन स्तर की संभावनाओं का बहुत कुछ परिमित अनुमान अब लगाया गया है। वैसे, तकनीकी अनुमानों और समरूप कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के अन्दर किए गए तुलनात्मक विश्लेषणों में यह सुझाव दिया गया है कि और अधिक उत्पादन हो सकता है।

2.9. अनुलग्नक 1 में उन क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति दिखाई गई है जिनमें व्यवस्थित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं। फिर भी अभी तक सर्वेक्षण योग्य 63 प्रतिशत क्षेत्र में खोज नहीं की जा सकी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र (पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त) मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में अंतराल अधिक स्पष्ट है। इनमें से कुछ क्षेत्र देश के सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में से हैं। सर्वेक्षण और अन्वेषण के और अधिक विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में फिलहाल भूमिगत जल की अधिकतम क्षमता को 350 लाख हैक्टर माना जा सकता है।

2. 10. पांचवीं योजना में देश के भूमिगत जल संसाधनों के व्यवस्थित मूल्यांकन के लिए धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। अधिक जानकारी प्राप्त होने पर छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि और उसके बाद व्यापक भूमि उपयोग योजना और भूतल और भूमिगत जल के उपयोग के लिए समन्वित योजना तैयार करना सम्भव हो सकेगा। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से इस प्रकार की योजना को स्थानीय और एकीकृत विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करना जरूरी है।

खाद्यान्न की मांग

2. 11. खाद्यान्न की मांग का अनुमान आय में वृद्धि और वितरण के पूर्वानुमानों पर निर्भर है। 1975-76 तक आय में वृद्धि के स्तर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में आय में 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष मिश्रित वृद्धि के लक्ष्य और खाद्यान्न की खरीद और प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय में हुई वृद्धि के अनुमानित परस्पर सम्बन्धों के आधार पर 1978-79 में खाद्यान्न की मांग 1276.90 लाख टन होने का अनुमान है। अभी छठी और सातवीं पंच-वर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न की मांग का अनुमान क्रमशः 1509.00 लाख टन और 1782.00 लाख टन लगाया गया है, बशर्ते कि उपभोक्ता व्यय की तुलना में खाद्यान्न मांग की लोच स्थिर रहे। ये अनुमान राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा लगाए गए 1985 में खाद्यान्न की आवश्यकता के अनुमानों की अधिकतम सीमा के विभिन्न-विधान और मात्रा के समनुरूप हैं। आयोग ने 1500 लाख टन से 1630 लाख टन का अनुमान लगाया है। किन्तु, यह भी सम्भव है कि आने वाले समय में खाद्यान्न की मांग में कुछ कमी आए, जिसका कारण यह है कि उच्चतर व्यय सीमा में, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय घरेलू उपभोग मदों पर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है कि विभिन्न व्यय वर्गों के परिवारों द्वारा खाद्यान्न खरीदने की आदतों में स्पष्ट अन्तर होता है। जैसे-जैसे जीवन-स्तर ऊँचा होता जाएगा वैसे-वैसे उपभोक्ता व्यय में विविधता आती जाएगी और खाद्यान्नेतर कृषि उत्पादनों की मांग बढ़ेगी। यदि 1983-84 में खाद्यान्न की मांग 180 कि० ग्रा० हो जाती है तो उस समय खाद्यान्न की कुल आवश्यकता 1435.00 लाख टन हो जाएगी। आगामी पांच वर्षों के बाद यदि प्रति व्यक्ति उपभोग 190 कि० ग्रा० माना जाए तो 1988-89 में यह मांग 1610 लाख टन हो जाएगी। वर्तमान संकेतों के अनुसार 1988-89 में खाद्यान्न की आवश्यकता 1610 लाख टन से 1700 लाख टन तक मान कर योजना बनाना दूरदर्शिता का काम होगा (प्रति व्यक्ति उपलब्धता 200 कि० ग्रा० मान कर) और इन्हीं अनुमानों पर छठी योजना में बने रहना होगा।

खाद्यान्नेतर फसलें

2. 12. यही कार्यनीति खाद्यान्नेतर फसलों पर भी लागू होती है, अर्थात् सिंचाई क्षेत्र का विस्तार और अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रसार। गन्ना और कपास की फसलों के लिए सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास जारी रहने की सम्भावना है। यह आशा है कि छठी योजना की अवधि के पूर्वार्ध में पूर्ति और मांग में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तिलहनों के सम्बन्ध में स्थिति कुछ अनिश्चित है जिसका कारण यह है कि सिंचाई के अन्तर्गत बहुत कम भाग है, इसलिए आयात की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। दृढ़तापूर्वक भूमि-संतुलन लागू करने के बाद भी वर्तमान अनुमानों के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में खाद्यान्नेतर फसलों में 3.94 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि होने का अनुमान है, जो सातवीं योजना की अवधि तक बढ़कर 4.96 प्रतिशत हो जाएगा। पशुपालन, मत्स्योद्योग और बनोद्योग क्षेत्रों में वृद्धि दर को शामिल

करने के बाद पांचवीं योजना की अवधि में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 3.94 प्रतिशत तथा छठी और सातवीं योजना की अवधियों में 4.30 प्रतिशत वृद्धि होगी।

उर्वरक

2.13. उर्वरक की मांग सिर्चाई की सुविधाओं में वृद्धि और नई तकनीक के प्रसार पर निर्भर है। 1978-79 में पोषक तत्वों की मांग 48 लाख टन और 1983-84 में 80 लाख टन होने का अनुमान है। उर्वरक की मांग को ध्यान में रखते हुए नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरकों पर उचित मात्रा में विनियोजन करने के निर्णय किए जा रहे हैं। किन्तु पूर्णतः असमुच्चयित आंकड़ों और उर्वरक के प्रयोग तथा व्यवहार से संबंधित प्रतिक्रिया के अभाव के कारण मांग के अनुमान कुछ सीमा तक अनिश्चित हैं। इसलिए यदि मांग में वृद्धि हुई तो उसे आयात के माध्यम से पूरा करना होगा। पोटास वाली उर्वरक की मांग ज्यादातर आयात से ही पूरी की जाएगी।

वनोद्योग

2.14. वनोद्योग क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हालांकि लगभग 23 प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है किन्तु निवल आंतरिक उत्पादन में वनों का अंशदान 1960-61 के मूल्य पर 1.4 प्रतिशत था। आगामी वर्षों में औद्योगिक किस्म की लकड़ी की मांग के लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के बराबर ही है। वनोद्योग क्षेत्र की प्रधान समस्याएं संगठन से संबंधित हैं। दृढ़ भूमि संतुलन बनाए रखने का विचार किया गया है, इसलिए वनों के विस्तार-कार्य को भूमि के उपयोग की योजना के साथ एकीकृत करना होगा। दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध वन-सम्पदा का अधिकतम उपयोग करने के लिए संचार व्यवस्था का विकास करना आवश्यक है।

ऊर्जा क्षेत्र

2.15. ऊर्जा की योजना से संबंधित विषय पर भलीभांति विचार किया गया है। पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों को अर्थ-व्यवस्था का आधार मानकर ज्यादा बल कोयले, बिजली और कच्चे तेल और जहां कहीं भी संभव हो आयातित ऊर्जा स्रोत के प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। ऊर्जा के इन तीन प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का 1973-74 में कृषि से इतर क्षेत्र के कुल मूल्य में 3.96 प्रतिशत अंश था। पांचवीं योजना की अवधि समाप्त होने तक यह अंश 5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है और छठी योजना की समाप्ति तक 5.56 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

2.16. कोयला क्षेत्र के 1978-79 में उत्पादन का संशोधित अनुमान 1240 लाख टन लगाया गया है जिसके 1983-84 में बढ़कर 1850 लाख टन हो जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में दीर्घकालिक वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष सातवीं योजना की अवधि में भी बनी रहने की संभावना है।

2.17. बिजली के उत्पादन के कार्यक्रम और पारेषण तथा वितरण में होने वाले नुकसान को रोकने का लक्ष्य 1978-79 में 9000 किलोवाट घण्टे की अनुमानित मांग को पूरा करना है।

बिजली की दरों को युक्तिसंगत करने से भी ऊर्जा का अनिवार्य स्थिति में ही प्रयोग करने की आदत बनेगी और फिजूल इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी। क्षेत्रीय विस्तार, अधिकतम मांग और पारेषण तथा वितरण-प्रणाली को युक्तिसंगत करने के कार्य को ध्यान में रखते हुए इस मांग को पूरा करने के लिए विनियोजिन योजना तैयार करने के निर्णय किए जाएंगे। सातवीं योजना तक विद्युत क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की दर 8.5 से 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष बनी रहने की संभावना है। वृद्धि दर में मंदी आने का कारण इस अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव के अनुरूप ही है कि उच्चतर आवृद्धीकरण स्तर पर आय में वृद्धि होने के साथ-साथ विद्युत् उपभोग का उतार-चढ़ाव कम हो जाता है।

2.18. 1960 से 1973 तक की अवधि में तेलशोधक कारखानों के उत्पादन तथा खपत में 8.5 प्रतिशत प्रति मिश्रित वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। तेल उत्पादनों के गैर-जल्हरी इस्तेमाल को रोकने के लिए किए गए उपयुक्त कर-संबंधी उपायों और नियन्त्रणों द्वारा 1972 की तुलना में 1974-75 में उपभोग घटा था और भविष्य की आवश्यकताओं को नियंत्रित कर दिया गया था। उर्वरक, परिवहन, सिचाई, उद्योग और घरेलू ईंधन जैसे मुख्य-मुख्य क्षेत्रों की जरूरतों को शामिल करके 1978-79 में पेट्रोलियम उत्पादनों की मांग 285 लाख टन होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ, खोज-कार्यों और परिष्करण कार्यों को बढ़ाने के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 141.8 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन होने लगेगा, जब कि योजना के प्रारूप में 120 लाख टन का लक्ष्य नियत किया गया था। पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कच्चे तेल के क्षेत्र में 14.68 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि 1983-84 तक उत्पादन का अस्थायी अनुमान 220 लाख टन लगाया गया है। 1978-79 तक देश की तेल शोधन क्षमता लगभग 315 लाख टन हो जाएगी। छठी योजना में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। आशा है कि 1980-81 के बाद कच्चा तेल आयात करने के अवाध स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.19. ईंधन नीति समिति ने अनुमान लगाया है कि सातवीं योजना तक आंतरिक क्षेत्र में अवाणिज्यिक ऊर्जा का अंश 1978-79 में 80 प्रतिशत से घट कर 60 प्रतिशत रह जाएगा। जंगलों से प्राप्त ईंधन की अनुमानित मात्रा 940 लाख टन है, जिसकी 1978-79 में मांग का अनुमान 1320 लाख टन और 1990-91 में 1220 लाख टन लगाया गया है। वनों के विकास और साफ्ट कोयले के प्रयोग से संबंधित समन्वित नीति को जारी रखना होगा।

पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों की दीर्घकालिक संभावनाएं

2.20. महत्वपूर्ण माध्यमों की योजना का संबंध पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों पर आधारित होना चाहिए क्योंकि पुनःउपयोग किए जा सकने वाले संसाधनों में भी पुनर्प्राप्ति का अनुपात इकाई से कम होता है। भूमि और समुद्र से प्राप्त होने वाले पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों के विकास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत वस्तुन्सूची तैयार करना;
- (ख) न्यूनतम समाजमूलक कीमतों पर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति;
- (न) राष्ट्र के पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जिसमें बरबादी की दर शून्य हो;
- (घ) तकनीकी, उत्पादन और संरक्षण के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना;

- (ङ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं का उपयोग—ये अन्य दीर्घकालिक योजना उद्देश्यों के अनुरूप हैं;
- (च) पुनः उपयोग की संभावनाओं का लाभ उठाना; और
- (छ) अनुसंधान और विकास कार्य करना।

2.21. वर्तमान आवौगीकरण की स्थिति में जी० डी० पी० ग्रा विनिर्माण गतिविधियों से संबंधित खनिज उपभोग की लोच से इकाई बढ़ती है। यह अनुभव अन्य देशों में आवौगीकरण की समान स्थिति में प्राप्त हुए ऐतिहासिक अनुभव के अनुरूप है।

2.22. अनुलग्नक 2 में भारत के भूवैज्ञानिक मानचित्र का विश्लेषण दिया गया है। भागीरथ प्रयासों के बाद भी देश में भौगोलिक क्षेत्र के केवल 46.14 प्रतिशत भाग का भूवैज्ञानिक मानचित्र 1 : 50000 के पैमाने में तैयार किया जा सका है। भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने के काम को भूमि प्रयोग और पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों के उपयोग की योजना के संयुक्त कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2.23. अनुलग्नक 3 में कुल भण्डार में से प्राप्त किए जा सकने वाले भण्डार का प्रतिशत बताया गया है। परिमित श्रेणी के भण्डार, जिनके संबंध में जानकारी विस्तृत अन्वेषणों से प्राप्त हुई है, भविष्य की दीर्घकालिक संसाधन योजना की जहरतों से कम है। सामरिक महत्व के खनिज, जैसे क्रायनाइट, बायराइट, क्रोमाइट आदि के भण्डारों में से अधिकांश का अभी केवल पता ही चल पाया है। जब तक इन खनिजों की विस्तार से खोज नहीं की जाती तब तक अब हो रहे खोज कार्य से अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों की खोज के कार्य की एक दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए, यह सम्भव है कि निजी पटेलारी इन भण्डारों को समाप्त करने की दर के संबंध में सामाजिक रूप से अवांछनीय निर्णय कर सकते हैं। इसलिए भविष्य की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

2.24. सारणी 4 में प्रमुख खनिजों की दीर्घकालीन उपलब्धता की संभावनाएं बताई गई हैं जो 1988-89 की निःशेषण दर पर ग्राहारित है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई खनिजों, जैसे क्रोमाइट, क्रायनाइट, बेराइट्स और मग्नीज के ज्ञात भण्डार सन् 2000 तक रिक्त हो जाएंगे। यह भी तब संभव है जब इनका जितना आयात अब किया जाता है उतना आयात किया जाता रहे और आंतरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाया जाए। यह गम्भीर प्रश्न है, विशेषरूप से इसलिए कि इन खनिजों के काफी भण्डार निजी पटेलारों के अधीन हैं। जहां तक तांबा और जस्ता जैसी महत्वपूर्ण अलौह धातुओं का संबंध है, जो ज्यादातर भारत द्वारा आयात किए जाते हैं, यदि इनके ज्ञात भण्डारों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कम से कम दर से निःशेष किया जाय तब भी वे अगले 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस स्थिति का असर आयात योजना और खोज कार्य दोनों पर पड़े। लौह अयस्क (हैमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के) और बाक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भण्डार आंतरिक मांग को पूरा करने और निर्यात करने के लिए अधिक पर्याप्त प्रतीत होते हैं। चूना पत्थर के भण्डार भी असीम मात्रा में हैं। किन्तु अभी तक इनके ग्रेड और किस्म के अनुसार वर्गीकरण की पूरी सूची तैयार नहीं की जा सकी है।

सारणी 4. 1988-89 के उपभोग स्तर के आधार पर ज्ञात भण्डारों का शेष जीवन

खनिज	1988-89 के उपभोग स्तर के आधार पर ज्ञात भण्डारों के शेष जीवन के वर्ष
(0)	(1)
1. कोर्किंग कोयला	44
2. कोर्किंग कोयले से भिन्न कोयला	
(क) आंतरिक	168
(ख) निर्यात	159
3. लोह अयस्क हैमटाइट	
(क) आंतरिक	165
(ख) निर्यात	62
4. लौह अयस्क मैग्नेटाइट	84
5. मैग्नीज अयस्क	
(क) आंतरिक	26
(ख) निर्यात	12
6. क्रौमाइट	
(क) आंतरिक	47
(ख) निर्यात	13
7. वाक्साइट	
(क) आंतरिक	66
(ख) निर्यात	45
8. जस्ता	
(क) आंतरिक	
(ख) आयात	11
9. तांबा	
(क) आंतरिक	
(ख) आयात	17
10. सीसा	
(क) आंतरिक	29
(ख) आयात	36
11. राक फास्फेट	
(क) आंतरिक	
(ख) आयात	12
12. चूना पत्थर	475

महत्वपूर्ण औद्योगिक सहायक

2.25. इस्पात की मांग के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि 1983-84 तक आंतरिक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं और कुछ अतिरिक्त उत्पादन भी हो सकता है। यह अनुमान इस संभावना पर आधारित है कि स्ट्रीम में विनियोजन और वर्तमान संयंत्रों की विस्तार संभावनाओं के कारण अतिरिक्त क्षमता संजित होने की आशा है। किन्तु सातवीं योजना की पूर्वावधि में तैयार इस्पात विशेषतः आकृति वाले उत्पादनों की अपेक्षित मात्रा में पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और

नए विनियोजन करने के संबंध में निर्णय करने होंगे। योजना प्रारूप में एल्यूमीनियम के उत्पादन का लक्ष्य 4 लाख टन रखा गया था, जिसके अब छठी योजना की अवधि के अंत तक पूरा होने की संभावना है। नवीन क्षमता सर्जित करने के संबंध में उससे पहले ही निर्णय करना होगा। सातवीं योजना की अवधि तक एल्यूमीनियम की मांग में 50 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बाक्साइट का खनन करने और ढलाई संयंत्र की सुविधाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में भी निर्णय किए जाने चाहिए।

जनसंख्यकीय रूपरेखा

2.26. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में छठी योजना की अवधि के अंत तक जन्मदर 25 प्रति हजार और जनसंख्या में वृद्धि की दर 1.4 करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अन्तर्गत कई बुनियादी उपाय करने का विचार किया गया है। इन उपायों में विवाह करने की आयु में वृद्धि, स्त्री शिक्षा, छोटे परिवार के लाभों का व्यापक प्रचार, उत्पत्ति से संबंधित जीवविज्ञान और गर्भ निरोधक अनुसंधान कार्य का विकास, व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को प्रोत्साहन और राज्यों को अनिवार्य बन्धकरण के लिए कानून बनाने की अनुमति देना शामिल है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्य पांचवीं योजना के प्रारूप में दिए गए लक्ष्यों के समान ही है जिन्हें छठी योजना की समाप्ति तक पूरा किया जाना है और संभावना यही है कि ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। 1986-91 में जनसंख्या में वृद्धि की दर 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। 1988-89 तक कुल जनसंख्या 7254 लाख और 1991 तक 7448 लाख हो जाने की संभावना है। 1988-89 में ग्रामीण जनसंख्या 5451 लाख और शहरी जनसंख्या 1803 लाख हो जाने की संभावना है।

उत्पादन का स्वरूप

2.27. 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 1961-62 से 1973-74 की अवधि में कुल आंतरिक उत्पादन में 3.40 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई थी। सबसे तीव्रगति से वृद्धि विद्युत, गैस और पानी के क्षेत्र में हुई थी (9.90 प्रतिशत)। पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में तीव्र थी। मोटे तौर पर कृषि क्षेत्र में लगभग 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई और विनिर्माण, खान और खदान तथा अन्यान्य क्षेत्रों में लगभग 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई।

2.28. इस प्रकार अब आने वाले समय में उत्पादन के स्वरूप का सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है। पर अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दबाव, उपभोक्ता व्यय का अपेक्षित स्वरूप और प्राकृतिक संसाधन (पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों सहित) अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात के अवसर (जिनके संबंध में आगे विस्तार से बताया गया है) और विनियोजन तथा जन उपभोग के अपेक्षित स्तर के उत्पादन के बांछित स्वरूप का विधारण करते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि क्षेत्र के कुल उत्पादन में 3.94 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और छठी तथा सातवीं योजना में 4 प्रतिशत से अधिक का अनुमान लगाया गया है। (सारणी 5 : सभी अनुमान 1974-75 के मूल्यों पर आधारित हैं)। पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में खान क्षेत्र के कुल उत्पादन में 12.58 प्रतिशत वार्षिक दर से और विद्युत क्षेत्र में 10.12 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत 6.92 प्रतिशत मिश्रित वार्षिक की दर से

विकास जारी रहेगा और छठी तथा सातवीं योजनावधियों में यह दर 7.23 हो जाने की संभावना है। बृद्धि की रूपरेखा विकास के लक्ष्य के अनुरूप है, जो पांचवीं योजनावधि में 4.37 प्रतिशत है (1976-77 से 1978-79 तक यह लक्ष्य 5.2 प्रतिशत है), छठी योजना में 5.65 प्रतिशत और सातवीं योजनावधि में 6 प्रतिशत है।

सारणी 5. उत्पादन के कुल मूल्य के रूप से अनुमानित क्षेत्रीय वार्षिक बृद्धि दर और 1974-75 से 1988-89 तक घटक लागत पर बढ़ाया गया कुल मूल्य

(प्रतिशत प्रति वर्ष मिश्रित)

क्षेत्र	उत्पादन का मूल्य			बढ़ाया गया मूल्य		
	1973-74 की तुलना में 1978-79	1978-79 की तुलना में 1983-84	1983-84 की तुलना में 1988-89	1973-74 की तुलना में 1978-79	1978-79 की तुलना में 1983-84	1983-84 की तुलना में 1988-89
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कृषि	3.94	4.35	4.30	3.34	4.00	4.02
2. खान और विनिर्माण	7.10	7.29	7.20	6.54	7.43	7.35
(क) खान	12.58	8.77	6.51	11.44	8.70	6.38
(ख) विनिर्माण	6.92	7.23	7.32	6.17	7.32	7.43
(1) खाद्य उत्पाद	4.63	5.21	6.06	3.73	5.27	6.21
(2) सूती वस्त्र	3.45	6.01	6.85	3.21	6.04	6.79
(3) बन तथा कामज उत्पाद	6.75	7.89	8.56	4.90	7.73	8.92
(4) चमड़ा और रबड़ उत्पाद	5.50	7.76	7.97	2.47	7.55	7.85
(5) रासायनिक उत्पाद	10.84	9.16	7.18	10.46	9.13	8.02
(6) कोयला और पैट्रो- लियम उत्पाद	7.63	6.24	7.20	7.90	5.96	7.91
(7) अधात्विक खनिज उत्पाद	7.40	8.26	7.51	7.33	8.10	7.40
(8) मूल धातु	14.12	6.42	7.71	13.40	6.03	7.87
(9) धातु उत्पाद	5.60	8.35	5.68	4.64	7.97	5.63
(10) विद्युतेतर इंजी- नियरी उत्पाद]	8.40	9.37	7.88	7.99	8.30	8.56
(11) विद्युत इंजीनियरी उत्पाद	7.64	9.46	9.45	6.42	9.36	9.32
(12) परिवहन उपकरण	3.73	8.95	7.94	3.12	9.06	7.98
(13) औजार	5.39	9.87	8.82	4.45	9.73	8.75

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(14) विविध उद्योग	6.75	7.09	7.72	4.42	6.84	7.48
3. विद्युत	10.12	9.38	8.62	8.15	9.71	7.86
4. निर्माण	5.90	8.28	7.27	5.18	8.28	7.11
5. परिवहन	4.79	6.38	6.68	4.70	5.33	6.39
6. सेवाएं	4.88	6.82	7.72	4.80	6.77	7.70
7. जोड़				4.37	5.65	6.00

2.29. आने वाले समय में घटक लागत पर कुल आंतरिक उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में अधिक ऊंची विकास दर की संभावना है—किन्तु इसका अंश 1973-74 में 50.78 प्रतिशत से घट कर 1978-79 में 48.15 प्रतिशत, 1983-84 में 44.40 प्रतिशत से घट कर 1988-89 में 40.25 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी-6)। खान और विनिर्माण क्षेत्रों का अंश 1973-74 में 15.78 प्रतिशत से बढ़कर 1978-79 में 17.49 प्रतिशत, 1983-84 में 19.01 प्रतिशत और 1988-89 में 20.25 प्रतिशत हो जाएगा।

सारणी 6. कुल आंतरिक उत्पादन का स्वरूप : 1973-74, 1978-79, 1983-84 और 1988-89

(प्रतिशत)

क्षेत्र	1973-74	1978-79	1983-84	1988-89
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. कृषि	50.78	48.15	44.40	40.25
2. खान और विनिर्माण	15.78	17.49	19.01	20.25
(क) खान	0.99	1.37	1.58	1.61
(ख) विनिर्माण	14.79	16.11	17.43	18.64
(1) खाद्य उत्पाद	2.13	2.07	2.03	2.05
(2) सूखी वस्त्र	3.50	3.31	3.38	3.50
(3) लकड़ी और कागज उत्पाद	0.58	0.59	0.66	0.75
(4) चमड़ा और रबड़ उत्पाद	0.16	0.15	0.16	0.18
(5) रासायनिक उत्पाद	1.84	2.44	2.87	3.15
(6) कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद	0.23	0.27	0.28	0.30
(7) अधात्विक खनिज उत्पाद	1.58	1.82	2.04	2.18
(8) मूल धारु	1.09	1.65	1.68	1.84
(9) धातु उत्पाद	1.08	1.09	1.22	1.20
(10) विद्युतेतर इंजीनियरी उत्पाद	0.61	0.73	0.82	0.93
(11) विद्युत् इंजीनियरी उत्पाद	0.60	0.67	0.79	0.92
(12) परिवहन उपकरण	0.96	0.90	1.06	1.16

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
(13) औजार	0.03	0.03	0.04	0.04
(14) विविध उच्चोग	0.38	0.38	0.40	0.43
3. विद्युत्	0.79	0.94	1.13	1.24
4. निर्माण	4.06	4.21	4.77	5.02
5. परिवहन	3.43	3.48	3.43	3.49
6. सेवाएं	25.16	25.73	27.26	29.75
7. जोड़	100.00	100.00	100.00	100.00

2.30. 1961-62 से 1973-74 की अवधि को एक साथ मिलाकर विचार किया जाए तो बचत और विनियोजन करने की औसत प्रवृत्तियों में स्थिरता दिखाई पड़ती है। 1975-76 और 1976-77 की वार्षिक योजनाओं की अवधि में सरकारी विनियोजन में विस्तार के कारण सकल पूंजी निर्माण में प्रगति हुई है। 1974-75 के मूल्यों के आधार पर 1988-89 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में कुल विनियोजन 18.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। छठी योजना और उसके बाद के लिए लगाए गए वृद्धि के अनुमान पिछली प्रवृत्तियों और भविष्य की संभावना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्धारित किए गए हैं। फिर भी, उन्हें अर्थ-व्यवस्था के चरम उपलब्धि बिन्दु के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह नितांत वांछनीय है कि अर्थ-व्यवस्था को अब निर्धारित की गई विकास दर से ऊंची दर प्राप्त करनी होगी। विकास की रूपरेखा में सुधार तभी सम्भव है जब 1988-89 में विनियोजन का स्तर अब के अनुमान से अधिक हो। गरीबी हटाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धनाद्य वर्ग से अधिक संसाधन जुटाने के लिए अधिक प्रयास करके अतिरिक्त विनियोजन की दर को बनाए रखना होगा।

निर्यात और आयात

2.31. 1960-61 से 1973-74 की अवधि में निर्यात में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। इस अवधि में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में 12.8 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है और विनिर्मित वस्तुओं का अंश 47.5 प्रतिशत से बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गया है। इस वृद्धि का मुख्य रूप से कारण नव विनिर्माण और ग्रामपालिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि है। इस अवधि में यूरोपीय साझा बाजार के देशों, तेल उत्पादक और निर्यातकर्ता देशों और समाजवादी देशों के साथ व्यापार हुआ। किन्तु विश्व निर्यात में भारत का अंश घट गया क्योंकि विश्व व्यापार के मूल्य में 12.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई जब कि भारत के व्यापार के मूल्य में केवल 8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

2.32. 1960-61 के बाद से औद्योगिक मशीनों, कागज रसायनों, लोहा और इस्पात तथा अलौह धातुओं के आयात प्रतिस्थापनों में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश की कुल (स्थाई) पूंजी में आयातित मशीनरी और उपकरण का अंश जो 1960-61 में 43.4 प्रतिशत था उसमें एकदम गिरावट आई और 1965-66 में यह अंश 25.3 प्रतिशत और 1973-74 में 9.6 प्रतिशत रह गया। यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का चोतक है। चौथी योजना की अवधि में कुल आयात

के मूल्य में वृद्धि गेहूं, उर्वरक, अलौह धातुओं और पी० ओ० एल० उत्पादनों जैसी सामग्री के इकाई मूल्य बढ़ जाने के कारण हुई थी।

2.33. भारत के भुगतान संतुलन से संबंधित भावी योजना आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने पर आधारित है। खाद्य, उर्वरक और पैट्रोलियम तथा अन्य स्नेहक पदार्थों के आयात प्रतिस्थापनों के संबंध में एक नीति अपना कर और इस पर योजनाबद्ध विनियोजन करके इन वस्तुओं के आयात को घटाना होगा। इसपात, औद्योगिक मशीनों, धातु से बनी वस्तुओं, सिले हुए वस्त्रों, चमड़े से निर्मित वस्तुओं, सागर से प्राप्त उत्पादन, इलैक्ट्रोनिक्स और परिवहन उपकरणों जैसे विनिर्मित क्षेत्र के उत्पादनों के निर्यात की पूर्ति और मांग दोनों की लोच का अधिकतम लाभ उठा कर निर्यात की मात्रा को स्थिर रखना होगा। लौह अयस्क, अभ्रक और बाक्साइट जैसे प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात में अधिक मूल्यवान घटक्युक्त उत्पादन पर बल देना होगा और इसके लिए पिंड निर्माण, एल्यूमिना उत्पादन, अभ्रक की गढ़ाई, आदि की क्षमता का विस्तार करना होगा।

2.34. आशा है कि जिन बाजारों में भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है उन बाजारों को भी निर्यात बढ़ाया जाएगा। इन बाजारों में निर्माण, परामर्श और संयुक्त उद्यम के क्षेत्रों से संबंधित सुविधाओं के निर्यात की सम्भावनाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

2.35. जहां तक आयात का संबंध है, छठी योजना की अवधि में महत्वपूर्ण उपभोग वस्तुओं के आयात के लिए विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। जहां तक मशीनों, उपकरणों तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं के आयात का संबंध है, भावी योजना कार्यनीति में यह परिकल्पना की गई है कि चुनीदा आयात प्रतिस्थापन की नीति को सावधानीपूर्वक कार्यान्वित किया जाए। पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले संसाधनों की कमी को भी ध्यान में रखना होगा।

रोजगार की सम्भावनाएं और जीवन स्तर

2.36. योजना बनाने वालों और नीति-निर्माताओं के सामने रोजगार की समस्या एक गंभीर चिंतन का विषय है। अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप से संबंधित विशेषताओं को देखते हुए इस समस्या का आकार कुछ इस प्रकार का है कि उसमें से कुछ विचार और आंकड़ों से संबंधित कठिनाइयाँ उभर कर सामने आती हैं। बेरोजगारी के अनुमानों से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि इस संबंध में एक बहु-मुखी नीति अपनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन ने 27वें दौर में समिति की सिफारिशों के अनुसार आंकड़े एकत्र किए हैं। अब तक प्रथम दो उप-दौर के परिणाम प्राप्त हुए हैं। श्रम-अवधि के प्रबंध के माध्यम से वर्तमान गतिविधि के स्तर के स्वरूप को समझ कर तथा बेरोजगारी की दर की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या के गुणात्मक स्तर पर विचार करना सम्भव है। आंकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की तत्काल आवश्यकता है। किन्तु इस समस्या के सही स्वरूप को तभी समझा जा सकता है जब यह समझ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में इसकी व्यापकता का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी पता चलता है कि यह समस्या अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में है।

2.37. चौथी योजनावधि में संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार में लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ि होने का अनुमान है। वैचारिक कठिनाइयां निहित होने पर भी अंतर-जनगणना की तुलनाओं और राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के विभिन्न दौरों के परिणामों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में, जिसमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, रोजगार की मात्रा अपेक्षित परिमाण में नहीं बढ़ी है। जिस अवधि में कृषि उत्पादन में बढ़ि की दर कम रही थी (1961-62 से 1973-74 तक), उस अवधि में 1960-61 के मूल्यों के आधार पर प्रमुख घरेलू विनिर्माण उद्योगों के कुल मूल्य में बढ़ि की दर भी कम रही थी, अर्थात् खाद्य, धेय व तम्बाकू के पदार्थ में (1.83 प्रतिशत प्रति मिश्रित वर्ष), सूती वस्त्रों की सिलाई और चमड़े के जूते चप्पल में (2.09 प्रतिशत), चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुएं (-1.62 प्रतिशत)। वैसे यह कभी रसायन और इंजीनियरी क्षेत्र में ऊंची बढ़ि की दर (3 से 6 प्रतिशत के बीच) के कारण पूरी हो गई थी।

2.38. एक उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि उन घटकों का पता लगाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को क्षेत्रीय आधार पर प्रभावित करते हैं। योजना आयोग ने रा० प्र० स० के क्षेत्र का उपयोग करते हुए कुछ अध्ययन किए हैं। उत्पादन के प्रति एक रुपए में अन्य घटकों, जैसे प्रति हैक्टर उत्पादन, प्रति हैक्टर उर्वरक का प्रयोग, ट्रैक्टरों का प्रयोग, सिलाई, विनियोजन स्तर, और जोत के आकारों में असमानता के स्तर की तुलना में रोजगार के अंश के संबंध में अनुसंधान किए गए हैं। उत्पादन के प्रति रुपए और प्रति हैक्टर भूमि पर रोजगार का अंश सिलाई में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर है, जैसे प्रति हैक्टर भूमि में लगाए गए पम्प सैटों की संख्या। इसी प्रकार पांच एकड़ (2ह०) के या इससे कम आकार की जोतों के साथ रोजगार की दर जुड़ी हुई है। विकसित वाणिज्यिक कृषि क्षेत्रों तथा शेष क्षेत्रों में इस संबंध पर अलग और अधिक विचार किया गया। इससे प्राप्त हुए परिणाम लगभग वे ही थे जो पूरे देश के संबंध में प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यह भी ज्ञात हुआ कि प्रति हैक्टर उर्वरक का प्रयोग, नई कृषि तकनीकी का विस्तार भी वाणिज्यिक क्षेत्रों में रोजगार से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था।

2.39. उपयुक्त कार्यनीति और रोजगार नीति तैयार करने की दृष्टि से, तीन बातें आपस में संबंधित हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक ऐसा कार्यक्रम कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिसमें सिलाई, अधिक उपज देने वाली किस्मों के संबंध में कृषि विस्तार कार्य आदि जैसे योजना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कार्यनीति को अमल में लाया जाए। दूसरी बात इस संबंध में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सर्जन का कार्य स्थानीय विकास से संबंधित कार्यनीति से जुड़ा होना चाहिए और तीसरी व अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात पट्टेदारी प्रथा में सुधार के उपायों से ग्रामीण काश्तकार वर्ग में सुरक्षा तथा छोटे काश्तकारी की उपज को लाभकारी बनाने से संबंधित है।

2.40. उपयुक्त रीति विधान के निष्पादन से कई परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, पहला तो यह कि इसका अर्थ होगा महत्वपूर्ण निवेश उपलब्धता सुनिश्चित करना और उसका प्रभावी रूप से उपयोग करना; योजना के उत्पादन और विनियोजन पक्ष के अन्तर्गत इस बात का ध्यान रखा गया है। दूसरा यह कि कृषि के माध्यम से रोजगार की योजना का स्वरूप क्षेत्र विशिष्ट से संबंधित होना चाहिए और इसलिए इस संबंध में बहस्तरीय नीति अपनानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी और कृषि-जलवायु को ध्यान में रख कर सिलाई की सुविधाओं की उपलब्धता के विस्तृत अनुमान तैयार किए जाने चाहिए जो भूतल और भूमिगत दोनों प्रकार के जल स्रोतों से संबंधित

हों। पिछले अनुभव, क्षेत्र विशिष्ट में विशिष्ट फसल उगाने की प्रवृत्ति और योजना में स्पष्ट की गई मांग की रूपरेखा को देखते हुए प्रत्येक उपक्षेत्र की फसल प्रणाली को निर्धारित करना होगा। सिचाई के अन्तर्गत क्षेत्रों तथा बिश्वित वर्षा वाले क्षेत्रों और यथा सम्भव शुष्क क्षेत्रों में नई किस्मों के विस्तार की संभावनाओं के व्यावहारिक अनुमान लगाने होंगे। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता का अनुमान सावधानीपूर्वक लगाना होगा और उसके लिए अपेक्षित संगठनात्मक और निवेश संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस काम में विसंगतियां उत्पन्न न होने पाएं। निस्संदेह यह एक कठिन कार्य है। इन प्रयासों से प्राप्त होने वाले युक्तियुक्त आश्वासन के बागेर कोई गम्भीर और उपयोगी रोजगार योजना नहीं बनाई जा सकती।

2.4.1. अध्ययनों द्वारा क्षेत्रीय योजना के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इनसे यह ज्ञात होता है कि कुछ संसाधनों की अलोच, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बंधन रहती है, स्थानीय स्तर पर उतनी ही कठोर नहीं रह पाती जिसके फलस्वरूप, यदि जनसहयोग और स्थानीय ज्ञान का उपयोग किया जा सके और आयोजन में पहल करने की भावना हो तो उपलब्ध भौतिक और जन संसाधनों में वृद्धि हो सकती है और उनका अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। इस सब के लिए राज्य तथा स्थानीय स्तर पर योजना तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसका राष्ट्रीय आयोजन के साथ सुसंगत तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए।

2.4.2. सफल स्थानीय योजना के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 20 सूनी कार्यक्रम में भूमि सुधार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और इसे लागू करने के लिए उपाय किए जाएं। छोटे किसानों को और बटाइदारों को सम्पत्ति के अधिकार देने या पट्टेदारी के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने और इसके साथ ही कृषि कार्यक्रमों, विशेषतः ल० क० बि० ए० और ना० कि० भ०० श्र० कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन में सहायता देने की स्कीमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। व्यापक क्षेत्रीय नीति के आधार पर बनाई गई कृषि योजना के अन्तर्गत पशुपालन, पारम्परिक बेकार वस्तुओं, आदि जैसी सहायक गतिविधियों के द्वारा अतिरिक्त रोजगार सर्जित करने में काफी मदद मिल सकती है।

2.4.3. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में श्रम की पूर्ति के अनुसार पांचवीं योजनावधि में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत श्रम बल की संख्या में 162 लाख और छठी योजना में 189 लाख वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सर्वेक्षण के 27वें दौर द्वारा अनुमानित श्रमबल की दर में 5 से 14 वर्ष के बच्चे को शामिल कर लिए जाने पर और सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए विविध परिकल्प के कारण यह दर बढ़ जाएगी। फिर भी, रा० प्र० स० के परिकल्पों पर आधारित अनुसानों के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में श्रमबल की संख्या में वृद्धि लम्भग 182.6 लाख से 189.6 लाख तक होगी और छठी योजना में 195.7 लाख से 203.9 लाख तक होगी। जैसी भारत की अर्थ-व्यवस्था है, ऐसी अर्थ-व्यवस्था में श्रम बल की पूर्ति के अनुसान अस्थिर रहते हैं। ऊपर वर्णित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर श्रम बल की वृद्धि को पांचवीं योजनावधि में काम पर लगाया जा सकता है और छठी योजनावधि में पहले से ही बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए उपयोगी प्रयास किए जा सकते हैं।

2.4.4. पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार और उत्पादन के परस्पर संबंधों पर 20 औद्योगिक समूहों में अन्वेषण किया गया था। इस विश्लेषण में क्षमता के उपयोग के परिवर्तनों का भी ध्यान रखा गया है। भावी योजना में प्रमुख बल सरकारी विनियोजन

और सम्पूर्ण विनियोजन पर दिया गया है और यह लक्ष्य पूरा हो जाने पर पांचवीं योजनावधि में पंजी-कृत विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों में रोजगार में वृद्धि दर चौथी योजनावधि की दर से काफी अधिक रहने की संभावना है। आने वाले समय में इस वृद्धि की प्रवृत्ति को और तेज़ करना होगा। यदि खान, खनन, निर्माण, उद्योग, बिजली, रेलवे तथा अन्य परिवहन और अन्य सेवाओं के क्षेत्रों में भी लक्ष्य पूरे किए जा सकें तो रोजगार की सुविधाओं में काफी वृद्धि हो सकती है।

2.45. अपंजीकृत क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत घरेलू क्षेत्र आता है, पिछले दशक की रोजगार की प्रवृत्तियों को पलट देने की आवश्यकता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। यह वृद्धि हथकरघा, नारियल रेशे, गलीचे बुनने और प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों के योजना कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशेष रूप से की गई है। यह संभावना है कि घरेलू क्षेत्र की कृषि पर आधारित पूर्ति पर ज्यादा कठोर नियन्त्रण नहीं रहेगा। इस क्षेत्र से संबंधित कर, ऊपर और उत्पादन सहायता नीतियों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना अनिवार्य है ताकि और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। श्रम बहुलता वाले प्रौद्योगिक सुधार करने और उनका प्रसार करने की भी आवश्यकता है। पांचवीं योजना के प्रारूप में बताई गई रूपरेखा के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि से इतर क्षेत्र में श्रम बल की संख्या में 85 लाख और छठी योजना में 91 लाख की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। भावी योजना में बताए गए उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना निरांतर आवश्यक है, तभी कृषि से इतर क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। भावी योजना के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने और ऊपर स्पष्ट की गई नीतियों, विशेषतः अपंजीकृत क्षेत्र से संबंधित नीतियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने से पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि से इतर क्षेत्र के अन्तर्गत श्रमबल में हुई वृद्धि को पांचवीं योजनावधि में उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है और उसके बाद पहले से चली आ रही बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए छठी योजना में गंभीरता पूर्वक प्रयास करने होंगे।

2.46. दीर्घकालीन भावी योजना के अन्तर्गत सुझाई गई रोजगार नीति में सरकारी विनियोजन दर बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि योजनाओं में निर्धारित किए गए उत्पादन के अनुमानों को पूरा किया जा सके, कृषि योजना नीति को, विशेष रूप से उसके स्थानीय स्वरूप को व्यापक और उन्नत किया जा सके, 20-सूक्ती कार्यक्रम में दिए हुए भूमि सुधार लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, छोटे किसानों को उत्पादन में सहायता दी जा सके और अन्त में, अपंजीकृत क्षेत्र में एक उपयुक्त नीति के अन्तर्गत रोजगार के अवसर फिर से संर्जित किए जा सकें। जब एक बार, उपलब्ध श्रम बल को लाभदायक कार्यकलापों में लगाने की नीति सफल हो जाएगी तो उसके बाद रोजगार की स्थिति के गुणवत्ता से संबंधित पहलू में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

2.47. जहाँ तक रहन-सहन का संबंध है, पांचवीं योजना के प्रारूप में बताए गए रीति-विधान का प्रयोग ऊपर वर्णित रोजगार की संभावनाओं के साथ उपभोग के स्तरों का एकीकरण करने के लिए किया गया है। उत्पादन के वस्तुपरक अंश में यथोचित संशोधन कर दिए गए हैं और उसे भावी योजना में अनुमानित उत्पादन के आकार में मिला दिया गया है।

अध्याय 3

विकास की दर और स्वरूप

पांचवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष 1974-75 में सकल आन्तरिक उत्पादन पिछले वर्ष से केवल 0.2 प्रतिशत बढ़ा। 1975-76 में उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप सकल आन्तरिक उत्पादन में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान किया गया। 1976-79 में अर्थ-व्यवस्था का विकास 5.2 प्रतिशत वार्षिक मिश्र दर से होने की संभावना है। इस वार्षिक विकास की रूपरेखा से पांचवीं योजना में सकल आन्तरिक उत्पादन में 4.37 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास का अनुमान किया गया।

3.2. पांचवीं योजना में गरीबी दूर करने व आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति को आयातित उत्पादन वस्तुओं, यथा ईंधन, उर्वरकों और खाद्य के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के संदर्भ में देखना होगा। इसलिए कृषि उत्पादन, विशेषरूप से खाद्य पदार्थों, उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम उपयोग और महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों, मजदूरी माल के उत्पादन तथा कुशलतापूर्वक वितरण की गति को तेज करने की ओर कार्यनीति निर्दिष्ट करनी होगी।

विकास की क्षेत्रीय दरें

3.3. परस्पर अनुरूप क्षेत्रवार उत्पादन के स्तरों का अनुमान व्यापक आर्थिक नमूने, 66 क्षेत्रवार निवेश-उत्पादन नमूने व खपत उप-नमूने की पद्धति पर किया गया है। सामग्री संतुलन के अध्यासों की शृंखला द्वारा वस्तुवार उत्पादन के स्तरों का अनुमान उनके मांग के अतिशेषों की पूर्ति से तैयार किया गया और निवेश-उत्पादन के नमूने द्वारा क्षेत्रीय वृद्धि दरों के साथ उनका सामंजस्य किया गया। विशिष्ट वस्तुओं के लिए सूक्ष्म स्तर पर कुछ स्वतन्त्र अध्ययन उत्पादन स्तरों की प्रतिजांच करने के लिए गए।

3.4. पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पर तकनीकी नोट में जैसा दिया गया है, पांचवीं योजना के आधार वर्ष 1973-74 के लिए निवेश-उत्पादन मैट्रिसिस को 1974-75 के मूल्यों तक अद्यतन किया गया है। ऐसा 1973-74 के लिए वस्तुवार उत्पादन के स्तरों और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अद्यतन श्वेत पत्र में दिए गए व्यापक आर्थिक समुदायों के अनुमान के अनुरूप बनाने के लिए किया गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 25वें दौर (1970-71) के आन्तरिक उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों और अभी हाल ही के श्वेत पत्र में वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न बड़े समूहों से सम्बन्धित निजी अन्तिम उपभोक्ता व्यय के अनुमानों के आधार पर उपभोक्ता अनुपात मैट्रिसिस को भी

1974-75 के मूल्यों तक अद्यतन किया गया है। 1978-79 के संकेतों सम्बन्धी उद्देश्य के लिए औद्योगिकी व प्रकृतिगत विचारों के आधार पर कुछ निवेश गुणांक की परिकल्पना की गई है।

3.5. निर्यात और सरकारी व्यय का अनुमान बर्हिजनित दृष्टि से किया गया है। सार्वजनिक उपभोग का वार्षिक 10 प्रतिशत औसत से बढ़ना माना गया है जबकि निर्यात 8.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया गया है। अन्तिम वर्ष में सार्वजनिक उपभोग व आयात का अनुमान अंतर्जनित दृष्टि से किया गया है। पांचवीं योजना के शेष वर्षों के लिए परिकल्पना किए गए परिव्यय इस अवधि के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं।

3.6. पांचवीं योजना अवधि में सकल आंतरिक उत्पादन में परिकल्पना की गई वृद्धि दर के अनुरूप विकास की क्षेत्रीय दर पूर्व में उल्लेख किए गए नमूनों की पद्धति के द्वारा पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1978-79 के लिए तैयार की गई है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन संकेतों में अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभाव्यताओं व क्षमता-उपयोग के आधार पर आयात प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई है। सारणी-1 में सामान्य क्षेत्रों के संदर्भ में और अनुलग्नक-5 में अर्थव्यवस्था के 66 क्षेत्रों के लिए विकास का स्वरूप दिया गया है। कृषि सम्बन्धित क्षेत्र में विकास की दर 3.94 प्रतिशत अनुमानित की गई है। खनन क्षेत्रों के उत्पादन की विकास दर जहां प्रतिवर्ष 12.58 प्रतिशत अनुमानित की गई है वहां कोयला उत्पादन की 9.38 प्रतिशत और कच्चे तेल की 14.68 प्रतिशत विकास दर बढ़ने की संभावना है। विनिर्माण क्षेत्र के 6.92 प्रतिशत के दर पर बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में उर्वरक के 22.26 प्रतिशत सीमेण्ट के 7.19 प्रतिशत और लोहा व इस्पात के 11.31 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की संभावना है।

3.7. 1973-74 व 1978-79 में संगठनात्मक परिवर्तन के उपाय के साथ सकल आंतरिक उत्पादन की संरचना क्षेत्रों के कुछ बड़े समूहों के लिए सारणी-1 में और 66 क्षेत्रों के लिए अनुलग्नक-5 में भी दिए गए हैं। जैसा कि आशा की जाती है कुल सकल मूल्य में कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों का हिस्सा 1973-74 में 50.8 प्रतिशत से घटकर 1978-79 में 48.15 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है और खनन व विनिर्माण के साथ-साथ अन्य माध्यमिक व अन्यान्य क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ जाने की आशा है।

सारणी 1. उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि की सांकेतिक क्षेत्रीय दर और पांचवीं योजना के लिए घटक लागत दर बड़े हुए कुल मूल्य व 1973-74 और 1978-79 में बड़े हुए कुल मूल्य की क्षेत्रवार संरचना

क्षेत्र	विकास की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)	1974-75 की कीमतों पर बड़े हुए कुल मूल्य की संरचना					
		1973-74 की तुलना में 1978-79 में उत्पादन का मूल्य	बड़ा हुआ 1973-74 1978-79 मूल्य				
			(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. कृषि	3.94	3.34	50.78	48.15			
2. खनन व विनिर्माण	7.10	6.54	15.78	17.49			
(क) खनन	12.58	11.44	0.99	1.37			
(ख) विनिर्माण	6.92	6.17	14.79	16.11			
(1) खाद्य उत्पाद	4.63	3.73	2.13	2.07			
(2) वस्त्र उद्योग	3.45	3.21	3.50	3.31			

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
(3) लकड़ी व कागज के उत्पाद	6.75	4.90	0.58	0.59
(4) चमड़े व रबड़ के उत्पाद	5.50	2.47	0.16	0.15
(5) रसायन उत्पाद	10.84	10.46	1.84	2.44
(6) कोयला व पैट्रोलियम उत्पाद	7.63	7.90	0.23	0.27
(7) अधात्विक खनिज उत्पाद	7.40	7.33	1.58	1.82
(8) आधारीय धातु	14.12	13.40	1.09	1.65
(9) धातु उत्पाद	5.60	4.64	1.08	1.09
(10) गैर बिजली के इंजीनियरी उत्पाद	8.40	7.99	0.61	0.73
(11) बिजली इंजीनियरी उत्पाद	7.64	6.42	0.60	0.67
(12) परिवहन उपकरण	3.73	3.12	0.96	0.90
(12) औजार	5.39	4.45	0.03	0.03
(14) विविध उद्योग	6.75	4.42	0.38	0.38
3. बिजली	10.12	8.15	0.79	0.94
4. निर्माण	5.90	5.18	4.06	4.21
5. परिवहन	4.79	4.70	3.43	3.48
6. सेवाएं	4.88	4.80	25.16	25.73
7. कुल		4.37	100.00	100.00

3.8. विकास की सांकेतिक क्षेत्रीय दरों की सामग्री संतुलनों की विस्तृत पद्धति के उपयोग द्वारा वास्तविक लक्ष्यों में रूपान्तरित किया गया है। निवेश उत्पादन मण्डल सम्बन्धी स्वतन्त्र क्षेत्रों के अन्तर्गत कोयला, कच्चे तेल, लोहे अयस्क व सीमेंट जैसी मदों के लिए लक्ष्य क्षेत्रीय विकास दरों की मार्फत सीधे निश्चित किए गए हैं। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लक्ष्यों की प्रति जांच स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म स्तर के अध्ययनों व परियोजनाओं के पूर्ण करने से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययनों द्वारा भी की गई है। सारणी-2 में 1978-79 में कुछ महत्वपूर्ण मदों के अनुमानित वास्तविक उत्पादन दिए गए हैं। 1978-79 के लिए और अधिक विस्तृत अनुमान अनुलग्नक-6 में प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मदों के अनुमानित वास्तविक उत्पादन के मूलाधार की चर्चा नीचे की गई है। बहुत से क्षेत्रों में 1978-79 के उत्पादन लक्ष्य पांचवीं योजना के प्रारूप में अभिधारित किए गए स्तरों से नीचे है। यह दो कारणों से है। बहुत से मामलों में स्तरों से नीचे वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया आधार उत्पादन पांचवीं योजना के प्रारूप में परिकल्पित किया गया है। 1974-75 में उत्पादन की वृद्धि बहुत कम थी वैसे 1975-76 में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इस प्रकार संशोधित लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आधार स्तर में परिवर्तन करने की वृष्टि से सुधारों की व्यवस्था करनी पड़ी और पांचवीं योजना के पहले वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखा गया।

सारणी-2. 1978-79 में वास्तविक उत्पादन स्तरों के संकेत

मद (०)	एकक (१)	1973-74 (२)	1978-79 (३)
1. खाद्यानन्	10 लाख टन	104.7	125
2. कोयला	10 लाख टन	79.0	124.0
3. लोह अयस्क	10 लाख टन	35.7	56.0
4. कच्चा तेल	10 लाख टन	7.2	14.18
5. सूखी कपड़ा			
(क) मिल क्षेत्र	10 लाख मीटर	4083	4800
(ख) विकेन्द्रित क्षेत्र	10 लाख मीटर	3863	4700
6. कागज व गत्ता	हजार टन	776	1050
7. अखबारी कागज	हजार टन	48.7	80.0
8. पेट्रोलियम से बना सामान (जिसमें चिकनाई वाले पदार्थ शामिल हैं)	10 लाख टन	19.7	27.0
9. नवजनीय उर्वरक (एन)	हजार टन	1058	2900
10. फास्फेट उर्वरक (पी२ ओ५)	हजार टन	319	770
11. सीमेट	10 लाख टन	14.67	20.8
12. नर्म इस्पात	10 लाख टन	4.89	8.8
13. अल्युमूनियम	हजार टन	147.9	310.0
14. तांबा	हजार टन	127	37.0
15. जस्ता	हजार टन	20.8	80.0
16. विजली उत्पादन	जी० डब्ल्य००एच०	72	116-117
17. रेल में ओरिजिनर्टिंग ट्रेफिक	10 लाख टन		260

3.9. कृषि के क्षेत्र में विस्तृत आयोजना अभ्यास किए गए। कुल फसल क्षेत्र का विकास ऐसे क्षेत्रों और पहले के सिंचित किए गए क्षेत्रों में वृद्धि व सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निर्धारित वृद्धि के परस्पर सम्बन्ध पर अनुमानित है। बड़ी और मंजली सिंचाई के हेतु विधियों के आबंटन के लिए परियोजना स्तर के अभ्यास चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और छठी योजनावधि में आवश्यकताओं के अनुसार नई परियोजनाओं को शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए। लघु सिंचाई के विस्तार और जिन राज्यों में प्रगति धीमी है उनमें भूमिगत जल निदेशालयों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निधियों की व्यवस्था कर दी गई है। अधिक उपज वाले क्षेत्रों में वृद्धि और उर्वरक भागों का सावधानी से अनुमान लगा लिया गया है। सिंचित अथवा असिंचित अधिक उपज वाली फसल के मामले में उत्पादन संभाव्यताएं क्षेत्र में पिछले अनुभव से उपज स्तरों के उपयुक्त किए जाने के आधार पर अनुमानित की गई हैं। उत्पादन के अनुमानों की मापदण्ड के उपयोग द्वारा प्रति जांच की गई है।

3.10. समुद्र में अन्वेषण की वृद्धिगत आशा से 1978-79 में कच्चे तेल का देशीय उत्पादन 141.8 लाख टन की संभावना है जबकि पांचवी योजना के प्रारूप में 120 लाख टन

लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पैट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित खपत के होते हुए भी 1978-79 में कच्चे तेल की मांग 290 लाख टन रखी गई है। जिसके लिए लगभग 150 लाख टन के आयात की आवश्यकता होगी। योजना के प्रारूप में 346 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 1978-79 में पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 270 लाख टन प्रत्याशित किया गया। तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण तेल उत्पादों की मांग में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की गई और पैट्रोलियम उत्पादों की जगह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के पूरे उपयोग के लिए सुविचारित कार्यवाही की गई। वैसे अर्थ व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं अर्थात् नवजनीय उर्वरकों के निर्माण के लिए नेपथा व ईंधन तेल के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार देश की प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व को देखते हुए हाई स्पीड डीजल आयल की मांग में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई है। एल० डी० ओ० के मामले में उपयुक्त रूप से उच्च स्तर की मांग की परिकल्पना कृषि विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण की गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान किया गया है कि पैट्रोलियम उत्पादों की खपत 1978-79 में 285 लाख टन से अधिक नहीं होने का अनुमान किया गया है। इस प्रकार 1978-79 में पैट्रोलियम उत्पादों के आयात का स्तर लगभग 15 लाख टन होगा।

3.11. विद्युत् क्षेत्र में मांग के विशेषणों पर आधारित कार्यवाही से यह पता चलता है कि 1974-75 में 76.6 बिलियन किलोवाट आवर्स से बढ़कर 1978-79 में कुल 118 बिलियन किलोवाट-आवर्स हो जाएगी। ये अनुमान उस वर्ष में उद्योग व अन्य क्षेत्रों से संभावित मांग पर आधारित हैं। वर्तमान संकेत यह है कि 1978-79 के अन्त तक लगभग 300 लाख किलोवाट की स्थापित क्षमता हो जाएगी और ऊर्जा को उपलब्धता 116-117 बिलियन किलोवाट घण्टे के बीच होने की संभावना है। इससे परियोजना की निर्माणावधि को कम करने अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत् के भेजने विद्युत् प्रणाली की क्षमता में सुधार (जैसे पारेषण व वितरण संबंधी हानियों में कमी) और विद्युत् के लिए मांग में संभावित वृद्धि की पूर्ति के लिए उपलब्ध क्षमता के उपयोग में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता प्रतीत होती है।

3.12. कोयले के उत्पादन का लक्ष्य उसकी मांग के संशोधित अनुमानों के आधार पर 1240 लाख टन निश्चित किया गया है। 1974-75 में यह मांग खपत के स्वरूप से प्रकट प्रवृत्ति और कोयले की खपत करने वाले मुख्य क्षेत्र जैसे, इस्पात, संयंत्र, विद्युत् संयंत्र, रेल, मुख्य उद्योग, आंतरिक क्षेत्र आदि में विकास के संशोधित अनुमान के आधार पर विश्लेषित की गई है।

3.13. इस्पात की 77.5 लाख टन की आंतरिक मांग की तुलना में 1978-79 में उसका उत्पादन 88 लाख टन अनुमानित किया गया है। देश में बड़ी किस्म के इस्पात उत्पादों की खपत के कारण यह संभव नहीं होगा कि इस्पात उत्पादों के सभी आकार-प्रकारों की मांग को देशीय मिले-जुले उत्पाद से पूरा किया जा सके। इससे कुछ इस्पात उत्पादों के कुछ आकारों के आयात करने की आवश्यकता होगी। ऐसे आयात 1978-79 में 4 लाख टन से और बढ़ जाने की संभावना नहीं है।

3.14. अलोह धातुओं के मांग के अनुमान विस्तृत सामग्री संतुलनों के निर्माण द्वारा प्राप्त किए गए और उनकी निवेश उत्पादन मण्डल द्वारा प्रति जांच की गई। परियोजना स्तर विश्लेषक द्वारा जांच किए गए संभावित क्षमता स्तरों पर आपूर्तियां आधारित हैं।

3.15. उर्वरक की मांग के संकेतन के लिए, पृथक रूप से तत्संबंधी विस्तार का प्रयास सावधानीपूर्वक किया गया। इसकी आवश्यकता सिचाई की सुविधाओं पर दिए गए बल और विशेष रूप से नए क्षेत्रों में नए तकनीक के प्रसार के कारण हुई। किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि उर्वरक का उपयोग सिचाई सुविधाओं की उपलब्धता और साथ ही नए तकनीक के प्रसार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व प्रभावी हैं। इन अत्तरण घटकों और साथ ही हर कोटि की भूमि के अन्तर्गत मात्राओं में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। ऐसा विश्लेषण फसल दर फसल और अनुमानित उर्वरक की कुल आवश्यकताओं के बारे में किया गया। 1978-79 के लिए एन० पी० के० की 48.0 लाख टन, एन० की 34 लाख टन, पी२ ओ५ की 8.70 लाख टन व के२ ओ की 5.30 लाख टन की पुष्टिकर रूप में ये आवश्यकताएं होती हैं। मध्यवर्ती उत्पादन की रूप रेखा से यह पता चलता है कि 1978-79 तक 29.0 लाख टन नाइट्रोजेन का उत्पादन होगा। पी२ ओ५ का 770,000 टन के उत्पादन का अनुमान किया गया है। इस अंतर को एन० के 5.00 लाख टन पी२ ओ५ के 10 लाख टन और के२ ओ के 5.30 लाख टन—कुल 11.30 लाख टन के आयात से पूरा किया जाएगा।

3.16. पांचवीं योजना के समाप्ति वर्ष में सीमेंट की आंतरिक मांग का अनुभाव वस्तु संतुलन प्रक्रिया से लगाया गया है। ऐसा करते समय अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, विद्युत, उद्योग, परिवहन और समाज सेवाओं में कुल स्थाई विनियोजन को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार इसकी मांग का अनुमान 193 लाख टन लगाया गया है। अब यह अनुमान किया गया है कि 15 लाख टन सीमेंट का निर्यात हो सकेगा। इस मात्रा को शामिल करते के बाद 1978-79 में सीमेंट की कुल मांग 208 लाख टन होने का अनुमान है। इन अनुमानों की 'काल श्रृंखला विश्लेषण' विधि द्वारा प्रति जांच कर ली गई है।

3.17. सीमेंट, कागज और गते, चीनी और रबड उत्पादन तैयार करने वाली मशीनों के उत्पादन सम्बन्धित वस्तुओं की नवीन क्षमता पर निर्भर है जो 1978-79 तक और छठी योजना के पूर्वकाल में सर्जित होगी। वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ विशेष प्रकार की मशीनों का निर्यात 1978-79 तक होने लगेगा और इस निर्यात संभावना के लिए मशीनों के उत्पादन के लक्ष्यों में व्यवस्था की गई है। अब मशीनों के उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करते समय विनियोजन योजनाओं उपयोग कर्ता उद्यमों में वृद्धि, परिवर्तन आवश्यकताओं और निर्यात क्षमता को ध्यान में रखा गया है।

3.18. 1978-79 में संगठित कारखाना क्षेत्र में सूती वस्त्रों के उत्पादन का अनुमान 48000 लाख मीटर लगाया गया जबकि विकेंद्रित क्षेत्र में 47000 लाख मीटर उत्पादन होने का अनुमान है। सूती और क़लिम तंतु से बनाए गए कपड़े के अंश का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग वर्गों द्वारा आय वृद्धि के साथ विभिन्न प्रकार के कपड़े का उपभोग के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन द्वारा लगाया गया है। वस्त्र की सम्पूर्ण मांग के अनुमान व्यय-लोच और व्यापक आर्थिक संतुलन से प्राप्त किए गए प्रति व्यक्ति उपभोग में अनुमानित वृद्धि का प्रयोग कर के निकाले गए हैं। पांचवीं योजना की अवधि में और उसके बाद विकेंद्रित क्षेत्र के अंश में वृद्धि का होने का अनुमान है जिसका कारण यह है कि हथकरघा क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है और संगठित क्षेत्र की कताई क्षमता में तेजी से वृद्धि करने के लिए व्यवस्था की गई है। इन संभावनाओं के आधार पर सूती कपड़े और क़लिम वस्त्र की आंतरिक मांग का अनुमान लगाया गया है। सूती कपड़े के निर्यात

की मांग को भी ध्यान में रखा गया है और इस प्रकार 1978-79 में कुल मांग अनुमानित उत्पादन स्तर के बाराबर ही है।

3.19. 1978-79 में रेलों द्वारा माल ढुलाई के अनुमानों में रेलों द्वारा कोयले, इस्पात संपर्कों के लिए कच्चे माल और वहां से तैयार माल, निर्यात की जाने वाली लोह अयस्क की ढुलाई और खाद्यान्नों, उर्वरकों, पैट्रोलियम तथा अन्य स्नेहक, सीमेंट और रेल सामग्री जैसी कुछ प्रमुख जिन्सों की ढुलाई भी शामिल है। रेलों द्वारा इस तरह की जिन्सों की ढुलाई की मात्रा के अनुमान पिछली अवधि की प्रवृत्तियों के आधार पर भी निकाले गए हैं। संचालन की स्थिति में सुधार की संभावनाओं को देखते हुए यह उम्मीद है कि रेलों इतनी मात्रा में (2600 लाख टन) माल की ढुलाई कर सकेंगी।

अध्याय 4

वित्तीय संसाधन

1. सरकारी क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय-व्यवस्था

वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से विचार-विमर्श कर पांचवीं योजना के संसाधनों का पुनः विश्लेषण किया गया है। सरकारी क्षेत्र में योजना के प्रथम तीन वर्षों में 19396 करोड़ रुपए और आगामी दो वर्षों के लिए 19907 करोड़ रुपए के संसाधनों का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि के लिए यह राशि 39303 करोड़ रुपए होती है। ये अनुमान 1974-75 के लिए विद्यमान मूल्यों और उसके बाद के वर्षों के लिए 1975-76 के मूल्यों पर तैयार किए गए हैं। यदि 1974-75 के संसाधनों का 1975-76 के मूल्यों के आधार पर फिर से आकलन किया जाता तो इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता।

4.2. उपर्युक्त अनुमानों में इन्वेंटरियों के लिए रखा गया प्रावधान और सरकारी वित्तीय संस्थानों के उन आन्तरिक संसाधनों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनका स्थायी परिसम्पत्तियों में उन्होंने निजी विनियोजन के रूप में उपयोग किया गया है, क्योंकि पांचवीं योजना के प्रारूप तैयार करने के बाद यह निश्चय किया गया था कि इन्वेंटरी परिवर्तनों और सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनी निजी स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में किया गया विनियोजन योजना में शामिल न किया जाए। पांचवीं योजना काल में सरकारी क्षेत्र की इन्वेंटरियों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र में कुल विकास परिव्यय को देखते हुए यह राशि लगभग 42300 करोड़ रुपये हो जाएगी। धन के रूप में पांचवीं योजना प्रारूप के अनुमान से यह राशि 5050 करोड़ रुपए अधिक होगी। यदि सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनी निजी स्थायी परिसम्पत्तियों में लगाए गए आन्तरिक संसाधनों से इसका समायोजन कर दिया जाए तो यह राशि लगभग 5150 करोड़ रुपये हो जाएगी। जो भी हो, योजना प्रारूप का यह अनुमान 1972-73 मूल्यों के आधार पर लगाया गया है। यदि इसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके लिए गुंजाइश रख दी जाए तो भी वास्तविक रूप में ये संसाधन पूर्व प्रत्याशा से कम होंगे।

4.3. स्थिरता के साथ विकास को प्रोत्साहित करने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना के लिए अस्फीतिकारक तरीके से धन की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कठोर राजकोषीय अनुशासन बरता जाय, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के काम में और सुधार किया जाय, और संसाधन जुटाए जाएं और उपभोग पर खासकर समुदाय के सम्पन्न वर्ग द्वारा नियंत्रण रखा जाए। कुल मांग के कारण मद्रा का अनावश्यक विस्तार न हो, इसके

लिए मुद्रानीति को राजकोषीय नीति के अनुकूल रखना होगा। यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि विनियोजन परिव्ययों के आयोजन के साथ-साथ क्रृष्ण उपलब्ध की भी समानान्तर व्यवस्था करनी होगी, ताकि इसका सोद्देश्य उपयोग हो और उत्पादन बढ़ाने की सीमाओं के अन्दर इसे रखा जा सके। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक होगा कि योजना में अंकित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त किया जाए। संसाधन बढ़ाने और मूल्य-स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वजनिक वितरण-प्रणाली का विस्तार कर उसे सुदृढ़ करना होगा। इसके साथ-साथ आवश्यक सामान का मूल्य स्थिर करने और अल्पकालीन व स्टेबाजी के कारण मूल्यों के उतार-चढ़ाव को समाप्त करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था करनी होगी। काफी मात्रा में खाद्य भंडार और विदेशी मुद्रा का संचय होने से इस समय सरकार इस स्थिति में है कि वह मूल्य की स्थिति से संबंधित किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का कारण ढंग से सामना कर सकती है। परन्तु आर्थिक प्रवृत्तियों और विकास के सम्बन्ध में कठोर सतर्कता बरतनी होगी और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होगी ताकि आवश्यकतानुसार तुरन्त सुधार किया जा सके।

4.4. पांचवीं योजना के सरकारी क्षेत्र की वित्त-व्यवस्था की विस्तृत योजना आगामी पृष्ठ पर ही गई सारणी में बताई गई है। केन्द्र और राज्यों के पृथक्-पृथक् अनुमान अनुलग्नक 7 और 8 में दिए गए हैं।

4.5. योजना के लिए आवश्यक कुल संसाधनों में से आन्तरिक बजट संसाधनों से 32,115 करोड़ रुपए की या 81.7 प्रतिशत राशि उपलब्ध होने की आशा है। विदेशी सहायता 5834 करोड़ रुपए की या योजना परिव्यय के 14.9 प्रतिशत उपलब्ध हो सकेगी। परन्तु विनियोजन और मझौले सामान के आयात मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण विनियोजन को बनाए रखने के लिए वास्तविक केन्द्रीय सहायता का योगदान इस गणना से कम ही होगा। बाकी, 3.4 प्रतिशत योजना परिव्यय की व्यवस्था घाटे की वित्त-व्यवस्था से की जाएगी। वित्त-व्यवस्था के प्रत्येक शीर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां नीचे दी जा रही हैं।

वर्तमान राजस्व शेष

4.6. 1973-74 की कराधान दरों के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास पहले तीन वर्षों में वर्तमान राजस्व से योजना के लिए 3338 करोड़ रुपए शेष के रूप में उपलब्ध होने की आशा है। यह मूल सम्भावनाओं से बहुत कम है और इसका मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों, स्कूल के अध्यापकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन, इसके बाद मूल्यों में तेजी से वृद्धि, सामग्री की अधिक लागत, अधिक मात्रा में खाद्यान्नों और निर्वातों को सहायता और क्रृष्ण सेवा के बोझ का बढ़ना है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कराधान और कराधान्तर राजस्व से भी काफी प्राप्ति हुई। परन्तु, इससे केवल योजनेतर व्यय की आंशिक रूप से पूर्ति हो सकी।

4.7. आगामी दो वर्षों में 1973-74 की कराधान की दरों के अनुसार वर्तमान राजस्व से 1563 करोड़ रुपये शेष उपलब्ध होने की आशा है। इसमें उत्पादन और आदमियों के प्रत्याशित वृद्धि के परिणामस्वरूप कराधान और कराधानेतर राजस्व की वृद्धि को भी जोड़ दिया गया है।

और योजनेतर खर्च में केवल निम्नतम वृद्धि की अपेक्षा की गई है। आवश्यक सामान के मूल्य स्थिर करने की अपरिहार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाद्य के लिए सहायता का प्रावधान वर्तमान दरों पर किया गया है।

पांचवीं योजना में वित्तीय संसाधनों का अनुमान

(करोड़ रुपए)

पांचवीं योजना प्रारूप	पहले तीन वर्षों में 1974 से 77 तक	आगामी दो वर्षों में 1977 से 79 तक	संशोधित पांचवीं योजना	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. आन्तरिक बजट संसाधन	33807	15208	16907	32115
1. 1973-74 की कराधान दरों पर वर्तमान राजस्व से बढ़ाया	7348	3338	1563	4901
2. 1973-74 के किराए और भाड़े पर सरकारी उद्यमों का साकल अधिशेष	5988	624	225	849
(क) रेलवे	649	(—) 1005	(—) 813	(—) 1818
(ख) डाक व तार	842	181	199	380
(ग) अन्य	4497	1448	839	2287
3. सरकार, सरकारी उद्यमों और स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण	7232	3030	2849	5879
4. छोटी बचत	1850	1092	980	2022
5. राज्य भविष्य निधि	1280	1050	937	1987
6. वित्तीय संसाधनों से आवधिक ऋण (निवल)	895	340	288	628
7. बैंकों से वाणिज्यिक ऋण	1185	1	1	1
8. स्थायी परिस्थितियों में निजी विनियोजना के लिये सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के आन्तरिक संसाधन	90	1	1	1
9. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (निवल)	1089	(—) 556	(—) 1112	556
10. अतिरिक्त संसाधन जुटाना	6850	6290	8403	14693
(क) केन्द्र	4300	3773	4721	8494
(1) 1974-75 के उपाय	—	3773	3821	7594
(2) 1977-79 के उपाय	—	—	900	900

1. पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार करने के बाद, यह निश्चय किया गया था कि इन संसाधनों और परिव्ययों के बराबर राशि योजना में शामिल न की जाए।

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
(ख) राज्य	2550	2517	3682	6199
(1) 1974-77 के उपाय	--	2517	2981	5498
(2) 1977-79 के उपाय	--	--	701 ²	701 ²
11. विदेशी मुद्रा संचित राशि के उपयोग के बदले में उधार	--	--	600	600
2. विदेशी सहायता (निवल)				
(क) तेल तथा विशेष ऋणों के अलावा	2443	2526	2400	5834
(ख) तेल और विशेष ऋण	—	908	—	
3. घाटे की वित्त व्यवस्था	1000	754	600	1354
4. कुल संसाधन	37250	19396	19907	39303

2. कराधानों और अन्य सरकारी देयताओं में अच्छी प्राप्ति और योजनेतर व्यय में बचत करने से संचित कुल राशि शामिल है।

4. 8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1973-74 की कराधान दरों के अनुसार, पांचवीं योजना के लिए 4901 करोड़ रुपए की राशि होगी जबकि मूल अनुमान के अनुसार 7348 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होने की आशा थी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों व उनके उद्यमों ने पांचवीं योजना प्रारूप में लक्षित राशि से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयत्न किया है। इसका ब्यौरा अलग से दिया गया है।

रेलवे का अंशदान

4. 9. किराये और भाड़े की 1973-74 की दरों के अनुसार, पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में विकास कार्यक्रम में रेलवे का अंशदान (-) 1005 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मूल प्रत्याशाओं की तुलना में रेलवे के अंशदान में जो इतनी कमी आई उसका कारण यातायात का धीमी गति से विकास, रेलवे कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करने के कारण कार्य-संचालन व्यय में वृद्धि और ईंधन, स्टोरों के मूल्यों में वृद्धि व व्याज की ऊंची दर।

4. 10. भाड़ा यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आशा है कि 1978-79 में जा कर यह लगभग 2600 लाख टन हो जाएगा, जबकि 1976-77 में इसका अनुमान 2300 लाख टन है और कार्य संचालन की कुशलता भी बढ़ेगी। इस प्रकार 1973-74 के किराये और भाड़े के अनुसार रेलवे का अंशदान आगामी दो वर्षों में (-) 813 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार पांचवीं योजना के कार्यों के लिए कुल अंशदान (-) 1818 करोड़ रुपये होगा। परन्तु रेलवे ने योजना के प्रथम तीन वर्षों में जो कार्रवाई की है उसके परिणामस्वरूप पांचवीं योजना काल में 2393 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। इसलिए वर्तमान किराये व भाड़े की दरों के अनुसार योजना में रेलवे का अंशदान 575 करोड़ रुपए का होगा। रेलवे के भाड़े और किराये के संशोधन से जो आमदनी होगी उसका हिसाब अलग से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अन्तर्गत किया गया है।

डाक व तार का अंशदान

4. 11. 1973-74 की दरों के अनुसार योजना के पहले तीन वर्षों में डाक व दूर संचार शुल्क का अनुमान 181 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। डाक कर्मचारियों, के वेतनों में संशोधन करने और डाक व तार द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री के मूल्य-वृद्धि का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है। अगले दो वर्षों में अंशदान की यह राशि 199 करोड़ रुपये होगी और इस प्रकार पांचवीं योजना काल में यह कुल राशि 380 करोड़ रुपये की होगी। यदि डाक व दूर-संचार की दरों में संशोधन करने के कारण डाक तार को जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा उसको भी हिसाब में लिया जाए तो योजना में कुल अंशदान 1114 करोड़ रुपए का होगा।

अन्य सरकारी उद्यमों का अंशदान

4. 12. योजना के पहले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के गैर-विभागीय उद्यम का अंशदान 1615 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। क्षमता का अच्छा उपयोग और संचालन की कुशलता बढ़ने के कारण उनके कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। यह मानकर कि इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी रहेगी वर्तमान मूल्य-नीतियों के आधार पर आगामी दो वर्षों में उनका अंशदान 1375 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार पांचवीं योजना का कुल अंशदान 2990 करोड़ रुपये होगा।

4. 13. राज्य सरकार के उद्यमों, मुख्यतः राज्य बिजली बोर्डों और सड़क परिवहन निगमों का अंशदान 1973-74 के शुल्क और दरों के अनुसार योजना के पहले तीन वर्ष में (-) 167 करोड़ रुपये होगा। विद्युत् का सम्भावित उत्पादन और विद्युत् व सड़क यातायात में वृद्धि को देखते हुए आगामी दो वर्षों में इस अंशदान की राशि (-) 536 करोड़ रुपये होगी और इस प्रकार समस्त पांचवीं योजना अवधि में यह कुल राशि (-) 703 करोड़ रुपए होगी। पांचवीं योजना प्रारूप में दिए गए अनुमानों की तुलना में अंशदान में जो भी कमी आई उसका कारण स्थापना लागत तेजी से बढ़ने और ईंधन, अतिरिक्त पुर्जों और अन्य सामग्री की अधिक लागत है। परन्तु ये उद्यम और संसाधन जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं और पांचवीं योजना अवधि में इससे 2364 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। इस राशि का हिसाब अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अन्तर्गत लिया गया है।

बाजार ऋण

4. 14. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य उद्यमों और स्थानीय निकायों ने योजना के पहले तीन वर्षों में जो ऋण लिया उसका अनुमान 3030 करोड़ रु० है। बैंक जमा अगर जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि के विनियोजनीय संसाधनों को देखते हुए आगामी दो वर्षों में ऋण की यह राशि 2849 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें सरकार का बैंकों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में जमा होने वाली राशि का अधिक मात्रा में विनियोजन होने की संभावना की गई है क्योंकि इन वर्षों में खाद्य भण्डारों के लिए अतिरिक्त बैंक ऋणों की आवश्यकता कम पड़ने की संभावना नहीं है। फिर भी जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह आवश्यक होगा कि वाणिज्यिक क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ऋण-विस्तार की दिशा में कठोर

अनुशासन व संयम बरता जाय। बैंक व्यवस्था के कारण अधिक मुद्रा प्रसार पर लचीली और सामयिक मुद्रा नीति के द्वारा उसे नियंत्रित करना होगा। इसी प्रकार खाद्य निगम से बैंक के पास वापिस आने वाली राशि पर मुद्रा प्रबन्ध की समस्त समस्या के अंग के रूप में विस्तार करना होगा। किसी भी स्थिति में अप्राथमिक या अनावश्यक कामों के लिए बैंक ऋण का विस्तार नहीं होने दिया जाएगा।

छोटी बचत

4.15. योजना के प्रथम तीन वर्षों में छोटी बचत से प्राप्त कुल राशि 1092 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्तमान परिस्थितियों और अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए अगले दो वर्षों का अनुमान 930 करोड़ रुपये लगाया गया है। छोटी बजत बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्न करने होंगे।

राज्य भविष्य निधि

4.16. योजना के पहले तीन वर्षों में राज्य भविष्य निधियों से कुल 1050 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। आगामी दो वर्षों में यह राशि 937 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें अनिवार्य जमा की विस्तृत योजना के अन्तर्गत महंगाई भत्ते की वर्तमान वर्ष के अन्तर्गत वापस ली गई किस्त को भविष्य निधि में ब्याज सहित जमा करने की राशि भी शामिल कर ली गई है।

वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण

4.17. पहले तीन वर्षों में इस प्रकार के ऋण 340 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। आगामी दो वर्षों में राज्य बिजली बोर्डों व जल पूर्ति और जल निकासी स्कीमों को जीवन बीमा निगम से दिए जाने वाले ऋण का हिसाब चालू वर्ष के आवंटनों का हिसाब 10 प्रतिशत विकास की दर मान कर लगाया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम के ऋणों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। आगामी दो वर्षों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में आवास के लिए राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का अनुमान वर्तमान वर्ष के स्तर पर अस्थायी रूप में लगाया गया है। वास्तविक आवंटन का निश्चय वार्षिक योजना तैयार करते समय जीवन बीमा निगम से विचार-विमर्श करके किया जाएगा। सहकारी समितियों की शेयर पूँजी में भागीदार बनने के लिए रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला ऋण निश्चय इस सम्बन्ध में राज्यों की आवश्यकताओं पर किया जाएगा। आगामी दो वर्षों के लिए कुल ऋण का अनुमान 485 करोड़ रुपये किया गया है। अदायगियों के लिए राशि अलग कर कुल ऋण 288 करोड़ रुपये का होगा। इस आधार पर पांचवीं योजना काल में कुल ऋण 628 करोड़ रुपये होगा।

विविध पूँजीगत प्राप्तियां

4.18. बजट शीर्षों के अनेक शीर्षों के अन्तर्गत शुद्ध प्राप्तियों और वितरण का स्पष्ट परिणाम देखा जा सकता है। प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं से ऋण की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य गैर-सरकारी भविष्य निधियों से विशेष जमा तथा अन्य जमाओं व निधियों में सकल जमा, जबकि ऋण का वितरण मुख्यतः राज्य व्यापार परिव्यय समेत योजनेतर

कार्यों और पूँजीगत परिव्ययों के लिए किया जाना है और ये काम योजना में शामिल नहीं है। वर्ष 1976-77 के अनुमानों में वार्षिक जमा पर रिजर्व बैंक से 480 करोड़ रुपये का विशेष ऋण भी जोड़ा गया है।

4.19. यह उल्लेखनीय है कि ग्राम विद्युतीकरण निगम को दिए जाने वाले ऋणों और अन्य सहायता का हिसाब सकल विविध पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत शामिल कर योजनेतर वितरण के रूप में लिया जाता है। परन्तु जहां इस निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को राज्यों के योजना संसाधनों के अंश के रूप में लिया जाता है, वहां केन्द्र से इसे दी जाने वाली सहायता योजनेतर मानी जाती है जिससे दो बार इस संख्या को हिसाब में न लिया जा सके।

4.20. योजना के प्रथम तीन वर्षों में, पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत आने वाली विविध मदों पर 556 करोड़ रुपये लगाने की संभावना है। इसका कारण वह है कि उर्वरक व्यापार पर बहुत खर्च होना, हानियों को पूरा करने के लिए सरकारी उद्यमों को काफी मात्रा में ऋण देना और ग्राम विद्युतीकरण निगम और खाद्य निगम को बजट से सहायता।

4.21. आगामी दो वर्षों में सकल विविध पूँजीगत प्राप्तियों की राशि का अनुमान 1112 करोड़ रुपये है। इसमें अनिवार्य जमा, कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य गैर-सरकारी भविष्य निधियों आदि की विशेष जमा राशियों को भी जोड़ लिया गया है तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम को आवश्यक बजट सहायता की भी व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना अवधि में कुल सकल विविध पूँजीगत प्राप्तियों का हिसाब 556 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस प्रकार केन्द्र को 2222 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और राज्यों को 1666 करोड़ रुपये अदा करने होंगे। राज्यों द्वारा दी जाने वाली अदायगियों में केन्द्र से लिए गए ऋण की अदायगी भी है। इसके साथ-साथ काफी मात्रा में योजनेतर अदायगियां करने पर भी केन्द्र की भी अधिकांश प्राप्तियों में अनिवार्य जमा राशियों और भविष्य निधियों की विशेष जमा राशियों से संभावित प्राप्तियां हैं।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

4.22. पांचवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उनके उद्यमों ने जो उपाय (इनमें कृतिपय वे भी शामिल हैं जिन्हें अभी लागू किया जाना है) अपनाए उनसे 13,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक राशि प्राप्त होने की आशा है। यह राशि योजना प्रारूप में अंकित 6850 करोड़ रुपए की राशि के दुगुने से कुछ ही कम है (अनुलग्नक 9) वृद्धि का केन्द्र और राज्य दोनों भागीदार हैं।

4.23. वित्त-व्यवस्था की योजना में आगामी दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार और उसके उद्यमों द्वारा 900 करोड़ रुपए (राज्यों के भाग सहित) और जुटाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारें तथा उनके उद्यम 701 करोड़ रुपए के और संसाधन जुटाएंगे। इसमें कुछ वह राशि भी शामिल है जो करों व अन्य सरकारी देयताओं के अच्छे संग्रह और योजनेतर खर्च में बचत करने से प्राप्त होगी।

4.24. केन्द्र में अप्रत्यक्ष करों पर भी कुछ भरोसा करना होगा। कृतिपय नीति सम्बन्धी उद्देश्यों जैसे विलासितापूर्ण खर्च पर रोक, दुर्लभ साधनों का मितव्ययिता से उपयोग और कुछ कामों में आकस्मिक लाभ को खर्च न करने देना आदि की प्राप्ति के लिए इन करों को सोच विचार कर

उपयोग में लाना होगा। मूल्य और लागत का ठीक प्रकार से सामंजस्य किया जा सके इसके लिए सरकारी उद्यमों की मूल्य-नीति को युक्तिसंगत बनाना होगा। वस्तुओं पर चयनात्मक वृद्धि से कर लगाने और वस्तुओं के मूल्यों के साथ उसका तालमेल बिटाने से उसमें मामूली वृद्धि की संभावना है और उस पर भी अग्र समस्त मुद्रा प्रसार को नियंत्रित रखा गया तो सामान्य मूल्य स्तर पर उसका कोई खास असर नहीं हो सकता। इसके अलावा अतिरिक्त संसाधन जुटाने का दूसरा तरीका घटे की अर्थ-व्यवस्था है। इस प्रकार कार्रवाई करने से अपरिहार्य रूप से मूल्य-वृद्धि होगी और इसका समाज के कमज़ोर वर्ग पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे अर्थों में, अतिरिक्त कराधान और इसका समाज के कमज़ोर वर्ग पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

4.25. हाल में, केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय अप्रत्यक्ष करों की वर्तमान संरचना की समीक्षा करने और इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशें कराधान के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार इस संरचना को युक्ति संगत बनाने और सुधारने में सहायक होंगी।

4.26. राज्यों के मामले में, कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता है और इसकी गुंजाइश भी है। कृषि विकास पर काफी ज्यादा सरकारी विनियोजन करने पर भी इन विनियोजनों के लिए वित्त-व्यवस्था में कृषकों ने तंदनुरूप अपने अंशदान में वृद्धि नहीं की है। भू-राजस्व की औसत दर बहुत कम अर्थात् 6 रुपए प्रति एकड़ है। इसके अलावा यह प्रणाली प्रगति-शील भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय संस्थानों ने जो धन जुटाया है वह भी बहुत कम है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और आय बढ़ने तथा मुख्य कृषि उत्पादनों के लिए गारंटीशुदा समर्थन मूल्य मिलने पर कृषि क्षेत्र और खासकर सम्पन्न ग्रामीण समुदाय से यह अपेक्षा करनी उचित ही है कि वे विकास कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने में अधिक मात्रा में अंशदान करें। इसलिए कृषि क्षेत्र पर कर लगाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है।

4.27. सिचाई की दरों और बिजली के शुल्क में संशोधन करना भी आवश्यक है। सिचाई कार्यों पर राज्य सरकारें काफी ज्यादा नुकसान उठा रही हैं। वर्ष 1976-77 में वाणिज्यिक सिचाई पर 235 करोड़ रु० का नुकसान होने का अनुमान है। कुछ राज्यों में सिचाई से इतनी भी प्राप्ति नहीं होती कि उसके कार्य-संचालन का खर्च पूरा कर सकें। ब्याज की अदायगी और हास की व्यवस्था की बात ही नहीं उठती। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लाभ उठाने वाले किसानों को राज सहायता देना। सम्पन्न किसान ही राज सहायता से अधिक लाभान्वित होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सिचाई कार्यों से होने वाली हानि को धीरे-धीरे कम करने और अंत में पूरी तरह से समाप्त करने के लिए समुचित उपाय किए जाएं।

4.28. अनेक राज्य बिजली बोर्ड भी काफी नुकसान उठा रहे हैं। वर्ष 1975-76 में 15 राज्य बिजली बोर्डों को 130 करोड़ रुपए की हानि होने की अनुमान है। शुल्क में फिर से संशोधन करने के बावजूद भी 12 राज्य बिजली बोर्डों को वर्तमान वर्ष में 106 करोड़ रुपए ही कुल हानि होने की संभावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन हानियों को कम करने के लिए बिजली के शुल्क में वृद्धि करने समेत समुचित उपाय अपनाए जाएं जिससे विद्युत् परियोजनाओं पर हुए विनियोजन से समुचित दर पर लाभ प्राप्त किया जा सके। जहां कहीं सम्भव हो राज सहायता कम करने या उसे समाप्त करने के लिए ग्रामीण बिजली पूर्ति की दरों की भी समीक्षा की जाए।

4.29. कुछ राज्यों में सङ्क परिवहन निगम भी नुकसान में चल रहे हैं या मामूली लाभ पर चल रहे हैं। किराये की दरों में समुचित संशोधन कर उनके राजस्व में समुचित वृद्धि करना आवश्यक है। इसके अलावा, राजस्व के अन्य संसाधनों की भी अधिक तीव्रता और कारगर ढंग से पता लगाना होगा।

विदेशी मुद्रा संचय के उपयोग के आधार पर ऋण प्राप्त करना

4.30. विदेशी मुद्रा की स्थिति काफी संतोषप्रद है और संचित राशि में काफी वृद्धि हो गई है। इसलिए यह बांछनीय है कि आगामी दो वर्षों में इस संचित राशि से 600 करोड़ रुपए निकालने होंगे ताकि योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकें। तदनुसार विदेशी मुद्रा संचित राशि से 600 करोड़ रुपए निकालने की बजाए इन वर्षों में रिजर्व बैंक से 600 करोड़ रुपए के ऋण लेने की व्यवस्था योजना में की गई है। अतिरिक्त आयात का भी सावधानीपूर्वक सुनियोजित ढंग से व्यवस्था करनी होगी जिससे आधारभूत क्षेत्रों में विनियोजन क्षमताएं बढ़ाने में सहायता मिले और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर किए जा सकें। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में आयात को प्रभावित किया जा सकता है इस बात की बारीकी से जांच करनी होगी और इस पर बराबर निगरानी भी रखनी होगी। परन्तु नीति में मुख्य बल आवश्यक सामग्री के सूल्यों को स्थिर करने पर दिया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार आयातित सामग्री की बिक्री से लाभ न भी हो और कुछ मामलों में राज सहायता भी देनी पड़े फिर भी यह विदेशी मुद्रा संचय के उपयोग से योजना को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध वृद्धि के रूप में सिद्ध होगा। आयातित सामग्री के बिक्री मूल्य देसी सामान के मूल्य के बराबर ही रहे इस बात का ध्यान रखना होगा ताकि देसी सामान के हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार मूल्यों में बनावटी हास नहीं होगा और देश के उत्पादक भी निरुत्साहित नहीं होंगे।

4.31. यहां पर यह बताना आवश्यक है कि उपर्युक्त कार्य-नीति सामान्य वर्षों के बारे में है। यदि किसी वर्ष अच्छी फसल नहीं हुई और काफी मात्रा में अनाज और कच्चे माल का आयात करना आवश्यक हो जाए तो अन्य प्रकार के सामान के आयात में समुचित संशोधन करना होगा।

विदेशी सहायता

4.32. तेल के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ने और उर्वरक और खाद्यान्नों जैसी कुछ अन्य महत्व-पूर्ण सामग्री का आयात-मूल्य तेजी से बढ़ने के कारण 1974-75 में भारत के भुगतान संतुलन पर भारी प्रभाव पड़ा जिसके कारण बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता लेनी आवश्यक हो गई। उक्त वर्ष तेल के लिए, लिए गए ऋण सहित (परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाला गया धन और तेल सुविधा का उपयोग जिन्हें सरकारी बजट में नहीं दिखाया गया है को, छोड़ कर) यह राशि 758 करोड़ रुपए थी। इसके अगले वर्ष, तेल के लिए लिए गए ऋण और ईरान से विशेष सहायता समेत विदेशी सहायता की कुल राशि 1389 करोड़ रुपए हो गई। इस बजट वर्ष में 1287 करोड़ रुपये की इस प्रकार की सहायता का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार योजना के पहले तीन वर्षों की यह राशि 3434 करोड़ रुपए होती है। भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं के आधार पर आगामी दो वर्षों में इस राशि का अनुमान 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष या कुल 2400 करोड़ रुपए लगाया गया है। पांचवीं योजना में विदेशी सहायता का अनुमान 5834 करोड़ रुपए होगा।

घाटे की वित्त-व्यवस्था*

4.33. पांचवीं योजना अवधि के प्रारम्भ से ही घाटे की वित्त-व्यवस्था में काफी कमी कर दी गई है। 1974-75 में यह राशि 654 करोड़ रुपए थी, इसका अधिकांश भाग आयातित अनुमान और उर्वरक जो कि भण्डार में है पर खर्च हुआ। ये दोनों चीजें विदेशी मुद्रा संचय से धन निकाल कर विदेशों में खरीदी गई और इनकी अदायगी का मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी घाटा पछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम था—1973-74 में 848 करोड़ रुपए, 1972-73 में 484 करोड़ रुपए और 1971-72 में 710 करोड़ रुपए। इससे मुद्रास्फीतिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायता मिली। वर्ष 1975-76 में वस्तुतः 206 करोड़ रुपए का अधिशेष रहा। इससे मूल्यों को स्थिर करने में सहायता मिली। इस वर्ष के बारे में 306 करोड़ रुपए के घाटे के अद्यतन अनुमान लगाए गए हैं। इस आधार पर पहले तीन वर्षों का जोड़ 754 करोड़ रुपए होता है।

4.34. आगामी दो वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की घाटे की वित्त-व्यवस्था का अनुमान है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यदि उसके मुताबिक अर्थ-व्यवस्था का अल्पकालीन और मध्यकालीन प्रबन्ध किया गया तो घाटे की इस वित्त-व्यवस्था से किसी प्रकार के स्फीतिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं। खाद्यान्नों का काफी बड़ा भण्डार होने और विदेशी मुद्रा की सुविधाजनक स्थिति होने से सरकार मूल्यों को स्थिर बनाए रखने की अच्छी स्थिति में है। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए यह आवश्यक है कि परिवर्तित आर्थिक स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जाए।

केन्द्रीय सहायता

4.35. पहले तीन वर्षों में राज्यों को आवंटित केन्द्रीय सहायता की राशि 3131 करोड़ रुपए है। पहले दो वर्षों में केन्द्रीय सहायता की राशि 1973-74 के स्तर पर बनाई रखी गई और 1976-77 में सिक्किम को छोड़कर प्रत्येक राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई। सिक्किम को आवश्यकता का तखमीना लगाकर सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, आधारभूत क्षेत्रों में योजना परिव्यव योजना की अपरिहार्य आवश्यकताओं के लिए धन सुलभ करने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों के अन्तर को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता दी गई। वर्ष 1975-76 में चुनी हुई सिचाई और बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अग्रिम योजना सहायता दी गई। छठ वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक प्रकोपों के कारण राज्यों द्वारा किए जाने वाले राहत कार्यों के सम्बन्ध में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए भी अग्रिम योजना सहायता दी जा रही है।

4.36. समस्त पांचवीं योजना में कुल केन्द्रीय सहायता की राशि 6000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस आधार पर पहाड़ी और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों व उत्तर-पूर्व परिषद् को 450 करोड़ रुपए आवंटित होने की आशा है। इसके अलावा यह भी उचित ही प्रतीत होता है कि राज्यों में जिन राज्य योजना स्कीमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक से सहायता

*घाटे की वित्त-व्यवस्था के यहाँ दिए गए आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक को भारत की क्रणप्रस्तता (अल्पकालीन व दीर्घ-कालीन दोनों) के परिवर्तन से सम्बन्धित हैं।

लैकर धन उपलब्ध किया जा रहा है उनके लिए राज्यों को सहायता देने के लिए कुछ राशि अलग से रख दी जाए। राज्य सरकारों का कहना है कि इस प्रकार की स्कीमों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक इस बात पर बज दे रहा है कि इन पर वे निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कुछ खर्च करें। इस तरह राज्य बजटों को योजना अवधि में उन्हें अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है जबकि विदेशी सहायता की राशि केन्द्रीय बजट में जाती है। विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हुए पिछले वर्ष यह निश्चय किया गया था कि जिन राज्य योजना परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक सहायता दे रहा है उसके 25 प्रतिशत के बराबर की रकम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दी जाए। बाकी योजना अवधि में भी यह वांछनीय होगा कि जिन राज्य योजना परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक सहायता के रूप में धन दे रहा है उनके लिए राज्यों को 15-25 प्रतिशत तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाए। परन्तु यह सहायता राज्यों की अपने संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर, समस्त पांचवीं योजना अवधि में इस काम के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि रखनी काफी होगी। बाकी 5450 करोड़ रुपए की राशि गाडगिल सूत्र के अनुसार अद्यतन आकलन पर राज्यों को आवंटित करने का प्रस्ताव है।

4. 37. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर, असम व नागालैंड को एक मुश्त आवंटन किया गया था। तदनुसार, पांचवीं योजना अवधि में इन राज्यों और हिमाचल प्रदेश, अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य व सिक्किम को, जो गाडगिल सूत्र बनाने के बाद राज्य बने एक मुश्त आवंटन करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि गाडगिल सूत्र के अनुसार अद्यतन गणना कर बाकी राज्यों में वितरित कर दी जाएगी। इस काम के लिए पहले तीन वर्षों 1970-71 से 1972-73 की तीन वर्षों की अवधि के बारे में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक आंकड़े सुलभ किए हैं। इस आधार पर राज्य कुल योजना अवधि में जिस राशि के हक्कदार होंगे उसमें उनको अग्रिम योजना सहायता के रूप में दी गई सहायता का समायोजन कर दिया जाएगा ताकि आगामी दो वर्षों में उन्हें दी जाने वाली राशि का निश्चय किया जा सके।

4. 38. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि आगामी दो वर्षों में केन्द्रीय सहायता की 8 प्रतिशत राशि परिवार नियोजन में किए गए कार्य के अनुसार राज्यों को देने के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है। मुख्यतः इस प्रकार से धनराशि मुक्त करने को विनियमित किया जा सकेगा। कुछ लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पायेंगे और इस प्रकार इस राशि में कुछ बचत होगी। इस बच्ची हुई राशि को अन्य राज्यों में बांट दिया जाएगा। यह राशि बहुत छोटी होने की आशा है और इससे वित्त-व्यवस्था की स्कीम पर कोई खास प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं।

4. 39. केन्द्रीय सहायता समेकित अनुदान और ऋणों के रूप में दी जा रही है। सहायता की वर्तमान प्रणाली जारी रखने का प्रस्ताव है, अर्थात् 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण। पहाड़ी राज्यों और पहाड़ों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए उदार प्रणाली आरम्भ की गई है।

2. बचत और विनियोजन

4. 40. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संशोधित अनुमानों में कुल 63751 करोड़ रुपए के विनियोजन की व्यवस्था है। योजना परिव्यय और संसाधनों के अनुसार ही वर्ष 1974-75 के

अनुमान उस वर्ष के मूल्यों पर आधारित है, जबकि उसके बाद के वर्षों के अनुमान 1975-76 के मूल्यों पर आधारित है। इस विनियोजन के लिए आन्तरिक बचत से 58320 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। और 5431 करोड़ रुपए विदेशी सहायता से प्राप्त होंगे। इस प्रकार 91 प्रतिशत विनियोजन आन्तरिक बचत से उपलब्ध होगा, जबकि चौथी योजना में इसका अनुमान 84 प्रतिशत लगाया गया था।

4. 41. सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस विनियोजन का वितरण इस प्रकार है:—

सरकारी क्षेत्र	36703 * करोड़ रुपए
निजी क्षेत्र	27048 करोड़ रुपए
जोड़	63751 करोड़ रुपए

*इन्वेंटरियां सम्मलित हैं।

4. 42. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सरकारी क्षेत्र में कुल 39303 करोड़ रुपए का योजना प्रावधान किया गया है। इसमें से 5700 करोड़ रुपए वर्तमान विकास व्यय को दर्शाते हैं और 33603 करोड़ रुपए विनियोजन के हैं। यदि इस राशि में इन्वेंटरियों में विनियोजित की जाने वाली अनुमानित 3000 करोड़ रुपए की राशि और सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनी निजी स्थायी परिसम्पत्तियों में विनियोजित की जाने वाली 100 करोड़ रुपये की राशि भी जोड़ दी जाए तो सरकारी विनियोजन की कुल राशि 36703 करोड़ रुपये होती है। इस प्रकार पांचवीं योजना के कुल विनियोजन का लगभग 58 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में होगा और बाकी 42 प्रतिशत निजी क्षेत्र में होगा।

आन्तरिक बचत

4. 43. उत्पादन क्षेत्रों द्वारा आन्तरिक बचत के अनुमानों का विस्तृत व्यौरा अनुलग्नक-10 में दिया गया है। सारांश इस प्रकार है:—

उत्पादन क्षेत्रों के अनुसार आन्तरिक बचत

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र (०)	बचत (१)
1. सरकारी क्षेत्र	15028
(क) केन्द्रीय और राज्य बचत	8536
(ख) केन्द्रीय और राज्य गैर-विभागीय उद्यम	6492
2. वित्तीय संस्थान	1263
(क) भारतीय रिजर्व बैंक	841
(ख) अन्य	422
3. निजी क्षेत्र	42029
(क) निजी निगम वित्तेतर क्षेत्र	5373
(ख) सहकारी क्रषेत्र संस्थान	175
(ग) आन्तरिक क्षेत्र	36481
4. कुल आन्तरिक बचत	58320

कुल 58320 करोड़ रुपये की आन्तरिक बचत में से लगभग 27 प्रतिशत राशि का जो 15994 करोड़ रुपये होती है, योगदान सरकारी क्षेत्र करेगा। सरकारी क्षेत्र में सरकारी प्रशासन, विभागीय और अविभागीय प्रतिष्ठान और सरकारी वित्तीय संस्थान आते हैं। बाकी लगभग 73 प्रतिशत निजी क्षेत्र करेगा जिसमें निगमित उद्यम, सहकारी उद्योग और घरेलू उद्योग आते हैं। आन्तरिक बचत की औसत दर 1973-74 के मूल्यों के अनुसार 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 14.4 प्रतिशत से और 1978-79 में 1975-76 के मूल्यों के अनुसार 15.9 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर सीमान्त बचत की दर, 1973-74 की आन्तरिक बचत के अनुमान 1975-76 के मूल्यों के अनुसार परिवर्तित कर 26 प्रतिशत होने का अनुमान है।

4.44. पांचवीं योजना की आधारभूत कार्यनीति सरकारी क्षेत्र में उच्च दर पर बचत करने की विरन्तर चलती रहेगी। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र में जो बचत 1973-74 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 2.5 प्रतिशत थी, उसके 1978-79 में बढ़कर कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 4.6 प्रतिशत होने की संभावना है। तदनुसार, जो अंकन की दृष्टि से काफी ज्यादा लगभग 40 प्रतिशत अधिक है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात से 1973-74 के 11.9 प्रतिशत से 1978-79 में मामूली घट कर 11.3 प्रतिशत रह जाने की सम्भावना है। सरकारी और निजी प्रयोजन आय और बचत के अनुमानों का ब्यौरा अनुलग्नक 11 और 12 में दिया गया है। क्षेत्रवार बचत के अनुमान नीचे दिए जा रहे हैं:—

मूल क्षेत्र के अनुसार आन्तरिक बचत 1973-74 और 1978-79 में

क्षेत्र	बचत (करोड़ रुपए)		करोड़ रुपये उपर का प्रतिशत	
	1973-74	1975-76	1973-74	1978-79
	के मूल्यों के	के अनुसार		
	अनुसार	1978-79		
	1973-74	में		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. सरकारी क्षेत्र	1423	4045	2.5	4.6
(1) सरकार	772	2704	1.4	3.1
(2) स्वशासी सरकारी उद्यम	651	1341	1.1	1.5
2. निजी क्षेत्र	6824	9868	11.9	11.3
(1) निगमित	821	1268	1.4	1.4
(2) सहकारी	65	95	0.1	0.1
(3) घरेलू	5938	8505	10.4	9.8
3. जोड़	8247	13913	14.4	15.9

सरकारी बचतें

4.45. विभागीय उद्यमों सहित सरकारी प्रशासन क्षेत्र की कुल बचत पांचवीं योजना अवधि में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। स्पष्ट रूप से जो सरकारी प्रयोज्य आय 1973-74 में 6241 करोड़ रुपये थी, उसके 1978-79 में

बढ़कर 13297 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि योजना अवधि में सरकारी बचतें 772 करोड़ रुपए से 2704 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

स्वशासी सरकारी उद्यम

4.46. स्वशासी सरकारी उद्यमों की बचतों में सुरक्षित लाभ और इन उद्यमों का सुरक्षित लाभ शामिल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में सरकारी क्षेत्र विनियोजन का काफी विस्तार हुआ है। इन उद्यमों से प्राप्त होने वाला लाभ शैनै: शैनै: बढ़ रहा है। परन्तु यह आवश्यक है कि ये उद्यम विनियोजन के अनुरूप आन्तरिक बचत में योगदान करें। सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि इन उद्यमों की बचत जो 1973-74 में 651 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1.1 प्रतिशत था 1978-79 में 1341 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1.5 प्रतिशत हो जाएगा।

निजी क्षेत्र में विनियोजन और बचत

4.47. इस क्षेत्र की बचत से निजी क्षेत्र विनियोजन को 27048 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध होने की संभावना है। अनुमानों का व्यौरा नीचे दिया जा रहा है:—

(0)	(1)	राशि (करोड़ रुपये)
1. निजी बचत		42326
(1) निगमित		5373
(2) सहकारी (ऋणोत्तर)		175
(3) घरेलू		36481
(4) वित्तीय संस्थान		297
2. अन्य क्षेत्रों की सकल हस्तान्तरण		15278
(1) घरेलू क्षेत्र		15086
(2) विदेशों से		192
3. कुल संसाधन		
उपलब्ध (1-2)		27048

सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में विनियोजन के लिए धन हस्तान्तरित करने से इन संसाधनों में वृद्धि होगी। इन प्रकार के हस्तान्तरणों के लिए सरकारी क्षेत्र के योजना परिव्यय में व्यवस्था की गई है।

निजी निगमित बचतें

4.48. निजी निगमित बचतें जो 1973-74 में 821 करोड़ रुपए थी उसका 1978-79 में बढ़ कर 1268 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है अर्थात् 9 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि व्याज की दर से वृद्धि। सुरक्षित लाभों और हास का अनुमान इस क्षेत्र में कुल मूल्य के जोड़ और कुल निधारित विनियोजन में वृद्धि के आधार पर तैयार किए गए हैं।

4.49. सुरक्षित लाभों से कुल निजी निगमित बचतों का लगभग 37 प्रतिशत प्राप्त होगा और बाकी 63 प्रतिशत की पूर्ति हास प्रावधान से की जाएगी। निम्नलिखित सारणी में 1973-74 से 1978-79 तक निजी निगमित बचतों की वृद्धि का पता लगता है।

(0)	बचत (करोड़ रुपये)		कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत	
	1973-74 1978-79		1973-74 1978-79	
	(1)	(2)	(3)	(4)
सुरक्षित लाभ		337	467	0.6 0.5
हास		484	801	0.8 0.9
जोड़		821	1268	1.4 1.4

घरेलू बचत

4.50. घरेलू क्षेत्र की बचतों में, वित्तीय परिसम्पत्तियों की सकल वृद्धि और वास्तविक परिसम्पत्तियों के निर्माण में लगाया गया प्रत्यक्ष विनियोजन आता है। पांचवीं योजना अवधि में वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की सकल बचत 18835 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जैसा कि नीचे बताया गया है:—

पांचवीं योजना अवधि में परिवारों की सकल वित्तीय परिसम्पत्तियों से वृद्धि

(0)	राशि (करोड़ रुपये)
	(1)
1. जमा	12213
(1) वाणिज्यिक बैंक	10438
(2) सहकारी समितियां	1045
[(3) बैंक-ए-तर कम्पनियां	680
(4) आवाधिक वित्तीय संस्थान	30
(5) निजी निगमित वित्तीय कम्पनियां	20
2. मुद्रा	1216
3. जीवन बीमा निगम—जीवन निधि	2186
4. भविष्य निधि	5062
(1) कर्मचारी भविष्य निधि	2522
[(2) राज्य भविष्य निधि	1987
[(3) अन्य	553
5. निजी निगमित और सहकारी अंश पूँजियां और युनिटों सहित ऋणपत्र	657
6. सरकारी दायित्व—छोटी बचत, ऋण, जमा और विविध मदे	3746
7. कुल वित्तीय परिसम्पत्तियों में कुल वृद्धि	25080
8. वित्तीय दायित्वों की बढ़ोतरी में कमी	(-) 6245
9. वित्तीय परिसम्पत्तियों में सकल वृद्धि	18835

कुल वित्तीय परिसम्पत्तियों और दायित्वों के विभिन्न क्षेत्रों में दर्शाई गई अनुमानित वृद्धि अद्यतन रिपोर्ट, अन्य उपलब्ध आंकड़ों और पूर्वकाल में खेती गई प्रवृत्तियों पर आधारित है।

4.51. घरेलू क्षेत्र की वास्तविक परिसम्पत्तियों में प्रत्यक्ष रूप से कितना विनियोजन हुआ है इसके अनुमान निर्माण, मशीनरी और उपस्कर तथा भण्डारों में परिवर्तन के अन्तर्गत कुल पूँजी निर्माण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने जो कार्य-पद्धति तैयार की है उसके आधार पर लगाया जाता है और उसमें से विभिन्न क्षेत्रों सरकारी, निगमित, सहकारी, विदेशों और घरेलू वित्त-व्यवस्था से होने वाली बचतों को घटा दिया गया है। निर्माण में विनियोजन के अनुमान क्षेत्र में सामग्री के रूप में निवेश और बढ़े हुए मूल्य और विनियोजन के मध्य सम्बन्धों को देखकर, लगाए गए हैं। आंकड़ों की कमी और संकल्पनाओं की कमी के कारण, केवल श्रमिकों के निवेश से किया जाने वाला कच्चा निर्माण कार्य इस हिसाब में नहीं लिया गया है। मशीनरी और उपस्कर में अनुमानित विनियोजन का सम्भावित स्तर तक भरपूर उपयोग पर आधारित है। भंडारों के परिवर्तनों के अनुमान स्थायी विनियोजन इन्वेंटरी आवश्यकताओं के मध्य सम्बन्ध को देखकर तैयार किए गए हैं और अन्य उपलब्ध सूचकों से उनकी प्रति जांच की गई है। पांचवीं योजना अवधि में वास्तविक परिसम्पत्तियों में घरेलू बचतों का अनुमान 17646 करोड़ रुपये लगाया गया है।

विदेशों से प्राप्ति

4.52. भुगतान संतुलन के चालू लेखा घाटे की पूर्ति के लिए विदेशों से 5431 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका विवरण इस प्रकार है:—

	राशि (करोड़ रुपये)
(०)	(१)
प्राप्तियां	
1. कुल विदेशी सहायता } 2. वाणिज्यिक ऋण } 3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (सकल)	9052
4. ऋण सेवाओं के बारे में अदायगियां	(+) 115
5. दूसरे देशों को सहायता	(-) 2465
6. अन्य	(-) 494
7. संचित धन में परिवर्तन-वृद्धि (—)	(-) 473
सकल देनदारी	(-) 304
	5431

3. भुगतान संतुलन

1974-75 की समीक्षा

4.53. चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में निर्यात में तेजी से वृद्धि की जो गति रही, वह पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में भी जारी रही। वर्ष 1974-75 में निर्यात की राशि बढ़कर 3329 करोड़ रुपये हो गई, जो 32 प्रतिशत विकास की दर से हुआ और 1975-76 में 3942 करोड़ रुपये हो गया जोकि 18 प्रतिशत विकास की दर से हुआ। वर्ष 1974-75 में 4519

करोड़ रुपये का आयात हुआ जबकि 1973-74 में 2955 करोड़ रुपये का हुआ था। वर्ष 1975-76 में आयात फिर बढ़कर 5158 करोड़ रुपये हो गया जो कि पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत अधिक है। पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में निर्यात और आयात का विवरण क्रमशः अनुलग्नक 13 और 14 में दिया गया है।

4. 54. 1973-74 से भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है जो कि खाद्य, उर्वरक और पैट्रोल और स्नेहक (पी० ओ० एल०) के मूल्य में तेजी से बढ़ने के कारण हुआ। 1968-69 को आधार वर्ष मानकर, इन तीन वस्तुओं का यूनिट मूल्य सूचकांक बढ़कर क्रमशः 1973-74 में 182,91 और 334, 1974-75 में बढ़कर 229,173 और 736 और 1975-76 में 276,167 और 829 हो गया। करारनामों के अन्तर्गत होने वाले व्यापार में सूचकांकों में चौथी योजना के पहले चार वर्षों में सुधार दिखाई दिया और तेजी से 1972-73 के 124 के सूचकांक से घटकर आगामी तीन वर्षों में क्रमशः 106,77 और 70 रह गए।

4. 55. विदेशी मुद्रा संचित राशि के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं:—

वर्ष	कुल संचित राशि बढ़-घट	(करोड़ रुपये)
1973-74	947	
1974-75	969	+ 22
1975-76	1885	+ 916

तस्करी और गैर कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा का धन्धा करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने जो कार्रवाई की उसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में विदेशों से लोग सरकारी माध्यमों से धन भेजने लगे और इसके कारण 1975-76 में विदेशी मुद्रा संचित राशि की मात्रा काफी बढ़ गई।

पांचवीं योजना के संकेत

4. 56. पांचवीं योजना अवधि में भुगतान संतुलन के जो संशोधित संकेत हैं वे गतिशील और विकास की दर और प्रणाली को प्रभावित करने वाले सम्बन्ध घटकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। संतुलन के अनुमानों का सारांश इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)		
पांचवीं योजना प्रारूप में यथा परिकल्पित	जैसे अब तैयार किए गए हैं	
(0)	(1)	(2)
चालू लेखा	(-) 2231	(-) 5431
पूँजीगत लेखा	2231	5431
1. व्यापार		
(1) निर्यात	12580	21722
(2) आयात	(-) 14100	(-) 28524
(3) व्यापार संतुलन	(-) 1520	(-) 6802

(0)	(1)	(2)
2. सेवाएं (निवल)	94	431
3. चालू हस्तान्तरण (निवल)	326	2377
4. विनियोजन आय (निवल)		
(1) ऋण सेवा	(-) 911	(-) 1180
(2) ऋण सेवाओं के अलावा अन्य	(-) 220	(-) 257
(1) निजी पूँजी	(-) 86	(-) 210
(2) बैंक की पूँजी (निवल)		(+) 45
(3) सरकारी पूँजी	(-) 45	(-) 174
(4) ऋण सेवा	(-) 1646	(-) 2465
(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	—	(+) 115
(6) विदेशों से सहायता (निवल)	(-) 300	(-) 494
(7) निर्यात लदान और प्राप्तियों के मध्य अन्तर	(-) 100	(-) 134
(8) वाणिज्यिक ऋण (कुल)	400	
(9) विदेशी सहायता (कुल)	4008	(+) 9052
(10) विदेशी मुद्रा संचित राशि की बढ़-घट : बढ़ि (-)	—	(-) 304

पांचवीं योजना अवधि में संशोधित अनुमानों में व्यापार में 6802 करोड़ रुपये का धाटा दर्शाया गया है। अदृश्य लेन-देन (ब्याज अदायगियों सहित) 1371 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है। चालू लेखे में 5431 करोड़ रुपए का धाटा होने की संभावना है। पूँजीगत लेन-देन में 3371 करोड़ रुपये, जिनमें से 2465 करोड़ रुपए ऋण की अदायगी के हैं विदेशों की भुगतान किए जाने हैं। विदेशी सहायता और वाणिज्यिक ऋणों सहित पांचवीं योजना अवधि में 9052 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

निवल सहायता

4.57. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अब योजना अवधि में अर्थ-व्यवस्था के लिए 9052 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का अनुमान लगाया गया है। 3645 करोड़ रुपयों (1180 करोड़ रुपए ब्याज की अदायगी और 2465 करोड़ रुपए ऋणों की अदायगी) की ऋण सेवाओं के दायित्व को ध्यान में रखते हुए उपयोग में आने वाली राशि 5407 करोड़ रुपए होगी। पांचवीं योजना संकेतों में दूसरे देशों की सहायता के लिए 494 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस राशि को अलग कर, विभिन्न विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के लिए बकाया राशि 4913 करोड़ रुपए रह जाएगी।

निर्यात

4.58. पांचवीं योजना अवधि में निर्यात से 21722 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। अनुलग्नक 15 में मुख्य वस्तुओं के निर्यात का विवरण दिया गया है। वस्तुतः समस्त योजना अवधि में निर्यात कार्यों की विकास की दर 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। संशोधित संकेतों की दर योजना प्रारूप में परिकल्पित दर से अधिक है और इसका आंशिक कारण पांचवीं योजना के पहले

दो वर्षों में प्राप्त उच्च विकास की दर है। भावी विकास दरों का संकेत देते समव उच्च एकेक मूल्य वाले सामान, खासकर गैर परम्परागत निर्यात सामान जैसे सिली-सिलाई पोशाक, इंजीनियरी का सामान और चमड़े का सामान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जहां तक लोहा, इस्पात और चीनी जैसे निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के संकेतों का सम्बन्ध है इसका हिसाब संभावित क्षमता उपयोग, उत्पादन और आन्तरिक मांग और बढ़ते हुए बाजार को ध्यान में रख कर लगाया गया है। नये बाजार उपलब्ध होने के कारण चावल और चीनी के निर्यात से काफी रकम प्राप्त होने की संभावना है।

4.59. पांचवीं योजना के अन्त तक, इंजीनियरी का सामान निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण अकेली इकाई के रूप में सामने आई। इंजीनियरी के सामान के लिए काफी बड़ा बाजार बन गया है और सामग्री तथा बाजार दोनों ही रूप में इसमें काफी विवधता आई है। सूती कपड़े के मामले में सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात की मांग बनी रही, चमड़े का जहां तक सम्बन्ध है तैयार चमड़े तथा चमड़े के बने सामान का काफी मात्रा में निर्यात होने की आशा है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में लम्बी तटीय सीमा होने के कारण, हमारी क्षमता काफी ज्यादा है। आन्तरिक मांग निर्यात में कोई बाधा न होने, विश्व निर्यात तेज गति से बढ़ने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण पांचवीं योजना अवधि में निर्यात काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

4.60. परम्परागत निर्यात किए जाने वाले सामान जैसे चाय, काफी, पटसन का सामान, मसाले, नारियल जटा का सामान आदि में थोड़ी वृद्धि होने के संकेत हैं। भारतीय दस्तकारी के सामान की पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा मांग है और बाजार और संगठनात्मक प्रयासों की स्थिति अच्छी होने से विकास की दर की प्रवृत्तियों को अच्छा रूप देना सम्भव होगा।

4.61. पांचवीं योजना अवधि में निर्यात प्रोत्साहन का उद्देश्य विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है। जिन चीजों का निर्यात बिना राज-संहायता के प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है उसे प्राथ-मिकता देनी होगी और उसके उत्पादन की क्षमता भी बढ़ानी होगी।

आयात

4.62. पांचवीं योजना अवधि में अब 28524 करोड़ रुपए का आयात होने की सम्भावना है। अनुलग्नक-16 में मुख्य जिन्सों के अनुसार आयात का ब्यौरा दिया गया है। कुल आयात में से पेट्रोल और लुक्रेंट्स (पी० ओ० एल०) पर 6280 करोड़ रुपए (22 प्रतिशत); धातु के सामान, मशीनों और परिवहन उपस्कर पर 6034 करोड़ रुपए (21 प्रतिशत); इस्पात और अलौहीय धातुओं और धातुओं के टुकड़ों पर 2347 करोड़ रुपए (8 प्रतिशत); व उर्वरक और उर्वरक के लिए कच्चे माल पर 3168 करोड़ रुपए (11 प्रतिशत) खर्च होने की संभावना है। सरकारी आयातों सहित बाकी आयात में खाद्यान्नों का आयात और महत्वपूर्ण खाने-पीने की चीजों का समीकरण भण्डार (बफर स्टाक) आता है जिससे अनिश्चितता की स्थिति में उपयोग के लिए सामग्री का भंडार रखा जा सके। इस पर 10738 करोड़ रुपए की राशि (38 प्रतिशत) लगेगी। पांचवीं योजना के उत्तराधि में, वर्तमान स्तर से मशीनरी का आयात बढ़ने की सम्भावना है, बाबूजूद इसके कि देसी स्रोतों से अधिक मात्रा में मशीनरी उपलब्ध होगी। मशीनरी का आयात खासकर समुद्र तटीय तेल की खुदायी (आफ शोर ड्रिलिंग), दूर संचार, अंतरिक्ष और अन्य प्रौद्योगिकी सघन क्षेत्रों में होगा। आयातित मशीनरी और उपस्कर सूचकांक का यूनिट मूल्य 1974-75 की अपेक्षा 1975-76 में 32.7 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

4.63. आयोजन को एक महत्वपूर्ण पहलू खांडाने, खाने का तेल और कपास जैसे आम उपयोग के महत्वपूर्ण सामान का समीकरण भंडार (बफर भडार) बनाने में योगदान देना है। इस प्रकार के समीकरण भंडार पर गैर स्फीतिकारक विकास के मार्ग का अनुसरण करते हुए एक तत्व के रूप में चिन्हार किया जाना चाहिए। हाल का अनुभव इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता बताता है।

4.64. पांचवीं योजना के प्रस्तावित कार्यक्रम में चार मुख्य क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा, धारु, उर्वरक और कृषि क्षेत्र में, आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन प्राप्त करने का प्रयास तेल की खोज के विस्तृत कार्यक्रम, देश के कोयले का अधिक उपयोग और पन-बिजली क्षमता में वृद्धि कर, किया जाएगा। इस्पात के क्षेत्र में इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं कि क्षमता का अधिक उपयोग कर और क्षमता विस्तार, जिस पर काम हो रहा है के करने पर इस्पात का आयात केवल कतिपय विशेष वर्गों तक सीमित रह जाएगा। उर्वरक के उत्पादन की क्षमता के विस्तार से पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष तक उर्वरक का उत्पादन काफी घट जाएगा। उर्वरक का देश में उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की भरपूर व्यवस्था की गई है।

अदृश्य

4.65. विनियोजन आय अदायगियों और हस्तान्तरण को छोड़कर अदृश्य लेनदेन से 431 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। सेवाओं में इन मदों में से प्राप्ति की व्यवस्था इस प्रकार की गई है :

पांचवीं योजना अवधि में सेवाओं से सांकेतिक निवल प्राप्ति

(करोड़ रुपए)

	प्राप्तियां	अदायगियां	निवल प्राप्तियां
1. विदेश यात्रा	589	123	466
2. परिवहन	1097	977	120
3. बीमा	153	94	59
4. अन्यत्र शामिल नहीं की गई सरकारी प्राप्तियां	121	120	1
5. विविध	315	530	(-) 215
6. जोड़	2275	1844	431

हस्तान्तरण

4.66. निजी हस्तान्तरण प्राप्तियों (जिसमें मुख्यतः बचतों में धन देना, परिवार का खर्च, प्रवासी हस्तान्तरण, धार्मिक और धर्मार्थ संगठनों आदि के लिए प्राप्तियां) का यह 1973-74 के 142 करोड़ रुपए से 1978-79 में 557 करोड़ रुपए होने की संभावना है। पांचवीं योजना अवधि (1974-79) में इसके कारण होने वाली प्राप्तियों की राशि 2630 करोड़ रुपए होने की आशा है। 1975-76 में से काफी धन प्राप्त हुआ परन्तु समस्त योजना अवधि में प्राप्तियों का अनुमान विगत प्रचृतियों के आधार पर लगाया गया है। पांचवीं योजना अवधि में इस आधार पर 215 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। इस सम्बन्ध में निवल प्राप्ति की राशि 2415 करोड़ रुपए

आंकी गई है। यह देखते हुए कि सरकारी हस्तान्तरण (अनुदानों को छोड़कर) के अन्तर्गत 38 करोड़ रुपए की राशि विदेशों को भेजी जाएगी, पांचवीं योजना के भुगतान संतुलन अनुमानों 2377 करोड़ रुपए लगाए गए हैं।

पूँजीगत लेखा

4.67. निजी पूँजी (बैंक के अलावा) के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां रखी गई हैं। परन्तु 270 करोड़ रुपए की अनुमानित अदायगियों के कारण यह बराबर हो जाएगा। इस प्रकार पांचवीं योजना में 210 करोड़ रुपये विदेशों को जाएंगे। सरकारी पूँजी लेनदेन के कारण भी 174 करोड़ रुपयों की विदेशी अदायगी की व्यवस्था की गई है।

4.68. भारत पड़ोसी देशों को सहायता देता आ रहा है। इस काम के लिए पांचवीं योजना में 494 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो कि ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाएगी। नियर्ति लदान और सम्बन्धित विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के मध्य जो कमी रहेगी उसकी पूर्ति के लिए 134 करोड़ रुपए की विदेशी अदायगी की व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना अवधि में जिन ऋणों की अदायगी का समय आएगा उनके भुगतान के लिए 2465 करोड़ रुपए की व्यवस्था पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेनदेन में पांचवीं योजना अवधि में 155 करोड़ रुपयों की प्राप्ति होगी। बैंक 'पूँजी' के अन्तर्गत जिन अन्य प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है उनकी राशि 45 करोड़ रुपए रखी गई है।

4. सामान्य

4.69. वित्तीय संसाधनों, बचतों, विनियोजन और भुगतान संतुलन के जो अनुमान इस अध्याय में दिए गए हैं वे योजना के बाद के चार वर्षों के बारे में 1975-76 के मूल्यों पर आधारित हैं और योजना के पहले वर्ष के बारे में 1974-75 के मूल्यों पर आधारित हैं। अध्याय 2 और 3 में दिए गए निवेश/उत्पादन के माडल 1974-75 के मूल्यों पर आधारित हैं। यद्यपि 1975-76 में देश में मूल्य 1974-75 के मूल्यों की अपेक्षा कुछ कम थे परन्तु आयातित वस्तुओं का मूल्य कुछ अधिक रहा। खासकर 1975-76 और 1974-75 में देश में उपलब्ध मशीनरी और उपस्कर के मूल्य की अपेक्षा आयात की जाने वाली मशीनरी और उपस्कर मूल्य बड़ी तेजी से बढ़ा। योजना की वृहद् आर्थिक संतुलनों का जो व्यौरा दिया गया है उसमें व्यापार के प्रतिकूल प्रभावों को भी लिया गया है।

अध्याय 5

योजना परिव्यय और विकास कार्यक्रम

1. योजना परिव्यय

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र में 37250 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। अब 39303 करोड़ रुपए के संशोधित योजना परिव्यय का अनुमान लगाया गया है जिसमें आकस्मिक व्ययों के लिए प्रावधान नहीं है।

सरकारी क्षेत्र परिव्यय

5.2. 37250 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय को बढ़ा कर न केवल 39303 करोड़ कर दिया गया है बल्कि योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए 19401 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले अगले दो वर्ष के लिए 19902 करोड़ रुपए का परिव्यय भी रखा गया है।

5.3. विकास के मुख्य मदों के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय का व्यौरा इस प्रकार है :—

पांचवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय-1974—79

(करोड़ रुपए)

(0)	पांचवीं योजना प्रारूप	संशोधित		पांचवीं योजना
		1974-77	1977-79	
1. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम	4935.00	2130.19	2513.40	4643.59
2. सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2681.00	1651.50	1788.68	3440.18
3. विद्युत्	6190.00	3513.05	3780.85	7293.90
4. उद्योग तथा खनन	9029.00	5205.35	4995.25	10200.60
5. परिवहन तथा संचार	7115.00	3552.67	3328.76	6881.43
6. शिक्षा	1726.00	587.77	696.52	1284.29
7. आर्थिक और सामान्य सेवाओं सहित सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं जिस में शिक्षा शामिल नहीं है	5074.00	2322.42	2444.35	4766.77

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
8. पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी परिषद स्कीमें	500.00	177.50	272.50	450.00
9. वितरण अभी किया जाना है		260.44	66.29	326.73
10. जोड़	37250.00 ²	19400.89	19886.60 ¹	39287.49 ¹

योजना के शेष वर्षों के लिए परिव्यय निम्नलिखित मुख्य बातों पर आधारित है :—

1. पांचवीं योजना के प्रारूप में रखी गई योजना प्राथमिकताओं को उयों का त्यों रहने दिया गया है।
2. चालू परियोजनाओं/स्कीमों के लिए परिव्यय का निर्धारण वर्तमान और भविष्य की मांग, पिछले कार्यों, हाल ही में पूरे होने वाले कार्यक्रमों तथा लागत में वृद्धि के आधार पर किया गया है।
3. 1981-82 के लिए और कुछ मामलों में 1983-84 के लिए मांग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए नए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए व्यवस्था की गई है जिसमें ऐसे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनको तैयार किए काफी समय हो गया है; और
4. निवेश केवल लाभदायक न हों परन्तु उनसे पर्याप्त लाभ होना भी सुनिश्चित हो सके, यह देखने का प्रयास भी किया गया है। राष्ट्रीय लक्ष्यों, राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों और उनकी तैयारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन, विद्युत सिचाई और शिक्षा के क्षेत्रों में लक्ष्यों का सुझाव दिया गया था।
5. 4. सिचाई और बांट-नियंत्रण, विद्युत् और उद्योग तथा खनिजों के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना में कृषि शिक्षा, और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर संशोधित परिव्यय कम है, परन्तु योजना के प्रथम तीन वर्षों की अपेक्षा अंतिम दो वर्षों के लिए परिव्यय अधिक है।

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

5.5. 1 जुलाई, 1975 को प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की थी। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के विभिन्न भागों, विशेष रूप से ऐसे भागों का निर्धारण कर लिया गया है जिन्हें वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों को प्राथमिकता दी

1. इसमें 16 करोड़ रुपए की वह राशि शामिल नहीं की गई जिसके लिए क्षेत्रवार व्यौरा नहीं दिया गया है।
2. इसमें क्षेत्रवार व्यौरे में 203 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है जो बाद में जोड़ी गई है।

गई है। योजना के शेष दो वर्षों 1977-79 के लिए और पांचवीं योजना के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के परिव्यय नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपए)

	1975-76 प्रत्याशित	1976-77 अनुमोदित परिव्यय	1977-79 प्रस्तावित परिव्यय	कुल
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	119.01	163.71	757.06	1039.78
राज्य और संघ शासित क्षेत्र	1850.68	2173.97	5334.67	9359.32
कुल	1969.69	2337.68	6091.73	10399.10

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के विभिन्न भागों से संबंधित 1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय अनुलग्नक 21 और 22 में दिया गया है।

कुल परिव्यय

5.6. क्षेत्रों, मंत्रालयों, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के अनुसार परिव्यय का वितरण 17-20 तक के अनुलग्नकों में दिया गया है। संक्षेप में संशोधित योजना परिव्यय इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

1. केन्द्रीय क्षेत्र	19954.10
2. राज्य	18265.08
3. संघ शासित क्षेत्र	634.06
4. पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र	450.00
जोड़	39303.24

2. कृषि और सिंचाई

5.7. कृषि उत्पादन : खाद्यान्न, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों, सिंचित क्षेत्रों तथा अन्य वास्तविक कार्यक्रमों के भावी संकेतों की प्राप्ति के लिए जो पढ़ति अपनाई गई है उसे वृद्धि की दर और प्रणाली के अध्याय में स्पष्ट किया गया है। ये अनुमान उस वर्ष के औसत मौसम से सम्बन्धित हैं। मौसम के प्रभाव की विभिन्नताओं के लिए प्रत्येक राज्य योजना में थोड़ी अधिक मात्रा में प्रावधान किया गया है जिससे कि यदि देश का कुछ भाग प्रभावित भी हो तो कुल उत्पादन में अधिक कमी न हो। यदि परिव्ययों का सही उपयोग किया गया और सभी राज्यों में मौसम भी अनुकूल रहा तो कुल उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक है और कुल उत्पादन निम्नलिखित सारणी के अनुसार हो सकता है:—

(दस लाख टन, दस लाख हैक्टर)

मद	1973-74 का स्तर	अनुमानित अधिकतम उत्पादन
(0)	(1)	(2)
खाद्यान्न (दस लाख टन)	104.07	132.9
पांच मुख्य तिलहन (दस लाख टन)	8.9	12.6
गन्ना (दस लाख टन)	140.8	173.5

(0)	(1)	(2)
कपास (दस लाख गाठे-170 कि० ग्रा०)	6. 3	9. 0
पटसन और मेस्ता (दस लाख गाठे 180 कि० ग्रा०)	7. 7	7. 7
अधिक उपज देने वाली किस्में (दस लाख टन)	25. 8	40. 0
उर्वरक	2. 8	5. 0
खपत (दस लाख टन)	23. 1	31. 6
छोटी सिंचाई (दस लाख हैक्टर)		

5.8. 1974-77 में कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यों पर लगभग 2130 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। योजनावधि के अन्तिम दो वर्षों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2513 करोड़ रुपए है। क्षेत्रवार परिव्यय अनुलग्नक 23 में और राज्यवार निर्धारण अनुलग्नक 24 में दिया गया है।

5.9. डी० पी० ए० पी०, छोटी सिंचाई, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन और वितरण, आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के निष्पादन की विशेष जांच की गई है और आवश्यक प्रावधान किया गया है। खारी और अम्लीय भूमि के सुधार तथा पौध संरक्षण कार्यक्रमों के लिए रख गए परिव्यय उपयुक्त रूप से बढ़ा दिए गए हैं। खाद के कार्बोनिक साधनों के विकास पर भी बल दिया गया है और वाइयोसैसी संयंत्र लगाने के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। विस्तार सेवाओं को बढ़ाने के लिए और मनी किट बीज कार्यक्रमों में तीव्रता लाने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है। भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र में भी प्रावधान किया गया है।

सिंचाई

5.10. पांचवीं योजना अवधि में कुल सिंचाई क्षमता 131 लाख हैक्टर किए जाने की सम्भावना है अर्थात् 'बड़ी तथा मध्यम' के अन्तर्गत 58 लाख हैक्टर तथा 'लघु' के अन्तर्गत 73 लाख हैक्टर। कुछ समायोजनों के साथ अतिरिक्त क्षमता 110 लाख हैक्टर से अधिक होनी चाहिए।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई

5.11. पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 1474 करोड़ रुपए के व्यय होने की संभावना है। प्रत्येक परियोजना में हुई प्रगति पूरे होने वाले नए कार्यक्रमों, अतिरिक्त नियन्त्रण क्षेत्र विकास और लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना के शेष दो वर्षों के लिए 1621 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। नागर्जुन सागर, शारदा सहायक, राजस्थान नहर, मालप्रभा और कडाना जैसी परियोजनाओं के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गई जिससे कि वहां कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके। कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों के आश्वासनों और कुछ अन्तरराज्यीय परियोजनाओं के लिए इसके बावर धन-राशि दिए जाने के राज्यों के उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखा गया है।

5.12. योजना की अवधि में नए कार्य आरम्भ करने के लिए 1013 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। नई परियोजनाओं का चुनाव करते समय उन परियोजनाओं को प्राथमिकता

दी गई है जो सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों में स्थित है। राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों और हाल ही में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर पांचवीं योजना की अवधि में 58 लाख हैक्टर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त किए जाने की संभावना है। परिव्ययों और उपलब्धियों का राज्य-वार व्यौरा अनु-लग्नक 25 और 26 में दिया गया है।

5.1.3. कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई स्कीमों विशेष रूप से उन स्कीमों के आधुनिकीकरण पर योजना आयोग विशेष बल देता रहा है जो योजना की अवधि से पहले पूरी हो चुकी है। गोदावरी बराज, ताजेवाला और ओखला बराज और भीमगोडा हैड/वक्स जैसी कुछ स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

लघु सिंचाई

5.1.4. योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए राज्यों को उपलब्ध किए गए परिव्ययों के अनुसार इस अवधि में लगभग 34 लाख हैक्टर की अधिकतम क्षमता प्राप्त किए जाने की संभावना है। योजना के भावी दो वर्षों में जो प्रावधान किया गया है वह योजना के प्रथम तीन वर्षों के लगभग वरावर है।

भूमि तथा जल संरक्षण

5.1.5. मुख्य जलाशयों के नदी घाटी अपवाह क्षेत्रों के संरक्षण के उपायों के कार्यक्रम और अन्य भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम विलम्ब से आरम्भ किए गए। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पांचवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए परिव्ययों में पर्याप्त विद्धि की गई है। कुछ राज्यों में संस्थागत क्रृषि सहायता से भी भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं और वास्तविक निष्पादन के लक्ष्य प्राप्त किए जाने की सम्भावना है।

क्षेत्र विकास

5.1.6. सिंचाई जल के अधिकतम उपयोग और मुख्य सिंचाई कार्य के चुने हुए नियन्त्रण क्षेत्रों से उपलब्ध हुई क्षमता के उपयोग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आरम्भ करने में भी समय लगा। अब नियन्त्रण क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसलिए योजना के प्रथम तीन वर्षों के परिव्ययों की अपेक्षा शेष दो वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में प्रावधान लगभग 22 प्रतिशत अधिक होगा। प्रत्येक राज्य में प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र में किए गए प्रावधान के अनुरूप है।

कृषि वित्तीय संस्थाओं में पूँजी निवेश

5.1.7. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक संस्थागत पूँजी दी जा रही है जिससे कम सरकारी क्षेत्र परिव्ययों से अधिक वास्तविक उपलब्ध होगी। तदनुसार कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम की सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में पर्याप्त बजट व्यवस्था की गई है जो पांचवीं योजना के प्रारूप में रखे गए परिव्यय की अपेक्षा लगभग 55 प्रतिशत अधिक है। राज्य क्षेत्र में कृषि वित्त संस्थाओं में पूँजी लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है जो लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। कुछ राज्यों में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में योजना के शेष दो वर्षों के लिए

सहकारी स्वरूप और व्यवस्था के विस्तार के लिए और भूमि विकास बैंकों द्वारा क्रृष्ण देने के कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रावधान किया गया है जो योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए उपलब्ध परिव्ययों की अपेक्षा लगभग 62 प्रतिशत अधिक है। कुल निवेश परिव्यय बढ़ाकर 129 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसका अधिक भाग लघु सिंचाई क्षेत्र से लगेगा। इससे अधिक निवेश प्राप्त होना चाहिए और केन्द्रीय/राज्य भूमिगत जल बोर्डों का विस्तार होना चाहिए।

वनोद्योग

5.18. वनोद्योग विकास को इमारती लकड़ी और इंधन का साधन और प्राकृतिक पारिस्थितिक तत्त्व को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम मान लिया गया है—इस बात को देखते हुए सामाजिक उपयोग के लिए वनोद्योग और किफायती वनरोपण के विशेष कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। तदनुसार योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए रखे गए परिव्यय की अपेक्षा शेष दो वर्षों के लिए लगभग दुगुना परिव्यय रखा गया है। 'प्रोजेक्ट टाइगर' और नेशनल पार्कों के विकास के लिए तथा वनोद्योग क्षेत्र में अनुसन्धान कार्यक्रम के विस्तार के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

पशुपालन तथा डेरी उद्योग

5.19. छोटे व मझौले तथा कृषि श्रमिकों के माध्यम से विशेष पशुपालन विकास कार्यक्रम आरम्भ करने में कुछ समय लगा। सघन पशु विकास परियोजना, सघन श्रण्डा व मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्र, भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र और तरल दूध संयंत्र, दूधजन्य पदार्थों की फैक्टरियों जैसी उत्पादनकारी परियोजनाओं के अन्तर्गत सब मिलाकर सभी लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। 148 जिलों में छोटे व मझौले किसानों तथा कृषि श्रमिकों के माध्यम से संकर नसल के बछड़ों के पालन के लिए 85 आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 57 मुर्गी पालन परियोजनाएं, 45 सूअर पालन परियोजनाएं और 38 भेड़ पालन परियोजनाएं हैं। मेघालय, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, उड़ीसा और केरल राज्यों में 'ग्रामेशन फ्लड' परियोजना के दूसरे चरण के रूप से दूध उत्पादन एवं विपणन की समेकित परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। विदेशी पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना करके और कृतिम गर्भधान के सघन उपाय करके पशुओं के संकरण पर बल दिया जाता रहेगा। पशु-प्लेग और मुह तथा खुर की बीमारियों की रोकथाम के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मत्स्योद्योग

5.20. कुछ परियोजनाएं आरम्भ किए जाने में विलम्ब हुआ है, परन्तु नावों के यन्त्रीकरण, मछली के अंडों के उत्पादन और मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों के विकास के सभी लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। छोटे उद्यमियों और सहकारी समितियों को विशेष रूप से सहायता करने के लिए एक विशेष मत्स्यनौका निधि बनाई जाएगी जिससे वे मत्स्यनौकाएं खरीद सकें और समुद्री मात्स्यकी के लिए उनका उपयोग कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्योद्योग के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों का उपयोग करने के लिए राज्यों में मछली पालक विकास अभियान बनाए जाएंगे।

5.21. मत्स्योद्योग के संसाधनों का पता लगाने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदत्त पेलेजिक मत्स्योद्योग परियोजना जारी रखी जाएगी और इस स्कीम का पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी दोनों तटों तक विस्तार किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में वीरावल और मगरौल दो मत्स्यग्रहण बन्दरगाहों के आसपास एक समेकित मत्स्योद्योग परियोजना शुरू की जाएगी। केन्द्रीय समुद्री मत्स्योद्योग अनुसन्धान केन्द्र को अनुसन्धान के लिए एक पोत दिया जाएगा।

अनुसन्धान और शिक्षा

5.22. कर्मचारियों की भर्ती पर रोक के कारण योजना के प्रथम तीन वर्षों में कम व्यय की प्रवृत्ति रही है। इसके बावजूद फार्म स्तर तकनीक के विकास में नए परिवर्तन लाने के लिए फसल उत्पादन और पशुपालन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान प्राथमिकताओं को बनाए रखा गया है। विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से समन्वित अनुसन्धान कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक नया अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया है। कपास अनुसन्धान को बढ़ाने के लिए और फार्म के औजारों, उपकरणों तथा मशीनरी से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यक्रमों का विकास करने के लिए नए संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों के सहयोग से जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। नए कृषि विश्वविद्यालय बनाकर शैक्षिक कार्यक्रमों का और विस्तार किया गया है, जिनकी संख्या अब 21 है और ये 16 राज्यों में हैं।

सहकारिता

5.23. सहकारी स्वरूप और व्यवस्था के विस्तार की वांछनीयता को देखते हुए कृषि स्थिरीकरण निधि, जिन केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी पुनःस्थापना और प्रगतिशील राज्यों में सहकारी ऋण संस्थानों को सहायता देने के लिए प्रावधान पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। इसलिए पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए रखे गए परिव्ययों की अपेक्षा 1977-79 के लिए रखा गया संशोधित परिव्यय लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, जनजातीय क्षेत्रों में एल० ए० एम० पी० एस० तथा कृषक सेवा समितियां बनाकर सहकारी ढांचे के विस्तार के लिए राज्य क्षेत्र में पर्याप्त प्रावधान रखे गए हैं। लघु सिंचाई, भूमि-विकास तथा निवेशों की पूर्ति के लिए ऋण कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

बाढ़ नियंत्रण

5.24. प्रथम तीन वर्षों में प्रत्याशित व्यय 177.69 करोड़ रुपये होने की संभावना है। भावी दो वर्षों (1977-79) के लिए 167.59 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है (अनुलग्नक-27)।

5.25. पटना शहर बचाव कार्य, उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्य, जम्मू व कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण और जल विकास कार्य, पंजाब में जल निकास कार्य, पश्चिमी बंगाल में लोअर दामोदर सिस्टम का सुधार और उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण कार्य जैसी कुछ

महत्वपूर्ण स्कीमों हैं। प्रावधान में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्य भी शामिल है जिसके लिए केन्द्रीय क्षेत्र में प्रावधान किया गया है।

5.26. केरल में समुद्री कटाव को रोकने के कार्यों और उड़ीसा में रेंगाली बांध से सम्बन्धित बाढ़ नियंत्रण की लागत का हिस्सा बांटने में भी केन्द्र सहायता कर रहा है। सिचाई विभाग में बाढ़ के सम्बन्ध में पूर्व सूचना देने की जो व्यवस्था आरम्भ की गई है उसकी लागत भी इससे पूरी होगी।

3. विद्युत्

5.27. चौथी योजना की अवधि में विद्युत् उत्पादन क्षमता में 4280 मैगावाट की वृद्धि हुई और कुल स्थापित क्षमता 18456 मैगावाट हो गई। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में क्षमता में 3524 मैगावाट वृद्धि की गई और परियोजना प्राधिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप 1976-77 में 2387 मैगावाट क्षमता बढ़ने का अनुमान है। प्रथम तीन वर्षों में उत्पादन परियोजनाओं पर लगभग 2145 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमान है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में विद्युत् उत्पादन क्षमता में कुल लगभग 12500 मैगावाट वृद्धि हो जाएगी। पांचवीं योजना के पूरा होने तक निष्पादनाधीन परियोजनाओं से लगभग 6000 मैगावाट क्षमता और बढ़ाई जाएगी। अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि निर्माण और प्रबोधन (देखभाल) तकनीकी में काफी सुधार किया जाना चाहिए।

5.28. विद्युत् से सम्बन्धित पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय जारी स्कीमों को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया है। परिव्यय निर्धारित करते समय प्रत्येक विद्युत् उत्पादन परियोजना की अद्यतन लागत, प्रमुख निर्माण कार्यों में प्रगति की स्थिति, उपकरणों के प्राप्त होने के कार्यक्रम और कार्यान्वयन में अनुभव होने वाले किसी भी प्रकार के अभावों को ध्यान में रखा गया है। अंतर्राजीय और बहुराजीय पारेषण लाइनों, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना और उन्हें बढ़ाने और वितरण प्रणाली पर विनियोजन करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पारेषण और वितरण में होने वाली बरबादी के कम होने की संभावना है। विदेशी सहायता के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। ग्राम विद्युतीकरण का काम भी पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों की तुलना में काफी बढ़ जाएगा। राज्यों को विद्युतीकरण स्कीम के लिए वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त होने की सभी संभावना है। पम्प सैटों को बिजली से चलाने के काम में तेजी लाई जाएगी। पांचवीं योजना की अवधि में लगभग 13 लाख टम्ट सैटों को बिजली मिल जाएगी। प्रथम तीन वर्षों में 6.3 लाख पम्प सैटों को बिजली दी गई थी। पांचवीं योजना की अवधि में और 81,000 गांवों में बिजली लग जाएगी।

5.29. छठी योजना की अग्रिम कार्यवाही की रूपरेखा बनाते समय, छठी योजना के पूरा होने के समय बिजली की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि क्षमता के उपयोग में सुधार जो पांचवीं योजना में परिलक्षित हुआ है और वितरण में बरबादी की मात्रा में कमी की प्रवृत्ति को आगे भी बनाए रखा जाएगा। क्षेत्रीय ग्रिडों के सुदृढ़ीकरण, प्रत्येक भार प्रेषण केन्द्र और अधिकतम भार में संतुलन बढ़ाने और क्षेत्र में एकीकृत संचालन द्वारा और जहां आवश्यक हो क्षेत्रों के मध्य सहयोग द्वारा इन केन्द्रों के उपयुक्ततम उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन सब स्थितियों पर विचार करके कई नए तापीय और पन-बिजली परियोज-

नाएं आरंभ करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र में सुपर तापीय बिजलीघर के लिए भी प्रावधान किया गया है। परियोजना तैयार करने, निर्माण की अवधि और लागत में वृद्धि के सम्बन्ध में राज्यों के विचार मालूम किए गए थे। कई राज्य नई विद्युत परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए तैयार हो गए हैं।

5.30. उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति सुविधाजनक रहेगी। किन्तु पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिकतम मांग और ऊर्जा की मांग को देखते हुए कमी बनी रहेगी।

5.31. विद्युत प्रणाली के संचालन और रख-रखाव की सुविधाओं, विद्युत उपकरणों के परिक्षणों की सुविधाओं और भूतापीय और 'टिडल' शक्ति जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के परिव्ययों को बढ़ा दिया गया है।

5.32. विभिन्न श्रेणियों के संशोधित परिव्यय का सारांश इस प्रकार है:—

पांचवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपए)

मद	राज्य	संघीय क्षेत्र	केन्द्र	जोड़	पांचवीं योजना प्रारूप
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) .
1. विद्युत उत्पादन	3722.71	6.52	665.24	4394.47	3323.81
2. पारेषण और वितरण	1897.73	78.78	104.74	2081.25	1634.27
3. ग्राम विद्युतीकरण					
(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राज्य योजना	360.54	10.74	—	371.28	698.24
(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम	314.02	—	—	314.02	400.00
4. सर्वेक्षण और अन्वेषण	74.92	2.72	55.24	132.88	133.68
5. जोड़	6369.92	98.76	825.22	7293.90	6190.00

5.33. पांचवीं योजना में स्थापित की गई या स्थापित की जाने वाली उत्पादन स्कीमों का विवरण अनुलग्नक-28 में दिया गया है। स्थापित क्षमता का क्षेत्रवार व्यौरा अनुलग्नक-29 में दिया गया है।

4. उद्योग और खनिज

5.34. अर्थ-व्यवस्था पर दबाव और नियंत्रणों के कारण औद्योगिक वृद्धि की दर कम रही — 1974-75 में 2.5 प्रतिशत और 1975-76 में 5.7 प्रतिशत। फिर भी कुछ बुनियादी उद्योगों, जैसे इस्पात, कोयला, सीमेंट, अलौह धातु और बिजली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। यात्री मोटर कारों, उपभोक्ता स्थाई सामग्री और सूती वस्त्र जैसे कुछ उद्योगों के उत्पादन में कमी कुछ ज्यादा ही हुई।

5.35. इस स्थिति को सुधारने के लिए गए कुछ उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार हैं। रुई पीने, मुख्य दवाओं और औद्योगिक मशीनरी आदि के 21 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है। जहां तक 29 चुने हुए उद्योगों का संबंध है, विदेशी तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियों सहित मौजूदा युनिटों को बिना रुकावट के अपनी स्थापित क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इंजीनियरी की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए 15 इंजीनियरी उद्योगों को 5 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि अथवा वास्तव में योजना अवधि में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने की सुविधा दी गई है। औद्योगिक संस्थानों की स्थापना करने और अपनी अर्जित सम्पत्ति को चुने हुए उद्योगों में लगाने के लिए अनधिकारी भारतीयों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आई० डी० बी० आई० और अन्य संस्थानों के संसाधनों को भी बढ़ाये जाने का विचार है। 1975-76 की अन्तिम तिमाही में प्राप्त औद्योगिक उत्पादन और निवेश के विकास की गति को बनाये रखने के लिए अब स्थितियां अनुकूल हैं।

5.36. आबंटनों में संशोधन करने, परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और अधिक समय तक चलने वाली नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उचित कार्रवाई को ध्यान में रखा गया है। पांचवीं योजना के प्रारूप में 13528 करोड़ रुपये के परिकल्पित परिव्यय की तुलना में संशोधित परिव्यय 16,660 करोड़ रुपये का रखा गया है, जो इस प्रकार है:—केन्द्र और राज्यों के सरकारी क्षेत्रों के लिए 9660 करोड़ रुपये और गैर-सरकारी और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 7000 करोड़ रुपये।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र

5.37. योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल की गई परियोजनाओं और कार्यक्रम की विस्तृत सूची अनुलग्नक-30 में दी गई है। सरकारी क्षेत्र में कुछ प्रमुख उद्योगों का विस्तृत व्यौरा नीचे दिया गया है:—

प्रमुख उद्योगों के लिए परिव्यय

उद्योग	परिव्यय	उद्योग	परिव्यय
1. इस्पात	1675	7. अलौह धातुएं	468
2. उर्वरक	1533	8. लोह अयस्क (कुदरे/मुख परि-	
3. कोयला (लिम्नाइट सहित)	1147	योजना सहित)	513
4. तेल अन्वेषण शोधन और वितरण	1575	9. कागज और अखबारी कागज	203
5. पेट्रोरसायन	349	10. सीमेंट	102
6. मशीनरी और इंजीनियरी उद्योग	365	11. वस्त्रोदय	104
		12. जहाज निर्माण	147

5.38. चुने हुए उद्योगों के योजना में उत्पादन के परिकल्पित लक्ष्य अनुलग्नक 31 में दिए गए हैं। पांचवीं योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक औसत दर 7 प्रतिशत होने की आशा है। योजना के पहले 2 वर्षों में विकास की दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण शेष तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर को 9 से 10 प्रतिशत तक बनाये रखना होगा।

इस्पात

5.39. परिष्कृत हलके इस्पात की आंतरिक मांग 1978-79 तक लगभग 7.75 मी० टन होने का अनुमान है, जबकि छोटे इस्पात संयंत्रों और री-रोलरों से 1.06 मी० टन उत्पादन को मिलाकर 8.8 मी० टन उत्पादन होने की आशा है। यद्यपि कुछ विशेष प्रकार के इस्पात को आयात करने की आवश्यकता होगी, परन्तु कुल मिलाकर देश अब विशुद्ध रूप से इस्पात को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है।

5.40. बोकारो में 1.7 मी० टन तक की प्रावस्था 1976 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है। जून, 1979 के अन्त तक कोल्ड-रोलिंग मिल के अलावा इस संयंत्र (प्लांट) से उत्पादन 4.0 मी० टन तक बढ़ जाने की आशा है। भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता 4.0 मी० टन तक बढ़ाने का कार्य दिसम्बर, 1981 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस्को (आई० आई० एस० सी० ओ०) संयंत्र की पुनर्स्थापना और उसके आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं।

5.41. इस्पात उद्योग में दीर्घावधि को ध्यान में रखते हुए, विस्तार और विकास के लिए विभिन्न विकल्पों के संबंध में विचार किया जा रहा है।

अलौह धातुएं

5.42. आशा है कि कोरबा संयंत्र सम्बद्ध निर्माण सुविधाओं से पांचवीं योजना की समाप्ति से पहले 100,000 टन अल्यूमीनियम की अपनी पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाएगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान क्षमता को मिलाकर इसकी कुल क्षमता 325,000 टन हो जाएगी जो कि आंतरिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगी।

5.43. खेतड़ी तांबा कम्पलैक्स चालू होने पर इसकी वर्तमान प्रगालन (स्प्रेलिंग) क्षमता 57,000 टन वार्षिक हो गई है। मलंज खंड और राखा में खनन परियोजनाओं के विकास और बिहार क्षेत्र में तांबा की खानों के विस्तार के लिए न्यवस्था की गई है। 1978-79 तक आंतरिक अयस्क से 37,000 टन तांबा तैयार करने का लक्ष्य योजना में निर्धारित किया गया है।

5.44. देवरी प्रगालक का विस्तार कार्य पूरा होने पर (45,000 टन) और विजाग (30,000 टन) में नए प्रगालक की स्थापना का कार्य पूरा होने पर 1978-79 तक जस्ता उत्पादन की क्षमता बढ़कर 95,000 टन हो जाने की आशा है।

5.45. अलौह धातु और सहायक सुविधाओं के विकास के लिए शामिल विभिन्न स्कीमों के लिए योजना में 468 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इंजीनियरी उद्योग

5.46. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विद्युत उत्पादन उपस्कर के उत्पादन और सुविधाओं की व्यवस्था का कार्यक्रम पूरा करने और लैम्प मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, ट्रैक्टर और घड़ियों के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादन संबंधी कार्यक्रम के वैविधीकरण के काम को पूरा करने के लिए विनियोजनों का अधिकांश भाग रखा गया है। भारी इंजीनियरी निगम में

बैर्लीसिंग की सुविधाओं के लिए और सरकार द्वारा हाथ में लिए गए इंजीनियरी संस्थानों के सुधार और वैविधीकरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

5.47. स्कूटरों के उत्पादन के क्षेत्र में विशेष प्रगति सुनिश्चित करने का विचार है। सरकारी क्षेत्र में कुछ सहायक यूनिटों को जोड़ने (असेम्बल करने) के लिए पुर्जों की पूर्ति करने वाले एक केन्द्रीय एकक (मदर यूनिट) बनाने का विचार है।

5.48. हिन्दुस्तान शिपयार्ड में प्रति वर्ष 21,600 डी० डब्ल्यू० टी० आकार के तीन जहाजों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कोचीन शिपयार्ड में 1977-78 तक प्रतिवर्ष 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० आकार के 2 जहाज बनाने की क्षमता हो जाएगी। योजना की समाप्ति से पहले ही, वर्ष में चार जहाजों तक का और विस्तार कार्य भी शुरू हो जाएगा। एक या दो नए शिपयार्डों की स्थापना का कार्य इस समय विचाराधीन है।

5.49. वैज्ञानिक आधार पर इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए बृहद योजना तैयार की जा चुकी है। इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान और विकास सहायता और परीक्षण संबंधी सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है।

उर्वरक

5.50. नेत्रजनीय (नाईट्रोजीनस) उर्वरक की स्थापित क्षमता 1978-79 तक 4.7 मिलियन टन हो जाने की आशा है। चूंकि इस क्षमता का कुछ भाग योजना के अंतिम वर्ष में ही प्राप्त होगा इसलिए उत्पादन का लक्ष्य 2.9 मिलियन टन रखा गया है।

5.51. फास्फेटिक उर्वरकों की मांग उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि कल्पना की गई थी। फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के लिए उपाय शरू किए गए हैं। फास्फेटिक उर्वरक की क्षमता के और विस्तार की योजना तैयार की जा रही है।

5.52. सरकारी क्षेत्र में परिकल्पित नए संयंत्रों के अतिरिक्त ऐसी आशा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता बढ़ जाएगी।

5.53. उर्वरक परियोजनाओं के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में 1093.28 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले में कुल 1533 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें नई उर्वरक परियोजनाओं और सहकारिता के क्षेत्र में उर्वरक परियोजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था शामिल है।

तेल और प्राकृतिक गैस

5.54. उन अधिक महत्वपूर्ण तेल वाले क्षेत्रों में जहां अधिक लाभ होने की सम्भावना है, ऐसे क्षेत्रों में अन्वेषण और उपयोग के लिए कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए संसाधनों को मुख्यतः समुद्रतट से दूरस्थ क्षेत्रों और चुने हुए समुद्रवर्ती क्षेत्रों में तेल के विकास और उत्पादन के लिए लगाया जा रहा है।

5.55. बम्बई हाई से 1980-81 तक प्रति वर्ष तेल के उत्पादन की क्षमता 100 लाख टन तक को बढ़ाने के लिए एक समय-भाजित कार्यक्रम तैयार किया गया है। संसाधनों का अधिक

से अधिक उपयोग तेल के परिवहन, परिष्करण और उपयोग तथा सम्बद्ध प्राकृतिक गैस आदि के संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

5.56. योजना प्रारूप में कच्चे तेल के उत्पादन को 1973-74 में 72 लाख टन के मुकाबले में 1978-79 में 120 लाख टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। इस समय कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 141.8 लाख टन रखा गया है।

5.57. विस्तृत कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए परिशोधित परिव्यय अब 1056 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि पांचवीं योजना के प्रारूप में यह 420 करोड़ रुपए ही रखा गया था।

तेल शोधन

5.58. योजना में शामिल किए गए तेल शोधन से संबंधित कार्यक्रम म हल्दिया तेल शोधक कारखाने का पूरा होना, कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार और मथुरा और बोंगाईगांव में शोधक कारखानों की स्थापना का काम शामिल है। ऐसी आशा है कि मथुरा के तेल शोधक कारखाने, जिसमें 1980 तक काम चालू होने का कार्यक्रम है, को छोड़कर सभी परियोजनाएं पांचवीं योजना में पूरी हो जाएंगी। पांचवीं योजना के अन्त तक तेल शोधन की क्षमता 315 लाख टन तक बढ़ाई जाएंगी। इन स्कीमों के लिए योजना में व्यवस्था की गई है।

पेट्रो-रसायन

5.59. बड़ौदा में पहला मुख्य पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स पांचवीं योजना अवधि में पूरा किया जाएगा। कम्पलैक्स की एरोमेटिक परियोजना शुरू की जा चुकी है। ओलीफाइन और अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) एककों का काम अगस्त, 1977 और अप्रैल, 1978 के बीच शुरू हो जाने की आशा है। पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड की पोलीएस्टर फिलामेंट धागा परियोजना का कार्य मार्च और जुलाई, 1977 में विभिन्न प्रावस्थाओं में शुरू होने की आशा है। उपर्युक्त स्कीमों के लिए 349 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बोंगाईगांव में तेल शोधन व पेट्रो-रसायन यूनिट को भी योजना में शामिल कर लिया गया है।

कोयला

5.60. ऊर्जा थेट्र के लिए ईंधन नीति समिति द्वारा निर्दिष्ट विस्तृत नीति के अनुरूप, पांचवीं योजना के प्रारूप में 1978-79 तक 1350 लाख टन कोयले के उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था।

5.61. अग्रिम कार्रवाई करने के लिए व्यापक कार्यक्रम जिसमें मानकीकृत संयंत्र और उपकरण की खरीद और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के साथ-साथ विभिन्न तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रशासकीय सुधार सम्मिलित हैं, के परिणामस्वरूप कोयले का उत्पादन अधिक हुआ।

5.62. तथापि कोयले की मांग उत्पादन की गति के अनुरूप नहीं रही है। कोयले का उपभोग करने वाले उद्योगों के दृष्टिकोण और वर्तमान ऊर्जा स्थिति की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं योजना अवधि के अन्त में कोयले की मांग अब 1240 लाख टन तक होने की सम्भावना है। पहले 15 लाख टन कोयला निर्यात करने की परिकल्पना की गई थी, उसकी तुलना में अब

1978-79 में 25 लाख टन कोयला निर्यात करने की व्यवस्था की गई है। मांग के नए दृष्टिकोण के अनुरूप उत्पादन कार्यक्रमों को इस प्रकार फिर से तैयार किया गया है ताकि इस के भावी विकास में रुकावट न आए।

5.63. इस लक्ष्य से भी पूर्व अनुमानित 747.60 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले में अब 1025 करोड़ रुपए के परिव्ययों की सम्भावना है। इसमें 100 लाख टन की अतिरिक्त वाशरो क्षमता की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति भी शामिल है, जिसमें से 1978-79 तक 40 लाख टन संचालन संबंधी होगा। कम तापमान वाले कार्बनिकीकरण संयंत्रों के 2 यूनिटों की भी शुरू करने का विचार है। अच्छे आवास से सम्बन्धित सुविधाओं और अन्य कल्याण कार्यों आदि के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है।

लिग्नाइट

5.64. पांचवीं योजना के प्रारूप में नेवेली लिग्नाइट परियोजना के लिए 39.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिससे 1978-79 में 60 लाख टन तक उत्पादन होने की आशा थी।

5.65. इस समय की गई समीक्षा के आधार पर, विशेषीकृत खनन उपस्कर, जिसे बाहर से आयात किया जाना है, की अधिक लागत के कारण व्यवस्था में 122.25 करोड़ रु० वृद्धि की गई। कार्यक्रम का कार्यान्वयन न होने के कारण 45 लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन अब पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक पूरा होने की आशा है और 60 लाख टन 1980-81 तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।

लौह अयस्क

5.66. योजना के प्रारूप में लौह अयस्क का परिकल्पित उत्पादन लक्ष्य 580 लाख टन रखा गया था। आंतरिक मांग में कमी होने के कारण उत्पादन का लक्ष्य 560 लाख टन रखा गया था।

5.67. जैसा कि अब अनुमान है, डोनी मलाई, वैलाडीला-5 और किरीबूरो विस्तार परियोजनाओं में 1976-77 में काम शुरू हो जाएगा। 40 लाख टन की अवस्था पर बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेगाहट्टबुटन परियोजना विकास कार्य शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है। अत्यधिक क्षमता स्थापित करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लौह अयस्क के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषता यह है कि लगभग 567 करोड़ रुपये की लागत के 75 लाख टन के मेगनाइट संकेन्द्रिकों के उत्पादन के लिए कुदरेमुख मैग्नाइट निक्षेप को विकसित करने का निर्णय किया गया है।

5.68. वर्तमान प्राक्कलनों के आधार पर योजना में 107.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें कुदरेमुख परियोजना पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है।

उपभोक्ता उद्योग

चीनी

5.69. जारी किए गए लाइसेंसों पर तेजी से कार्यान्वयन के लिए और नए चीनी कारखाने स्थापित करने तथा आर्थिक रूप से व्यावहारिक स्कीमों के विस्तार के लिए सितम्बर, 1975 में प्रोत्साहनों की घोषणा की गई। 1973-74 में क्षमता 43 लाख टन से बढ़कर 1978-79 में 54 लाख टन हो जाने की संभावना है।

सूती वस्त्र

5.70. 1973-74 में 79000 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया गया था जिसके 1978-79 तक 95000 लाख मीटर हो जाने की संभावना है। मिल क्षेत्र में तैयार होने वाले कपड़े की मात्रा 48000 लाख मीटर और विकेन्ड्रित क्षेत्र में बुने जाने वाले कपड़े की मात्रा 47000 लाख मीटर होने का विचार किया गया है।

5.71. कर्ताई क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि विकेन्ड्रित क्षेत्र से निरंतर सूत मिल सके।

5.72. वस्त्रोद्योग के आधुनिकीकरण कार्य में तीव्रता लाने के लिए कम दर पर दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों के आधुनिकीकरण और उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए 104 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

सीमेंट

5.73. 1978-79 में सीमेंट उद्योग की क्षमता बढ़कर 235 लाख टन हो जाने का अनुमान है, जबकि 1973-74 में यह केवल 197 लाख टन थी।

5.74. सीमेंट उद्योग में सरकारी क्षेत्र का भाग 1973-74 में 23 लाख टन था जिसके 1978-79 में बढ़कर 38.8 लाख टन हो जाने की संभावना है।

दवा और औषधि

5.75. दवा उद्योग, जिसकी गतिविधियां अधिकतर फारमूले पर दवाएं बनाने और अधिकतर दवाएं उपान्तिम मध्यस्थियों से बनाने तक ही सीमित थीं, अब उन्नत तरीकों से अधिक दवाएं बनाने लगा है।

5.76. दवा उद्योग के समग्र विकास में सरकारी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिजैविकी दवाओं, संश्लिष्ट दवाओं के उत्पादन और सरकारी क्षेत्र में फारमूले तैयार करने के कार्य में काफी वृद्धि करने का विचार किया गया है।

वनस्पति तेल और वनस्पति

5.77. 1973-74 में वनस्पति का उत्पादन 449,000 टन हुआ था जिसके 1978-79 में बढ़कर 610,000 टन हो जाने की संभावना है।

कागज और अखबारी कागज

5.78. 1978-79 में कागज और गत्तों का उत्पादन बढ़ कर 10.5 लाख टन हो जाएगा जबकि 1973-74 में 7.7 लाख टन हुआ था। केन्द्रीय क्षेत्र में दी गई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है।

5.79. 1978-79 में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़कर 80,000 टन हो जाने की सम्भावना है। बढ़े हुए उत्पादन में से अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र की नेपा और केरल अखबारी कागज परियोजनाओं से प्राप्त होगा।

5.80. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में कागज और अखबारी कागज उद्योग के लिए 203 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

परमाणु ऊर्जा से संबंधित औद्योगिक खनिज कार्यक्रम

5.81. इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम भारी जल संयंत्रों, नाभिकीय ईंधन समूह स्कीमों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने से सम्बन्धित है। इन कार्यक्रमों के लिए 184.18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

5. ग्रामीण तथा लघु उद्योग

लघु उद्योग

5.82. लघु उद्योगों की संख्या, परिणाम और उत्पादित वस्तुओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। विस्तार सेवाओं की स्कीमों और संस्थागत वित्त में वृद्धि किए जाने से इन उद्योगों की वृद्धि में भरपूर सहायता मिली है। क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान की कुछ और शाखाएं खोली गई हैं।

5.83. अगले दो वर्षों के लिए जारी स्कीमों और उपांत या मूलधन के संबंध में बनाई जाने वाली स्कीमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि संस्थागत वित्त प्राप्त करने में आसानी रहे और मशीनें किराया खरीद की शर्तों के आधार पर प्राप्त हो सकें।

औद्योगिक बस्तियां

5.84. मार्च 1974 में 455 औद्योगिक बस्तियां थीं, इनमें से 347 शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में तथा शेष 108 ग्रामीण क्षत्रों में थीं। इन बस्तियों में लगभग 10140 कारखाने उत्पादनरत थे जिनमें 1.76 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था।

5.85. जारी स्कीमों तथा नई स्कीमों दोनों के लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

खादी और ग्रामोद्योग

5.86. 1974-75 में खादी के काम में 9.78 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था जो बढ़कर 1975-76 में 10 लाख हो गया। ग्रामीण उद्योगों में रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या 9.82 लाख से बढ़कर 11.28 लाख हो गई।

5.87. कुछ ग्रामीण उद्योगों की सम्भावनाओं के संबंध में प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद द्वारा हाल ही में एक अध्ययन कार्य किया गया था। इसी बीच, वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए व्यवस्था की गई है।

हथकरघा और शक्तिचालित करघा उद्योग

5.88. 20-सूती आर्थिक कार्यक्रम के एक अंग के रूप में हथकरघा उद्योग में पुनःजीवन संचार करने और विकास करने के लिए कुछ विशेष स्कीमें आरम्भ की गई है। इन स्कीमों में गहन विकास परियोजनाएं (प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत 10,000 हथकरघे) और निर्यातोन्मुख उत्पादन परियोजनाएं (प्रत्येक परियोजना में 1,000 हथकरघे) भी शामिल हैं।

5.89. जारी स्कीमों के लिए और गहन विकास परियोजनाओं की लागत के एक अंश को पूरा करने के लिए राज्यों के वास्ते पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। शक्तिचालित करघा उद्योग के लिए परिष्करण सुविधाओं की व्यवस्था करने और तकनीकी सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। हथकरघा वस्त्र और उससे विनिर्मित वस्तुओं का आजकल 100 करोड़ रुपए का निर्यात होता है जिसके बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है।

रेशम-उद्योग

5.90. पिछले 2 वर्षों की अवधि में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बाईवल्टाइन शहरों रेशम का उत्पादन आरम्भ किया गया है।

5.91. इन स्कीमों को आगामी दो वर्षों में और बढ़ाया जाएगा। आजकल रेशम का उत्पादन लगभग 32 लाख किलोग्राम होता है जो 1978-79 तक बढ़कर लगभग 50 लाख किलोग्राम हो जाएगा और निर्यात की मात्रा 17.5 करोड़ रु० से बढ़ कर 21 करोड़ रुपए हो जाएगी।

नारियल जटा उद्योग

5.92. हाल ही में इस उद्योग की प्रगति की समीक्षा करने और विकास के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल स्थापित किया गया है। तब तक जारी स्कीमों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था की गई है। अगले दो वर्षों की अवधि में निर्यात का मूल्य 22 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की सम्भावना है, जबकि आजकल यह केवल लगभग 19 करोड़ रुपए ही है।

हस्तशिल्प

5.93. हाल ही में 30000 कालीन वुनने वालों को प्रशिक्षण देने की एक व्यापक स्कीम आरम्भ की गई है। इससे ऊनी गलीचों का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ ऐसे चुनींदा शिल्पों के विकास के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें विकास की अधिक सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

5.94. आजकल दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 190 करोड़ रुपए है, अनुमान है कि यह बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो जाएगा।

सामान्य

5.95. कुछ उद्योगों के उत्पादन और निर्यात की उपलब्धियों के स्तर अनुलग्नक 32 में दिए गए हैं।

5.96. विभिन्न लघु उद्योगों के लिए आगामी दो वर्षों के लिए केन्द्र और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत की गई धन की व्यवस्था का विवरण अनुलग्नक 33 में दिया गया है।

6. परिवहन और संचार

5.97. परिवहन और संचार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत की गई व्यवस्था का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक 34 में दिया गया है।

रेल

5.98. योजना के प्रथम तीन वर्षों में व्यय लगभग 1149 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आगे के दो वर्षों के लिए 1053 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

5.99. 1978-79 तक रेलों की आरम्भिक स्थान से माल की ढुलाई की क्षमता 2500 लाख टन से 2600 लाख टन हो जाने का अनुमान है। इसमें से केवल कोयले की ढुलाई की मात्रा 980 लाख टन होगी। रेल इंजनों और माल गाड़ि के डिब्बों में परिवर्तन तथा खरीद के लिए धन की व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के साथ-साथ, मौजूदा रेल लाइनों तथा डिब्बों का अधिक अच्छा उपयोग करने पर बल दिया गया है। इसके लिए ब्लाक रैक में माल की ढुलाई को अधिकतम करने और विराम काल को घटाने का सुझाव दिया गया है।

5.100. जहां तक उप नगरीय यात्री यातायात के अलावा यात्री यातायात का सम्बन्ध है, इसके लिए धन की व्यवस्था बीते काल की प्रवृत्तियों और आगामी दो वर्षों में वृद्धि की सम्भावनाओं पर विचार करने के बाद की गई है। उपनगरीय यातायात के लिए व्यवस्था करते समय रेलों के उपयुक्ततम कार्यक्रमों को ध्यान में रखा गया है।

5.101. जिन ट्रैफिक लाइनों का निर्माण-कार्य चल रहा है और जो लाइनें परियोजना की दृष्टि से बनाई जानी हैं उनके लिए धन की पूरी व्यवस्था की गई है। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर प्रोत्साहन में सहायक नई लाइनों के लिए भी धन की कुछ व्यवस्था की गई है।

5.102. संसाधनों की कमी होने के बावजूद विरार-साबरमती, पनसकुरा-हल्दिया और टूण्डला-दिल्ली खण्ड पर विजलीकरण परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है। पांचवीं योजना के पूरा होने तक मद्रास-निवैल्लूर खण्ड पर विजलीकरण का काम समाप्त हो जाने की सम्भावना है तथा वालिट्यर-किरनदूल और मद्रास-विजयवाड़ा खण्डों पर इस काम में काफी प्रगति हो जाएगी।

5.103. सड़क परिवहन निगम में विनियोजन के लिए रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था की गई है। महानगरीय रेल परिवहन स्कीम के लिए भी 50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

5.104. रेल विकास कार्यक्रमों की विभिन्न मर्दों के लिए रखे गए परिव्यय का विवरण अनुलग्नक-35 में दिया गया है।

सङ्केत

5.105. ज्यादा ध्यान चौथी योजना के शेष कार्यों को पूरा करने पर दिया गया है जिसमें अप्राप्त पुलों व संयोजक मार्गों का निर्माण-कार्य भी शामिल है। अनुमान है कि योजना के अन्तिम दो वर्षों में उन कार्यों में से अधिकांश कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा जो पांचवीं योजना के आरम्भिक काल में चल रहे थे। इसके अतिरिक्त, अनिवार्य स्वरूप की कुछ नई स्कीमों के लिए, विशेष रूप से सुरक्षित यातायात से सम्बन्धित स्कीमों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

5.106. केन्द्रीय कार्यक्रमों के संशोधित परिव्ययों का विवरण नीचे दिया गया है। कोष्टक में दिए गए आंकड़े अधिनीत स्कीमों के लिए हैं।

(करोड़ ₹०)

कार्यक्रम (०)	अनुमानित व्यय (१९७४-७७) (१)	परिव्यय (१९७७-७९) (२)	संशोधित योजना परिव्यय (३)
1. राष्ट्रीय राजमार्ग	176.56 (159.79)	151.06 (93.06)	327.62 (252.85)
2. महत्वपूर्ण मार्ग	14.00 (12.00)	24.00 (21.00)	38.00 (33.00)
3. अंतरराज्यीय और आर्थिक महत्व के मार्ग	9.24 (9.24)	20.76 (14.76)	30.00 (24.00)
4. राजमार्ग अनुसंधान तथा विकास	0.20	1.80	2.00
5. नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्ग	1.00	9.00	10.00
6. राष्ट्रीय महत्व के विशेष मार्गों/पुल निर्माण कार्यों में हुगली पर दूसरा पुल	9.02	15.98	25.00
7. औजार और मशीनें	7.82	5.00	12.82
8. जोड़	217.84 (181.03)	227.60 (128.82)	445.44 (309.85)

5.107. राज्य योजनाओं में भी अधिनीत निर्माण कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया है ताकि अब तक किए जा चुके विनियोजन से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने लगें। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है।

5.108. 1974-77 तक की तीन वर्षों की अवधि में लगभग 479.32 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया है और अगले दो वर्षों के लिए 423.04 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सङ्केत परिवहन

5.109. केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सङ्केत परिवहन सम्बन्धित प्रमुख स्कीम दिल्ली परिवहन निगम की है। पांचवीं योजना के आरम्भिक काल में दिल्ली परिवहन निगम के पास 1495 बसें थीं। योजना के प्रथम तीन वर्षों में निगम ने 1137 बसें और खरीदी थीं जिनमें से 455 बसें

पुरानी बसों के स्थान पर लौ गई और इस प्रकार कुल संख्या में 682 बसों की वृद्धि हुई। 389 बसों खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है जो यातायात में वृद्धि और बसों का कुशलतापूर्वक उपयोग और अतिरिक्त डिपो तथा टर्मिनलों की स्थापना पर आधारित है। कुल परिव्यय 29.77 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 23.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

5.110. राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 1974-77 की अवधि में सड़क परिवहन पर 197.08 करोड़ रुपए व्यय होने की सम्भावना है। आगामी दो वर्षों में 205.87 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

बड़े पत्तन

5.111. बड़े पत्तनों पर 1974-75 में 658.40 लाख टन माल उतारा चढ़ाया गया। सम्भावना है कि 1978-79 में इसकी मात्रा बढ़कर 770 लाख टन हो जाएगी। वृद्धि मुख्य रूप से लौह अयस्क और आम उपयोग के माल में होने की सम्भावना है।

5.112. हल्दिया, मद्रास, विशाखापत्तनम, मारमुगाओ और मंगलौर की अधिनीत परियोजनाएं 1976-77 में पूरी की जा चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप खुली वस्तुओं, जैसे लौह अयस्क, कोयला और उवंरक के उतारने और चढ़ाने की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। बम्बई की तेल पाइप लाइन को बदलने, सलाया सागरीय टर्मिनल और मंगलौर में कुद्रेमुख लौह अयस्क निर्यात से सम्बन्धित कार्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

5.113. बड़े पत्तनों के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में 308 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए अधिनीत स्कीमों के लिए था। अब कुल परिव्यय का अनुमान 521.46 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसमें 363.55 करोड़ रुपए अधिनीत स्कीमों के लिए है।

छोटे पत्तन

5.114. संशोधित पांचवीं योजना में, छोटे पत्तनों के लिए 49.67 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से 27.29 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में की गई है। केन्द्रीय स्कीमों में जो प्रावधान रखा गया है वह छोटे पत्तनों के सर्वेक्षण और तलकर्षण संगठन और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह व लक्ष्मीप में पत्तन सुविधाएं बढ़ाने के लिए है।

नौवहन

5.115. कच्चे तेल के आयात में कमी, स्वेज नहर का खुलना, कोयले का संकेतों के अनुसार तटीय परिवहन का आरम्भ न होना, जहाजों के मूल्य तेजी से बढ़ना, आदि अनेक मुख्य दूरगामी परिणाम वाली घटनाएं घटित होने के कारण जहाज से माल ढोने का लक्ष्य 86 लाख जी० आर० टी० से घटा कर 65 लाख जी० आर० टी० कर दिया गया। चालू टन भार, जिस टन भार का आर्डर किया गया है तथा प्राप्त किया जाने वाला टन भार अनुलग्नक-36 में दिया गया है।

5.116. भारतीय जहाज चाहे नये हों या पुराने उन्हें नौवहन कंपनियों ने आंशिक रूप से अपने संसाधनों से और आंशिक रूप से रियायती ब्याज की दर पर नौवहन विकास निधि कमेटी

(एस० डी० एफ० सी०) से ऋण लेकर प्राप्त किया गया है। इस काम के लिए योजना की अवधि में 410 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि मूल अनुमान 243 करोड़ रुपए था।

5.117. नौवहन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार और कल्याण कार्यक्रमों ब जलयान उद्योग के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

5.118. आगामी दो वर्षों के लिए 14.73 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया है जिसमें राजबागान गोदी का विस्तार, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम शुरू करना तथा गंगा पर नदी सेवाएं आरम्भ करना शामिल है। केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम में 5.83 करोड़ रुपए मुख्यतः गोवा की कमवरजुआ नहर तलकर्षण, हुगली में फेरी सेवाएं, केरल में चम्पाकारा-नीन्दाकारा नहर के सुधार और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पंकिवाम नहर के सुधार के लिए रखे गए हैं।

5.119. इसके अलावा, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 7.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रकाश स्तम्भ

5.120. प्रकाश स्तम्भों और हल्के जहाजों के लिए पांचवीं योजना के प्राप्त में 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और अब संशोधित प्रावधान 13.66 करोड़ रुपये है। इसमें 1977-79 का प्रावधान 6.13 करोड़ रुपए का है। संशोधित परिव्यय में 6.53 करोड़ रुपए सलाया डेका चेन और सलाया आफ मोर टर्मिनल के लिए पहुंच नहर की फ्लोरिंग एड्स के लिए है।

एयर इंडिया

5.121. एयर इण्डिया के 5 बोइंग 737 और 9 बोइंग 707 के एयर इंडिया के फ्लीट में योजना की अवधि में एक बोइंग 747 हवाई जहाज भी शामिल किया गया। 1977-79 के लिए रखे गए 38.65 करोड़ रुपए के परिव्यय की इस दायित्व को पूरा करने तथा असली समय संगणन प्रणाली करने के लिए अन्तरिक्ष व्यवस्थाओं सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

इंडियन एयरलाइंस

5.122. इस योजना की अवधि में इंडियन एयरलाइंस पहले ही 6 बी-737 हवाई जहाज प्राप्त कर चुका है और 3 एयर वर्सें (9बी-737 हवाई जहाज के बराबर) के लिए आर्डर दे चुका है। आशा है कि ये वर्सें शीघ्र ही इंडियन एयर लाइंस के फ्लीट में शामिल हो जाएंगी। पुराने टरबोप्रोप हवाई जहाज भी बदले जाने हैं। प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले हवाई जहाजों की अदायगी और वास्तविक समय संगणन सुविधाओं के उपयोग की व्यवस्था के रूप में 99.45 करोड़ रुपए का अंतरिम प्रावधान किया गया है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण

5.123. पांचवीं योजना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यक्रम के लिए 27.67 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से नये इन्टरनेशनल एण्ड कारगो टर्मिनल कम्पलेक्स बंबई के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

नागर विमानन विभाग

5.124. अन्य बातों के अलावा 65.15 करोड़ रुपए के प्रावधान में वैमानिक संचार सेवाओं और हवाई अड्डों के कार्यों पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल है। वैमानिक संचार सेवाओं में व्यासमापन सुविधाओं को बढ़ाने और वैमानिक स्थाई और चल संचार तंत्र में सुधार करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इससे हवाई जहज उड़ाने का काम अधिक सुरक्षात्मक ढंग से किया जा सकेगा। जहां तक हवाई अड्डों के निर्माण-कार्य का संबंध है, पांचवीं योजना के प्रारूप में नये निर्माण-कार्य आरम्भ करने के अलावा मौजूदा हवाई अड्डों के निर्माण कार्य पर भी बल दिया गया है।

भौसम विज्ञान

5.125. 39.58 करोड़ रुपए के योजना प्रावधान में भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान द्वारा 2.36 एम० दूरबीन पूरा करने का काम शामिल है। इसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान मानसून 1977 परीक्षण, मोनेक्स 1979 और आई० एन० ए० टी० कार्यक्रम के लिए भी शामिल है।

पर्यटन

5.126. पर्यटन विभाग के कार्यक्रम के विकास के लिए 23.62 करोड़ रुपए की और भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए 17.12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र में होटल उद्योग को ऋण; कोवालय, गुलमर्ग, गोवा और कुल्लू-मनाली में पर्यटन समेकित विकास स्थलों के निर्माण और अनेक युवा होटलों, पर्यटक बंगलों और वन प्रतीक्षालयों के लिए ऋण शामिल है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत कार्यक्रमों में होटलों का विस्तार और यात्री प्रतीक्षालयों, मोटलों और कुटियों का निर्माण शामिल है।

5.127. राज्य क्षेत्र में भी 33.21 करोड़ रुपए पर्यटन उद्योग के विकास के लिए रखे गए हैं।

डाक सेवाएं

5.128. 24.38 करोड़ रुपए के योजना प्रावधान से पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 2520 डाकघर खोलने या उनका दर्जा बढ़ाने के अलावा, आगामी दो वर्षों में 3800 डाकघरों को खोलने या दर्जा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

दूर संचार

5.129. 1129.45 करोड़ रुपए के संशोधित योजना परिव्यय से 8.42 लाख लाइनों वाला क्षमता का अतिरिक्त इक्सचेंज बनाया जा सकेगा।

5.130. तार सेवा के विस्तार और 10,000 लाइनों के ट्लेक्स एक्सचेंज खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

दूर संचार सेवाएँ

5.131. 35.87 करोड़ रुपए के संशोधित प्रावधान में आई० एन० टी० ई० एल० ई० टी० देहरादून अर्थ स्टेशन, इस० पी० सी० टेलेक्स एक्सेंज बम्बई और भारत, रूस ट्रोपोलिक के लिए धनराशियों की व्यवस्था शामिल है। भारत और मलेशियन प्रायद्वीप के बीच वाइड बैंड सबमेरिन लिंक और भारत-अफगानिस्तान ट्रोपोस्कैटर लिंक, अंडमान अर्थ स्टेशन और कलकत्ता में तीसरे अर्थ स्टेशन के लिए भी सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

आई० टी० आई० और हिन्दुस्तान टेलीप्रिटर्स लिमिटेड

5.132 इन उद्योगों के विस्तार और चालू कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

5.133 निम्नलिखित विवरण में कार्यक्रम बार परिव्यय दिए गए हैं:—

पांचवीं योजना परिव्यय : संचार

कार्यक्रम (०)	परिव्यय (करोड़ रुपए) (१)
1. डाक व तार विभाग	1153.83
(क) डाक सेवा	24.38
(ख) दूर संचार	1129.45
2. अन्य संचार	112.78
(1) भारतीय टेलीफोन उद्योग	52.85
(2) समुद्र पार संचार सेवा	35.87
(3) हिन्दुस्तान टेलीप्रिटर लिमिटेड	3.00
(4) प्रबोधन संगठन (रेड्यो फ्रीक्वेंसी प्रबंध)	1.06
(5) आई० एन० इस० ए० टी०	20.00
3. जोड़	1266.61

ध्वनि प्रसारण

5.134. संशोधित प्रावधान राशि 37.63 करोड़ रुपए है जिसमें से 32.52 करोड़ रुपए जारी स्कीमों को पूरा करने के लिए है। शेष प्रावधान नई ट्रांसमीटर स्कीमों, स्टुडियो सुविधाओं के विस्तार, 'साफ्टवेयर' की आवश्यकताओं और स्टाफ के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए किया गया है।

दूरदर्शन

5.135. संशोधित पांचवीं योजना में दूरदर्शन के लिए 50.98 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें से 33.41 करोड़ रुपया जारी स्कीमों के लिए है और 17.57 करोड़ रुपए नई स्कीमों के लिए निर्धारित किए गए हैं। नई स्कीमों में हैदराबाद और जयपुर में 10 किलोवाट क्षमता के दो ट्रांसमीटर लगाने, गुलबर्ग, सबलपुर, मुजफ्फरपुर और रायपुर में 400 वाट क्षमता

वाले 4 कम शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की स्कीमें शामिल हैं। इन ट्रांसमीटरों के लगाने के बाद "साइट" कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गांवों में से 40 प्रतिशत गांवों में दूरदर्शन की सुविधा परीक्षण समाप्त हो जाने के बाद फिर से प्राप्ति को जाएगी। सामुदायिक प्रदर्शन के लिए लगभग 3000 आम दूरदर्शन सैटों तथा "साइट" कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग किए जा रहे लगभग 2400 विशेष सैटों के लिए प्रावधान किया गया है। कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने के लिए योजना में 'साफ्टवेयर' स्कीमों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

7 शिक्षा

5.136. योजना के प्रथम तीन वर्षों में आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा के लिए कुछ सीमित मात्रा में परिव्यय निर्धारित किया गया है। फिर भी सरकारी क्षेत्र में शिक्षा पर किया गया योजनागत और योजनेतर, दोनों प्रकार का, व्यय काफी अधिक था। 1974-75 में 1450 करोड़ रुपए रखे गए थे, अनुमान है कि यह राशि 1976-77 में बढ़कर 2287 करोड़ रुपए हो जाएगी।

5.137. प्राथमिक शिक्षा : इस कार्यक्रम को अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति, अध्ययन कक्ष बनाने के लिए पर्याप्त साक्षात् में प्रावधान किया गया है। प्रावधान करते समय पिछड़े क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है।

5.138. नीचे की सारणी में पांचवीं योजनावधि में विद्यार्थियों की संख्या में सम्मानित वृद्धि दिखाई गई है :—

(संख्या-लाख)

(0)	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक		
	बालक	बालिका	जोड़	बालक	बालिका	जोड़
1. 1973-74 (विद्यमान संख्या)*	396 (100)	245 (66)	641 (84)	107 (48)	46 (22)	153 (36)
2. 1974-77 (अतिरिक्त उपलब्ध)	37	33	70	17	12	29
3. 1977-79 (प्रस्तावित अतिरिक्त लक्ष्य)	30	30	60	16	13	29
4. 1974-79 (अतिरिक्त उपलब्ध 2+3)	67	63	130	33	25	58
5. 1978-79 (संभावित संख्या)	463 (111)	308 (79)	771 (96)	140 (59)	71 (32)	211 (46)

*यह संख्या पांचवीं योजना के प्रारूप से ली गई है। किन्तु तृतीय शिक्षा सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1973-74 में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 611 लाख (80%) और 141 लाख (33%) थी। सर्वेक्षण की संख्या को आधार मानने पर वर्ष 1978-79 में इन दोनों वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या 741 लाख अर्थात् (92%) और 199 लाख (43%) हो जाएगी। कोष्ठकों में दी गई संख्या कक्षा 1 से 5 और 6 से आठ में भर्ती विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों के अनुपात से संबंधित है।

5.139. शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम पुनर्निर्धारण, कार्य अनुभव और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ाने के लिये भी प्रावधान किया गया है।

5.140. माध्यमिक शिक्षा : भर्ती की दर में वृद्धि की वर्तमान दर को ध्यान में रखा गया है। प्रथम तीन वर्षों में अतिरिक्त 15 लाख विद्यार्थियों के दाखिले का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की संभावना को देखते हुए, 1977-79 में कक्षा 9 से 11/12 में 15 लाख और अधिक विद्यार्थियों के दाखिले का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 9 से 11/12 में दाखिल किए गए 14 से 17/18 वर्ष के बालकों का प्रतिशत 1973-74 में 20 था, जो 1978-79 में बढ़ कर 25 प्रतिशत हो जाएगा। प्रावधान करते समय नई शिक्षा-प्रणाली आरम्भ करने से संबंधित आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

5.141. पूरी तैयारी करने के बाद अगले दो वर्षों में चुने हुए क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण कार्य आरम्भ किया जाएगा ताकि भली-भांति सोच-विचार कर, निर्मित किए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके।

5.142. विश्वविद्यालय शिक्षा : विश्वविद्यालय शिक्षा में ज्यादा ध्यान सुदृढ़ीकरण और सुधार पर दिया गया है। वैसे समाज के निर्बल वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये भी प्रावधान किया गया है। सध्याकालीन महाविद्यालयों, पत्राचार पाठ्यक्रमों और व्यक्तिगत अध्ययन की सुविधाओं का विस्तार किया जायगा। गहन अध्ययन केन्द्रों, साधारण संगणक सुविधाओं और क्षेत्रीय उपकरण कार्यशालाओं के विस्तार के माध्यम से स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ किया जाएगा। ग्रीष्म संस्थान, गोष्ठियों और अभिनव पाठ्यक्रमों जैसे योग्यता के विकास के कार्यक्रमों को और व्यापक किया जाएगा।

5.143. अनौपचारिक शिक्षा : अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित वर्तमान कार्यक्रमों को बढ़ाया जाएगा जिससे इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 16 लाख लोग आ जायेंगे। वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करने का भी विचार है।

5.144. छात्रवृत्तियाँ : योजनेतर बजट से 1974-75 के बाद से प्रतिवर्ष 12000 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों की वार्षिक संख्या योजना के प्रथम 2 वर्षों में 3000 थी और 1976-77 में 5000 थी। यह संख्या 1977-78 में बढ़ाकर 7000 और 1978-79 में 10000 करने के लिये प्रावधान किया गया है। पांचवीं योजनावधि में प्रतिवर्ष 20000 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पुरस्कार देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की संख्या 1974-77 में 10000 प्रति वर्ष थी जिसे बढ़ाकर 1977-79 में 15000 प्रति वर्ष करने के लिये प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रति सामुदायिक विकास केन्द्र में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य कार्यक्रम भी जारी रहेंगे।

5.145. भाषा विकास : अहिन्दी भाषी राज्यों के मिडिल और सैकेंडरी स्कूलों में 1977-79 की अवधि में 2000 और हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापक नियुक्त करने के लिये प्रावधान किया गया है। यह संख्या 1974-77 की अवधि में नियुक्त किए जा चुके 4000 शिक्षकों के अतिरिक्त है। उपयोगिता निर्धारित करने के लिये इस कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (मैसूर), केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (आगरा), राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (नई दिल्ली), केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (हैदराबाद) का और अधिक विकास किया जाएगा।

5.146. अन्य कार्यक्रम: वर्तमान नेहरू युवक केन्द्रों को बढ़ाने तथा स्वीकृत स्थानों पर कुछ और केन्द्र खोलने के लिये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सेवा स्कीम को व्यापक किया जाएगा और प्रयोगात्मक आधार पर “नेशनल सर्विस वालेटियर स्कीम” आरंभ करने का विचार किया गया है। खेलकूद, प्रशिक्षण शिविर और ग्रामीण खेलों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। केन्द्रीय पुस्तकालयों का विकास करने के लिये भी प्रावधान किया गया है।

5.147. तकनीकी शिक्षा: योग्यता के विकास द्वारा पुराने उपकरणों को बदल कर और पाठ्यक्रम में विविधता का समावेश करके इस शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और स्तर-सुधार पर बल दिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों का निकट सहयोग प्राप्त करके धातु विज्ञान, निम्नतापी इंजीनियरी, ऊर्जा विज्ञान, और महासागरीय इंजीनियरी के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की संभावना है। वर्तमान प्रबन्ध संस्थानों की वास्तविक सुविधाओं को बढ़ाने के लिये भी प्रावधान किया गया है तथा लखनऊ में चौथा संस्थान स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जाएगा। क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी विभागों का और अधिक विकास किया जाएगा।

5.148. सांस्कृतिक कार्यक्रम: साहित्य, संगीत और नाटक तथा ललित कलाओं से संबंधित तीनों राष्ट्रीय अकादमियों का और विस्तार करने, कालिजों और स्कूल के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक रुचि जागृत करने, जिला गजेटियरों में संशोधन करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विविध गति-विधियों के विकास के लिये भी प्रावधान किया गया है।

5.149. 20-सूत्री सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं—विद्यार्थियों को सस्ते मूल्यों पर किताबों और लेखन-सामग्री की व्यवस्था, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर अनिवार्य सामग्री की पूर्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार। पाठ्य-पुस्तक छापने वाले प्रैसों की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा संस्थानों में पुस्तक बैंक स्थापित किए जायेंगे। प्रशिक्षु स्कीम का विस्तार किया जा रहा है।

5.150. परिव्यय: शिक्षा के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 1285 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:—

उप-शीर्ष	(करोड़ रुपए)		
	संभावित व्यय 1974—77	प्रस्तावित 1977—79	पांचवी योजना में प्रस्तावित परिव्यय
(0)	(1)	(2)	(3)
1. प्राथमिक शिक्षा	180	230	410
2. माध्यमिक शिक्षा	111	139	250
3. विश्वविद्यालय शिक्षा	140	152	292
4. विशेष शिक्षा	9	9	18
5. अन्य कार्यक्रम	57	65	122
6. जोड़ (सामान्य शिक्षा)	497	595	1092
7. तकनीकी शिक्षा	75	81	156
8. कला तथा संस्कृति	16	21	37
9. जोड़-शिक्षा	588	697	1285

प्रथम तीन वर्षों की तुलना में बाद के दो वर्षों में प्रस्तावित परिव्यय में काफी अधिक वृद्धि का पता चलता है।

8. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण योजना और पोषाहार

स्वास्थ्य:

केन्द्रीय क्षेत्र:

5.151. इस क्षेत्र के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 252.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। प्रथम तीन वर्षों में 152.93 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। बाद के दो वर्षों के लिए 182.90 करोड़ रुपये का परिव्यय करने की सिफारिश की गई है जो विभिन्न प्रमुख जारी कार्यक्रमों की प्रगति का अनुमान लगाकर और स्वास्थ्य नीति के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है।

5.152. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये 196.44 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जबकि पांचवीं योजना के प्रारूप में मूल प्रावधान केवल 96.71 करोड़ रुपये ही का था। संशोधित नीति के अनुसार बीमारी पर नियन्त्रण करने के लिये एक कार्यक्रम के परिव्यय में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया। राष्ट्रीय कुष्ट निवारण कार्यक्रम और अंधता वृष्टिदोष नियन्त्रण से संबंधित राष्ट्रीय स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये अधिक प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में फाइलेरिया नियन्त्रण की कार्यनीति का विकास करने के लिये एक मार्गदर्शी अनुसंधान परियोजना को भी शामिल किया गया है। 1977—79 में संयुक्त खाद्य एवं दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने और राज्यों में स्थित वर्तमान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को केंद्रीय सहायता देने के लिये भी पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया है।

राज्य क्षेत्र:

5.153. राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 543.21 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए 159.92 करोड़ रुपए के कुल सम्भावित व्यय का अनुमान किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों, अर्थात् 1977—79 के लिए 185.91 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई है।

5.154. इन प्रावधानों में चल रहे कार्यक्रम की आवश्यकताएं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के उचित प्रसार, विस्तार व विकास की जरूरत शामिल है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि देश के सभी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र बढ़े हुए स्तर पर दवाइयों के लिए 12000 रुपए प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 2000 रुपये प्रति उप-केन्द्र प्रति वर्ष प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

सामान्य

5.155. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पांचवीं योजना का संशोधित कुल परिव्यय 681.66 करोड़ रुपए बनता है। केन्द्र व राज्य क्षेत्रों के लिए परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

स्कीम (0)	1974-77 के लिए प्रत्याधित व्यय	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय
	(1)	(2)	(3)
1. केन्द्र	28.60	39.06	67.66
2. केन्द्र द्वारा प्रायोजित	124.33	143.84	268.17
3. राज्य/संघ शासित क्षेत्र	159.92	185.91	345.83
4. जोड़	312.85	368.81	681.66

परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम

5.156. योजना के प्रारूप में परिवार कल्याण नियोजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए 516.00 करोड़ रुपए की राशि की गई थी। पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में संभावित व्यय 237.65 करोड़ रुपए होने की आशा है।

5.157. 1977—79 की अवधि के लिए 259.71 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई है। पांचवीं योजना के प्रारूप में दी गई कार्य-नीति के आधार पर स्वास्थ्य प्रसूति व बाल स्वास्थ्य की देखभाल और पोषाहार सेवाओं के साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम समेकित कर चलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को अधिक तेजी से चलाने के उद्देश्य से संशोधित परिव्ययों की सिफारिश को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में दृढ़ व प्रभावी कार्रवाई सुझाई गई है। बन्ध्याकरण के लिए बढ़ रही मांग पर कार्रवाई करने के लिए 1976—79 में 1000 चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और तालुका स्तर के 325 अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पांचवीं योजना के प्रारूप के पहले से निश्चित लक्ष्य से बढ़कर प्रसूति के बाद देखभाल के लिए 200 अतिरिक्त केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। निरोध की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए फरक्का में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की एक अन्य इकाई स्थापित की जाएगी। पांचवीं योजना के अन्त तक एस० आई० डी० ए०/आई० डी० ए० की सहायता से भारतीय जनसंख्या परियोजना का कार्य पूरा किया जाएगा। भार्गदर्शी आधार पर विशेष बहु-साधन प्रेरक अभियान उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में चलाए जाएंगे। जच्चा व बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलाए जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्यों के आधार पर धनराशि उपलब्ध की जाएगी। अनुसन्धान व मूल्यांकन की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों के लिए निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने और अनिवार्य रूप से अपेक्षित भवनों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। 288 नए ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र क्रमबद्ध रूप में खोले जाएंगे।

5.158. संशोधित पांचवीं योजना में 497.36 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान की परिकल्पना की गई है। परिव्ययों का सार साथ लगे विवरण में दिया गया है। (अनुलग्नक 37)।

पोषाहार

केन्द्रीय क्षेत्र

5.159. पांचवीं योजना के प्रारूप में 70.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था केन्द्रीय क्षेत्र में की गई है। 50 करोड़ रुपए पूरक भोजन व खाद्य विभाग को एक पोषाहार स्कीम के लिए और ग्राम

विकास विभाग के व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई।

खाद्य विभाग की पोषाहार स्कीमें

5.160. पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 6.53 करोड़ रुपए का संभावित व्यय रखा गया है। संशोधित पांचवीं योजना के अन्तर्गत पोषाहार के उत्पादन के लिए 1977-79 में 6.70 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। 1977-79 में 1.27 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था खाद्य पदार्थों के पुष्टीकरण, व्यापक साधनों द्वारा पोषाहार शिक्षा, मार्गदर्शी अनुसन्धान परियोजनाओं आदि के लिए की गई है। इस प्रकार 7.97 करोड़ रुपए के परिव्यय की 1977-79 के लिए सिफारिश की गई है। इससे पांचवीं योजना का कुल प्रावधान 14.50 करोड़ रुपए हो जाएगा।

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम (ग्राम विकास विभाग)

5.161. पांचवीं योजना के प्रारूप में दिया गया 20 करोड़ रुपए का परिव्यय जारी व्यावहारिक पौषाहार खण्डों, 700 नए खण्ड खोलने, प्रचालन परिवर्ती खण्डों के पाँच वर्षों की अवधि में बने रहने के बाद एक साल के रख-रखाव के लिए रखा गया था। समाज सेवाओं में संसाधनों की कठिनाई के कारण, केवल 192 खण्ड योजना के प्रथम दो वर्षों (1974-76) में खोले गए। योजना के पहले तीन वर्षों में संभावित व्यय 4.48 करोड़ रुपए होगा। 1977-79 के लिए 8.51 करोड़ रुपए की धनराशि की सिफारिश की गई है। संशोधित पांचवीं योजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय 12.99 करोड़ रुपए बनता है।

राज्य क्षेत्र

5.162. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राज्य व संघ शासित क्षेत्रों को 330 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था अनुप्रकर भोजन कार्यक्रम के लिए की गई थी। इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का कार्यक्रम व 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम शामिल है। योजना के पहले तीन वर्षों में संभावित व्यय 44.24 करोड़ रुपए रखा गया है। मुख्य रूप से वित्तीय कठिनाईयों तथा राज्य सरकारों के योजनेतर बजटों में खाद्य, प्रशासन और परिवहन के लिए लाभानुभोगियों के खर्च को बहन करने के लिए धनराशियों की अनुपलब्धता के कारण पांचवीं योजना के शुरू के वर्षों में प्रगति धीमी थी। पांचवीं योजना के शेष वर्षों के लिए राज्य के योजनेतर संसाधनों से चौथी योजना के अन्त के विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उचित विस्तार को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा 1977-79 के लिए 43.94 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, पांचवीं योजना के अन्तर्गत 88.18 करोड़ रुपए का संशोधित परिव्यय बनता है। संशोधित पांचवीं योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमावार व्यारे का विवरण संलग्न है (अनुलग्नक 38)।

9. शहरी विकास, आवास और जल पूर्ति

शहरी विकास

5.163. राज्य योजनाओं में समेकित नगर विकास के लिए प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र में समेकित नगर विकास की स्कीम के लिए प्रदान की गई धनराशि से किए गए हैं। इस स्कीम से राज्य सरकारों को आवश्यक आधार के विकास के लिए क्रृष्ण सहायता दी जाती है।

5.164. नगर विकास कार्यक्रम 1975-76 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास तीन महानगरों तथा 9 अन्य नगरों में प्रारम्भ किए गए थे। 1976-77 में अतिरिक्त 7 नगरों में कार्यक्रम शुरू किए गए और यह आशा है कि 1976-77 में 6 अन्य नगरों में ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कुछ अन्य नगरों के लिए योजनाओं के तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

5.165. जैसा कि अनुलग्नक 39 में बताया गया है, अब तक की प्रगति को देखते हुए 1974-77 में 249.33 करोड़ रुपए के संभावित व्यय की तुलना में नगर विकास के लिए अगले दो वर्षों के लिए 256.13 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान किया गया है।

आवास

5.166. पांचवीं योजना में कार्यक्रमों में मुख्य बल समाज के पिछड़े वर्गों की हालत में सुधार करने पर दिया गया है। इसके द्वारा राज्य आवास बोर्डों द्वारा आवासीय बस्तियों के निर्माण के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों के प्रदान करने के बड़े पैमाने के कार्यक्रमों के शुरू किए जाने के उद्देश्य प्राप्त करने हैं। जहां राज्य योजनाओं में कार्यक्रम का बहुत सा भाग कार्यान्वित किया जा रहा है, वहां केन्द्रीय क्षेत्र में आवास व नगर विकास निगम के कार्यक्रमाप बढ़ती हुई भाग को पूरा करने के लिए तदनुकूल बनाए जा रहे हैं। हुड़कों में समान आधार पर भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है जिससे कि पांचवीं योजनावधि में 150 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए जा सकें। बागान मजदूरों व बन्दरगाह मजदूरों के लिए सहायताप्राप्त आवास स्कीम के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। अधिक अच्छी और सस्ती डिजाइनों के लिए अनुसंधान व विकास कार्यक्रम पर पर्याप्त बल दिया गया है। राज्य व केन्द्र क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए परिव्यय अनुलग्नक 40 में दर्शाए गए हैं।

जल पूर्ति व स्वच्छता

ग्राम जल पूर्ति

5.167. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कठिन व समस्यामूलक गांवों में स्वच्छ जल पूर्ति की व्यवस्था करना है। चौथी योजनावधि के अन्त में यह अनुमान लगाया गया था कि ऐसे 1.13 लाख मांव हैं। यह आशा की जाती है कि पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में 201.10 करोड़ रुपए के परिव्यय से लगभग 57,800 गांवों को जल सुविधा प्राप्त हुई होगी। शेष दो वर्षों के लिए दिए गए विनियोजन से अतिरिक्त 53,900 को स्वच्छ जल की पूर्ति की जा सकेगी। जो प्रावधान किया गया है उसकी राशि 180.14 करोड़ रुपए है। (एम० इन० पी० के अन्तर्गत 157.87 करोड़ रुपयों सहित) संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय अब 381.24 करोड़ रुपए होगा।

नगर जल पूर्ति व स्वच्छता

5.168. चल रही स्कीमों के पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पहले तीन वर्षों में, 257.54 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 266 नगरों को जल पूर्ति और 46 नगरों में मल निकास व अपवाह तन्त्र की सुविधाएं दिए जाने की संभावना है। उपर्युक्त परिव्यय की कमी को राष्ट्रीय महत्व के नगरों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी आदि में समेकित नगर विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम से पूरा किया जाएगा। पांचवीं योजना के प्रारूप में 431.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में पांचवीं योजना में 539.17 करोड़ रुपए के परिव्यय की धनराशि होगी।

5.169. संशोधित पांचवीं योजना में 10.27 करोड़ रुपए का परिव्यय भी ऐसे कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है, जिनमें लगभग, 3000 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण तथा यांत्रिक खण्ड के लिए विभिन्न नगरों में 60 यांत्रिक सीव संयंत्रों के साथ 27 यांत्रिक खाद के संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम शामिल हैं। लगभग 30,000-35,000, शुष्क शौचालयों को पानी की सुविधा वाले शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

5.170. जल पूर्ति व स्वच्छता के लिए संशोधित परिव्यय अनुलग्नक 41 में दिए गए हैं।

10. हस्तशिल्पी प्रशिक्षण और श्रमिक कल्याण

केन्द्रीय योजना

5.171. पांचवीं योजना के प्रारूप में केन्द्रीय योजना में 14.57 करोड़ रुपए की राशि के व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में संभावित व्यय 4.01 करोड़ रुपए रखा गया है।

5.172. 1. 1977-79 के दो वर्षों के लिए 10.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत चल रही मुख्य प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे, (1) केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, फोरमैन, प्रशिक्षण संस्थान, और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान; (2) उच्च प्रशिक्षण संस्थान की वृद्धि विस्तार (3) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रसार; (4) महिलाओं को, रोजगारों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और (5) विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जाने वाली अनुसंधान, सर्वेक्षण व अध्ययन से सम्बन्धित स्कीमें आती है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाएं

5.173. पांचवीं योजना के प्रारूप में राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के लिए 42.37 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों में संभावित व्यय 15.69 करोड़ रुपए रखा गया है।

5.174. 1. 1977-79 के दो वर्षों के लिए (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों; (2) प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार; (3) रोजगार सेवा संगठनों को संगठित करने, (4) श्रमिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना और बचाव उपायों को बढ़ाने और (5) कर्मचारी राज्य-बीमा

स्कीम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 20.27 करोड़ रुपए का परिव्यय सुझाया गया है।

शिल्पी प्रशिक्षण और श्रमिक कल्याण के लिए पांचवीं योजना के संशोधित परिव्यय

(लाख रुपए)				
पंचवर्षीय योजना का प्रारूप	1976-77 के लिए प्रत्याशित व्यय	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	1457	401	1017	1418
राज्य	3751	1407	1685	3092
संघशासित क्षेत्र	486	162	342	504
जोड़	5694	1970	3044	5014

11. पहाड़ी और जन-जाति क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज कल्याण और पुनर्वास पहाड़ी क्षेत्र

5.175. यह स्कीम असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, व पश्चिमी घाट क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों से सम्बन्धित है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था आंशिक रूप में राज्य योजना और आंशिक रूप में उप-योजना विनियोजन से की जाती है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्रीय विनियोजन 76 करोड़ रुपए के थे, जबकि राज्यों द्वारा 68 करोड़ रुपए की पूँजी लगाए जाने की संभावना है।

5.176. अब तक प्राप्त अनुभव में कार्यक्रम में गति आने की आशा है। केन्द्रीय योजना में पहले दो वर्षों में 94 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की गई है।

जनजाति क्षेत्र

5.177 16 राज्यों और 2 संघशासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जन-जाति उप-योजनाओं के अन्तर्गत जन-जाति अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित विशेष महत्व के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इन योजनाओं व केन्द्रीय सहायता के प्रावधानों से व्यवस्था की जा रही है। अब तक 145 समेकित जन-जाति विकास परियोजनाओं में से लगभग 40 तैयार कर ली गई हैं और योजना के प्रथम तीन वर्षों में 65 करोड़ रुपए की राशि व्यय किए जाने की संभावना है।

5.178. आरंभ की कठिनाइयों के दूर हो जाने की आशा है और यह भी आशा है कि समेकित जन-जाति विकास परियोजनाएं बनाई जाएंगी और पांचवीं योजना की शेष अवधि में उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। इस आधार पर 125 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान अगले दो वर्षों के लिए किया जा रहा है।

5.179. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का संतुलित विकास के लिए उत्तर पूर्वी परिषद् द्वारा भेजी गई कृषि, विद्युत् एवं संचार सम्बन्धी क्षेत्रीय स्कीमों को प्राथमिकता दी गई है। यह आशा है कि पहले तीन वर्षों में 28 करोड़ रुपए का व्यय ऐसी स्कीमों पर किया जाएगा। स्कीमों के अभिनिधारण व कार्यान्वयन में आरम्भिक कठिनाइयों के कारण यह कार्यक्रम शुरू में धीरे चला। अब यह तेज़ चलने लगा है। अगले दो वर्षों के लिए 62 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

5.180. इन कार्यक्रमों के लिए परिव्ययों का विवरण नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	1974-77 के लिए	1977-79 के लिए परिव्यय	पांचवीं योजना का कुल प्रत्याशित व्यय
(0)	(1)	(2)	(3)
1. पहाड़ी क्षेत्र	76	94	170
2. उत्तर-पूर्वी परिषद्	28	62	90
3. जनजाति क्षेत्र	65	125	190
4. जोड़	169	281	450

पिछड़े वर्गों का कल्याण

5.181. संशोधित पांचवीं योजना परिव्यय बढ़ाकर केन्द्र व राज्यों के लिए क्रमशः 119 करोड़ रुपए व 208 करोड़ रुपए रखा गया है। अनुलग्नक-42 में विवरण दिए गए हैं। केन्द्रीय योजना में मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियों, छात्रों व कन्या छात्रावासों के लिये स्कीमों पर बल दिया गया है। राज्य योजनाओं में शैक्षणिक प्रोत्साहनों, आर्थिक सहायता प्राप्त आवास, विभिन्न कृषि कार्यक्रमों व विकास निगमों की आवश्यकता के लिये प्रावधान किए गए हैं।

समाज-कल्याण

5.182. संशोधित पांचवीं योजना के परिव्यय केन्द्र व राज्यों के लिये क्रमशः 63.53 करोड़ रुपये व 22.60 करोड़ रुपये रखे गये हैं। अनुलग्नक-43 में विवरण दिए गए हैं।

5.183. ये परिव्यय विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में बताई गई प्रगति से सम्बन्धित हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे समेकित बाल देखभाल सेवाएं, कार्यशील महिला छात्रावास, केन्द्रीय क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां और राज्य क्षेत्र में महिला व बाल कल्याण कार्यक्रम व सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया है।

पुनर्वास

5.184. पांचवीं योजना में 65827 परिवारों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। यह संख्या अब 67067 परिवार निश्चित की गई है। यह आशा है योजना के प्रथम तीन वर्षों में 47.62 करोड़ रुपये के समग्र व्यय की तुलना में 35767 परिवारों को हाल में पुनः बसाया गया होगा। पांचवीं योजना के अगले दो वर्षों के लिये परिव्यय निम्नलिखित विचारों पर आधारित हैं:—

(1) श्रीलंका : सम्भावित 28434 परिवारों में से 16,434 परिवारों को अब तक 14.17 करोड़ रुपये के व्यय पर पुनः बसाया गया है। यह आशा है कि अगले दो वर्षों में लगभग 14 करोड़ रुपये के व्यय पर 12000 परिवार पुनः बसाए जाएंगे।

(2) दण्डकारण्थ : शिविर में 9120 परिवारों में से 3120 परिवार लगभग 13.54 करोड़ रुपये के व्यय पर पहले तीन वर्षों में पुनः बसाए गए हैं। यह आशा है कि योजना की शेष अवधि में लगभग 12 करोड़ रुपये के व्यय पर 6000 परिवारों को पुनः बसाया जाएगा। पुनर्वास पर सीधे व्यय के अलावा इन परिव्ययों में मुख्य सिचाई परियोजनाओं और अन्य आधारभूत विकास पर व्यय भी शामिल हैं।

(3) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याएं : पुनर्वास विभाग द्वारा बनाए गए कार्यकारी दल की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर 10.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस निर्धारण में जिन क्षेत्रों में प्रवासियों की आबादी धनी है और चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये परिव्यय अपेक्षित है उनमें एस० एफ० डी० ए०/एम०एफ० ए० एल० के कार्यक्रमों को तेजी से चलाने के अलावा, कलकत्ता महानगर जिले में विस्थापित व्यक्तियों के उप नगरों में 8000 भूखण्डों और अन्य 4000 शहरी भूखण्डों को विकसित किया जाना शामिल है।

(4) अन्य स्कीमें : जहां तक बर्मा पश्चिम पाकिस्तान, उगांडा, जैरे से देश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को और पहले के पूर्वी पाकिस्तान की भारतीय बस्तियों से प्रवासियों को फिर से बसाने का सम्बन्ध है, योजना के पहले तीन वर्षों में 15843 परिवारों को पुनः बसाने के लिये 17.73 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। यह आशा है कि शेष दो वर्षों में 11,300 परिवारों को पुनः बसाना होगा। इसके लिए 17.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5.185. पांचवीं योजना में जिन परिव्ययों की स्कीमवार व्यवस्था की गई है वे अनुलग्नक 44 में दिए आए हैं।

12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

5.186. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में जहां तक संभव हो पाया है अनुसंधान कार्यक्रमों को पूर्वनिश्चित समय सारणी, लागत और सम्भावित लाभों वाली परियोजनाओं में फिर से ढालने का प्रयत्न किया गया है। पुरानी परिपाठी के विपरीत विभिन्न मंत्रालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों पर अलग से विचार किया गया। इस विचार विमर्श में अनुसंधान कार्यक्रमों को योजना प्राथमिकताओं के साथ बहुत निकट से जोड़ने और अनुसंधान का उपयोग करने वालों और अनुसंधान अभिकरणों के मध्य तुरन्त प्रतिक्रिया प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया ताकि समस्याओं को और भी अच्छी तरह परिभाषित किया जा सके और प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण भी सुविधा से हो सके।

5.187. वर्तमान सुविधाओं के भरपूर उपयोग, विभिन्न अभिकरणों द्वारा एक ही तरह की समस्याओं पर अनियोजित तरीके से अनुसंधान करते रहने को रोकने, बहुत ज्यादा परियोजनाओं में साधनों को विछाने का काम कम से कम करना और क्षेत्र में उपयोग तक, अनुसंधान कार्यक्रमों का निकट से प्रबोधन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आशा है।

5. 188. मोटे तौर पर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर पांचवीं योजना प्रारूप के अनुसार बल दिया जाता रहेगा। कृषि का जहां तक संबंध है, इसमें फसलों की बीमारियों को रोकने, फसल अनुक्रम, वारानी खेती कृषि, औजार, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी आदि पर बल दिया जायेगा। योजना में नये कृषि औद्योगिकी केन्द्रों, मछली फार्मों की स्थापना और कृषि संस्थानों, पशु विज्ञान व मत्स्य पालन संस्थानों को अधिक सहायता देने की भी परिकल्पना की गई है। ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योगों के उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी में सुधार करने के कार्यक्रमों पर तेजी से काम करने का प्रस्ताव है। मधु मक्खी पालन, कुम्हारी, ताड़ गुड़, गुड़ और खंडसारी के कार्यकलापों के बारे में भी काम करने का प्रस्ताव है। जल संसाधनों की सर्वोच्च प्रबन्ध की समस्याओं पर विचार करने के लिए जल विज्ञान संस्थान गठित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय अनुसंधान और विकास की सिचाई स्कीमों के लिए आवश्यकता से कम धन न दिया जाए। इस बात पर निगरानी रखी जाएगी और इस प्रकार के तंत्र की भी व्यवस्था कर दी गई है कि अनुसंधान के निष्कर्षों का तुरन्त खेत में उपयोग किया जाए।

5. 189. ऊर्जा के क्षेत्र में, बायोगैस, प्रौद्योगिक का विकास करने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सौर ऊर्जा, ज्वारभाटा और वायु शक्ति जैसे नये स्रोतों में भी काम आरम्भ किया जायेगा। अन्तः संस्थागत परियोजना के रूप में “मेगनेट हाइड्रोइलेमिक्स” पर एक मुख्य कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। खनन तकनीकों में सुधार, खान सुरक्षा, परिवहन और कोयले के गैसीकरण के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। भण्डारण सामग्री का विकास करने, सुधरे औजार और कोयले के परिष्करण और उसकी किसी ठीक करने के लिए धन दिया जा रहा है।

5. 190. विद्युत इंजीनियरिंग, परीक्षण सुविधाएं खास कर हाई बोल्टेज/डी० सी० पारेषण से संबंधित लाइनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम पांचवीं योजना प्रारूप के अनुसार ही है और उनमें कोई खास फेर बदल नहीं किया गया है। जो परिवर्तन किए गए हैं वे पावर रियक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट्स और वाल बियरिंगों और विद्युत संयन्त्रों के लिए सीमलेस स्टील ट्यूबें बनाने की सुविधाओं में विनियोजन से संबंध है।

5. 191. इस्पात में वि० व० प्रौ० के उत्पादन और क्षमता के उपयोग में सुधार, घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग, रिफ्रेक्टरी क्वालिटी में सुधार, नये किस्म का भिन्न लोहा विकसित करना और स्पॉज लोहा तैयार करने की नई तकनीकों को विकसित करने पर बल दिया गया है। अनेक प्रकार के नये रसायन खासकर कीटनाशक दवाइयों, औषधि और मझलै पदार्थ जो अब तक आयात किए जाने थे इन क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक संस्थानों खासकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। भारी इंजीनियरी के सामान के संबंध से वेर्लिंग के लिए अनुसंधान संस्थान गठित करने का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

5. 192. देश के प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जा रहा है। नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी, भू विज्ञान और अन्य सर्वेक्षण अभिकरणों और समुद्र विज्ञान भी राष्ट्रीय संस्थान जैसे संगठनों के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जायगी। रिमोट सेसिंग क्षमताओं संयुक्त उपग्रह को छोड़ने के लिए अंतरिक्ष विभाग का कार्यक्रम इसके पूरक के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा पैट्रोल की खोज के लिए संस्थागत अनुसंधान सुविधाओं और रिजर्व अध्ययन पर भी काम हो रहा है। पेड़ प्रजनन और मुख्य किस्मों में बीमारियों को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मौसम विज्ञान में, विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करने के अलावा भारत एक नये कार्यक्रम में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम मौसम

को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी अध्ययन के अंश के रूप में मानसून 77 का भाग है जो इस और मोनेक्स (मानसून परीक्षण) से सहयोग से चलाया जा रहा है। आई० एन० एस० ए० टी० 1 के लिये भी व्यवस्था की गई हो यह प्रस्तावित भारतीय कृतिम उपग्रह मौसम के बारे में अनेक प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करेगा।

5.193. स्वास्थ्य के संबंध में, परिवार नियोजन के नये तरीकों के अनुसंधान, शिशुओं को स्वास्थ्य रक्षा सेवा में उपलब्ध करने की समेकित प्रणाली और मलेरिया, क्षयरोग और हैजा संकेत संचारी रोगों के नियन्त्रण और रोकने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है।

5.194. आवास और शहरी विकास का प्राथमिक क्षेत्र नये कम लागत के आवास अभिकल्पों और सामग्रियों का विकास, ग्रामीण स्वच्छता और बेकार पानी का उपचार है। पर्यावरणीय, सुरक्षा से संबंधित अभिकरणों को समुचित प्राथमिकता दी गई है।

5.195. इलाक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में अनेक प्रकार के इलाक्ट्रोनिक उपकरणों के देश में बनाने के लिये अनुसंधान करने के लिये अनेक संस्थानों को धन दिया जायगा। इसके अलावा इलाक्ट्रोनिक्स विभाग कतिपय महानगरों में मुख्य बहु उपयोग क्षेत्रीय संगणन केन्द्र स्थापित करेगा और सेमी कण्डकटर उपकरणों को बनाने के लिये एक निगम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय जांच घर जैसे संस्थानों को इलाक्ट्रोनिक मानक और जांच तकनीक के मूलभूत आधार को विकसित करने के लिये सहायता दी जाएगी। इलाक्ट्रोनिक घरों में संगणन के व्यापार और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिये यह विभाग पहले ही निगम स्थापित कर चुका है। दूर संचार अनुसंधान उन चीजों को देश में बनाने पर विशेष ध्यान देगा जो अब तक आयात किए जा रहे थे और मुख्य बल उपकरणों, पारेशन प्रणाली और विनियम उपस्करणों पर दिया जाएगा। गाजियाबाद में एक एशियन दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

5.196. अंतरिक्ष अनुसन्धान में मुख्य प्रयत्न अनुसन्धान कार्य को बढ़ाना और एस० एल० वी० 3 प्रक्षेपक के बैरियटो को बनाना है जिनके आधार पर उसे छोड़ा जा रहा है या अन्य देशों के सहयोग से अधिक विकसित उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। प्रस्तावित आई० एन० एस० ए० टी०-1 जो कि मौसम उपस्करणों के अलावा है में विभिन्न दूर संचार और अन्य क्षमताएं होगी और इस कार्यक्रम में और अनुकूलता लायेगा।

5.197. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय सूचना प्रणाली आरम्भ करने के लिए योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। एक कम्पनी द्वारा फनराइट्स और एलैक्ट्रोनिक सेरामिक्स निर्माण की व्यवस्था की गई है और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत प्रायोजित परियोजनाओं के लिए धनराशियों में काफी वृद्धि की गई है।

5.198. आपरेशन, प्रक्रिया नियन्त्रण, माप और अनुसंधान के नये उपकरणों को विकसित करने में अनेक अभिकरण काफी प्रयत्न कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उपकरण विकास प्रभाग द्वारा समन्वकारी निवेश उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

5.199. राष्ट्रीय जांच घर और भारतीय मानक संस्थान जैसे अभिकरणों की जांच सुविधाओं को सुवृढ़ किया जाएगा।

5.200. देश में अनुसन्धान को प्रेरित करने के लिए उन उद्योगों के बारे में औद्योगिक लाईसेंस देने की नीति का उदारीकरण कर दिया गया है जो अनुसन्धान और विकास द्वारा या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित मानकों पर आधारित है। अनुसन्धान और विकास शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है।

5.201. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए परिव्ययों का विभाग-वार विवरण अनुलग्नक-45 में दिया गया है। आई० एन० एस० ए० टी० के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय और पर्यटन और नागर उड्डयन मन्त्रालय (मौसम विज्ञान) में से प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

6. 1 विद्युत् और सिचाई प्रणालियों के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् का प्रस्ताव विद्युत् और सिचाई प्रणालियों के बारे में प्रस्ताव

सिचाई और विद्युत् प्रणाली में देश ने काफी ज्यादा धन लगा रखा है और यह निश्चित है कि अभी आने वाले वर्षों में ये काम योजना संसाधनों का अधिक भाग समाएंगे। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि ये क्षेत्र अब राज्यों में बजट पर भार रूप में न रहें और उनमें अपना योगदान करें।

जहां तक विद्युत् प्रणालियों का सम्बन्ध है, यद्यपि शुल्क बढ़ाने की काफी गुंजाइश है फिर भी इससे लाभ, वर्तमान क्षमता का उच्च स्तर पर उपयोग खत्म कर, तापीय विद्युत् सञ्चालनों के सम्बन्ध में कर, ऊपरी खर्च और संचालन व्यय घटाकर, पारेषण और वितरण की हानियों को घटाकर, बकाया रकम की बसूली और चोरी भी रोकने और परियोजनाओं को समय पर पूरा कर प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, राज्यों और क्षेत्रों के मध्य फालतू बिजली या विनिमय का पूरा लाभ उठाया जाए और तापीय और पन बिजली का समेकित संचालन किया जाए जिससे क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

सिचाई परियोजनाओं में खर्च पूरा करने और राजस्व बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि जहां कहीं जल की दरें लागत से कम हों, वहां उनमें वृद्धि की जाए। सिचाई प्रणालियों का अच्छा प्रबन्ध करने और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को यथासमय पूरा करने को सुनिश्चित करने की काफी गुंजाइश है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए:—

राष्ट्रीय विकास परिषद् यह निश्चय करती है कि सिचाई प्रणालियों में संचालन खर्च और उपज दोनों आ जानी चाहिए और अगर संभव हो तो कुछ और भी इसमें ले लिया जाना चाहिए। विद्युत् प्रणालियाँ ऐसी होनी चाहिएं कि खर्च पूरा करने के अलावा विनियोजन पर युक्तियुक्त लाभ भी दें और शीघ्र निम्न प्रकार से कार्यवाही करें:—

- (1) विद्युत् और सिचाई प्रणालियों में पहले से निर्मित क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाए।
- (2) ऊपरी खर्च और कार्य संचालन व्यय कम कर लागत घटाएं, नुकसान और चोरी कम से कम हो और देयताओं के संग्रह में सुधार करें।
- (3) कुशल परियोजना प्रबन्ध से यथासमय पर परियोजनाएं पूरी करें।
- (4) जहां कहीं संभव हो, वहां दरें बढ़ाएं।

2. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् का प्रस्ताव

पूरी तरह यह विचार करके कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

आत्म-निर्भरता और गरीबी हटाने के उद्देश्यों को पुनः स्वीकार करते हुए मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने के लिए किए गए प्रभावी उपायों को देखते हुए;

कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए;

नए आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में राष्ट्र के मनोबल और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए;

विशाल मात्रा में किए गए विनियोजनों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की सतत आवश्यकता और संसाधन जुटाने की महती आवश्यकता को समझते हुए;

राष्ट्रीय विकास परिषद् अपनी सितम्बर, 1976 की बैठक में एतद् द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करती है; और

समाज के सभी वर्गों के लोगों से योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग प्रदान करने की अपील करती है।

7. અનુલગ્નક

अनुलग्नक-1
(अध्याय 2, पृष्ठा 2. 9)

व्यवस्थित जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
(1-1-1975 की स्थिति)

क्षेत्र/राज्य	सर्वेक्षणीय क्षेत्र वर्ग कि० मी० में	पूर्ण किया गया सर्वेक्षण	अंतर	
			(1-2)	(%)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. उत्तर क्षेत्र				
2. उत्तर प्रदेश	271293	170070	101223	37.3
3. उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र				
4. जम्मू व कश्मीर	24926	10550	14376	57.6
5. दिल्ली	1485	1483	2	0.1
6. पंजाब	50362	41715	8647	17.2
7. हरियाणा	44222	40190	4032	9.2
8. चंडीगढ़	115	115	—	0.0
9. हिमाचल प्रदेश	19453	3900	15553	79.9
10. पश्चिमी क्षेत्र				
11. राजस्थान	342214	239515	102699	30.0
12. गुजरात	195984	69175	126809	64.7
13. पूर्वी क्षेत्र				
14. बिहार	173876	43870	130006	74.7
15. पश्चिमी बंगाल	87743	72140	15603	17.8
16. उड़ीसा	155782	34845	117939	75.7
17. अंडमान व निकोबार	8293	2200	6093	73.4
18. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
19. असम	78523	21820	56703	72.2
20. मेघालय	22489	50	22439	99.7
21. अरुणाचल प्रदेश	48738	20	48718	99.9
22. त्रिपुरा	10477	2550	7927	75.6
23. नागालैण्ड	14367	600	13767	95.8
24. मिजोरम	21496	625	20871	97.0
25. मणिपुर	21087	—	21087	100.0
26. मध्यवर्ती क्षेत्र				
27. मध्य प्रदेश	442841	78730	364111	82.2
28. महाराष्ट्र	307762	60240	247522	80.4
29. गोवा, दीव और दमण	3813	2275	1538	40.3
30. दक्षिणी क्षेत्र				
31. आंध्र प्रदेश	276811	96720	180094	65.0
32. तमिलनाडु	128769	45975	82794	64.2
33. पांडिचेरी	480	—	480	100.0
34. केरल	38759	20080	18679	48.1
35. लक्षद्वीप	32	—	32	100.0
36. कर्नाटक	191773	38720	153053	79.8
37. जोड़	2983968	1101173	1882795	63.0

अनुलग्नक-2

(अध्याय 2, पैरा 2.22)

भारत में भूवैज्ञानिक मानचित्रण का स्थान

(1 : 63360/50,000)

(1-1-1975 की स्थिति)

राज्य/संघशासित क्षेत्र (0)	राज्य का क्षेत्र (वर्ग कि० मी०) (1)	मानचित्रित क्षेत्र	
		वर्ग कि० मी० (2)	% (3)
1. असम	99610	39857	40.01
2. भेवालय	22489	1140	5.07
3. अशणाचल प्रदेश	81424	2015	2.48
4. मिजोरम	21090	352	3.05
5. नागालैण्ड	16527	316	1.91
6. मणिपुर	22356	552	2.37
7. त्रिपुरा	10477	3419	32.63
8. अंडमान व निकोबार	8293	—	0.00
9. पश्चिम बंगाल	87853	57770	65.76
10. बिहार	173876	116443	66.97
11. उड़ीसा	155842	109767	70.43
12. पूर्वी क्षेत्र	699837	331631	47.39
13. उत्तर प्रदेश	294413	60352	20.50
14. जम्मू व कश्मीर	222236	59913	26.96
15. दिल्ली	1483	984	66.35
16. पंजाब-हरियाणा	94699	27794	29.35
17. हिमाचल प्रदेश	55673	25302	45.61
18. उत्तरी क्षेत्र	668504	174435	26.09
19. मध्य प्रदेश	442841	325544	73.51
20. महाराष्ट्र	307762	51057	16.39
21. गोवा, दीव व दमण	3813	—	0.00
22. राजस्थान	342214	244538	71.46
23. गुजरात	195984	19081	9.74
24. पश्चिमी-मध्यवर्ती क्षेत्र	1292614	640220	49.53
25. आंध्र प्रदेश	276814	141287	51.04
26. तमिलनाडु	130069	115310	88.65
27. पांडिचेरि	480	373	77.71
28. केरल	38864	31024	79.83
29. कर्नाटक	191773	87879	45.82
30. लख्नऊप	32	—	0.00
31. जोड़	638032	375873	59.91
32. दक्षिणी क्षेत्र	3298987	1522159	46.14

ज्ञात स्वस्थान भण्डारों में से प्रमुख औद्योगिक खनिजों के कुल भण्डारों से निकालने योग्य

भण्डार का प्रतिशत

अनुमान (1-1-1975 तक)

खनिज (०)	कुल भण्डार से निकालने योग्य भण्डार का प्रतिशत (१)
1. कोर्किंग कोयला (उत्तम)	30. 0
2. गैर-कोर्किंग कोयला	50. 0
3. कच्चा तेल	उ० न०
4. लोह अयस्क	
(क) हैमाटाइट	90. 0
(ख) मैग्नेटाइट	34. 0
5. मैग्नीज अयस्क	70. 0
(क) निम्न श्रेणी	87. 0
(ख) मध्यम श्रेणी	82. 1
[(ग) उच्च श्रेणी	56. 4
6. कोमाइट	80. 0
7. निकिल अयस्क	0. 85
8. बाक्साइट	90. 0
9. तांबा अयस्क ¹	1. 36
10. सीसा अयस्क ¹	2. 66
11. जस्ता अयस्क ¹	2. 32
12. राक फास्फेट	50. 0
13. चूना-पत्थर	80. 0
14. डोलोमाइट	80. 0
15. बेराइट्स	77. 6
16. कायनाइट	उ० न०
17. एसबेस्टस	उ० न०
18. मैगासाइट	11. 5
19. अब्रक	उ० न०

¹धातु की मात्रा के अनुसार

ग्रन्तिलग्नक-4

(अध्याय 2, पृष्ठा 2.27)

घटक लागत पर कुल आंतरिक उत्पादन में विकास की दर¹

(1961-62 से 1973-74 तक)

क्षेत्र (०)	विकास की दर (प्रतिशत) (१)
1. कृषि और संबद्ध	2.07
2. खनन और उत्खनन	4.04
3. विनिर्माण (जोड़)	4.21
4. विनिर्माण (पंजीयित)	4.95
5. विनिर्माण (अपंजीयित)	2.89
6. निर्माण	4.80
7. विजली गैस और जल पूर्ति	9.90
8. रेलें	3.27
9. अन्य परिवहन	5.16
10. अन्य सेवाएं	4.35
11. जोड़	3.40

¹समय विहीन अर्थलाग—समाश्रयण से अनुमानित

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन अनुमान

कुल उत्पादन के विकास की दर और क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों द्वारा पांचवीं योजना की अवधि में
बढ़े हुए कुल मूल्य और 1973-74 तथा 1978-79 में बढ़े हुए कुल मूल्य का
क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत)

क्षेत्र/उप-क्षेत्र	विकास की दर		1974-75 की कीमतों के अनुसार ¹ कुल बढ़े हुए मूल्य का वितरण	
	कुल उत्पादन	कुल बढ़ा हुआ मूल्य	1973-74	1978-79
			(1)	(2)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. कृषि	3.94	3.34	50.78	48.15
1. खाद्यान्न	3.62	2.47	21.50	19.58
2. अन्य क्षेत्र फसलें	3.94	3.70	21.68	21.00
3. पशुपालन और मत्स्योद्योग	4.27	4.26	6.09	6.06
4. पौदरोपण	3.33	3.31	0.32	0.31
5. वन उद्योग	4.70	4.70	1.18	1.20
2. खनन और माल तैयार करना	7.10	6.54	15.78	17.49
(क) खनन	12.58	11.44	0.99	1.37
6. कोयला	9.38	8.75	0.55	0.67
7. लोह अयस्क	9.54	9.35	0.08	0.10
8. कच्चा तेल	14.68	13.76	0.21	0.33
9. अन्य खनिज	18.38	17.52	0.15	0.28
(ख) माल तैयार करना	6.92	6.17	14.79	16.11
(i) खाद्य उत्पाद	4.63	3.73	2.13	2.07
10. चीनी और गुड़	4.85	4.55	0.30	0.31
11. वनस्पति तेल	6.62	6.33	0.29	0.31
12. चाय और काफी	3.16	2.92	0.11	0.10
13. अन्य खाद्य उत्पाद	4.23	3.06	1.43	1.35
(ii) वस्त्रोद्योग	3.45	3.21	3.50	3.31
14. सूती वस्त्र	2.85	2.62	2.02	1.86
15. पट्टसन का सामान	3.54	3.54	0.31	0.30
16. अन्य वस्त्र	4.36	2.50	0.17	0.15
17. विविध प्रकार का कपड़ा	4.62	4.38	1.00	1.00
(iii) लकड़ी और कागज	6.75	4.90	0.58	0.59
18. लकड़ी उत्पाद	5.49	5.19	0.52	0.54
19. कागज और कागज उत्पाद	8.13	2.25	0.06	0.06
(iv) चमड़े और रबड़ उत्पाद	5.50	2.47	0.16	0.15
20. चमड़ा उत्पाद	4.76	2.56	0.05	0.05

अनुलेखक-5 (जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
21. रबड़ उत्पाद	5.79	2.43	0.11	0.10
(v) रसायनिक उत्पाद	10.84	10.46	1.84	2.44
22. उर्वरक	22.26	21.91	0.30	0.64
23. अकार्बनिक भारी रसायन	10.26	9.84	0.20	0.26
24. कार्बनिक भारी रसायन	11.06	10.48	0.06	0.08
25. प्लास्टिक और रंग-रोगन	10.35	8.74	0.10	0.12
26. सौन्दर्य प्रसाधन और आपैश्यां	4.89	5.00	0.22	0.22
27. कृतिम तंतु	5.14	2.73	0.04	0.04
28. अन्य रसायन	7.35	7.55	0.93	1.08
(vi) कोयला और पेट्रोलियम				
उत्पाद	7.63	7.90	0.23	0.27
29. विविध कोयला उत्पाद	10.69	9.93	0.09	0.12
30. पेट्रोलियम उत्पाद	6.96	6.45	0.14	0.15
(vii) अधात्विक खनिज उत्पाद	7.40	7.33	1.58	1.82
31. सीमेंट	7.19	7.13	0.18	0.21
32. रिफेन्ट्रीज	7.69	7.43	0.05	0.06
33. अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	7.43	7.35	1.35	1.55
(viii) मूल धातुएं	14.12	13.40	1.09	1.65
34. लोहा और इस्पात	11.31	11.21	0.79	1.00
35. अलोह धातुएं	18.38	18.35	0.31	0.57
(ix) धातु उत्पाद	5.60	4.64	1.08	1.09
36. बोल्ट और नट	7.24	7.16	0.05	0.06
37. धातु से बने डिब्बे	8.30	5.68	0.05	0.06
38. अन्य धातुक उत्पाद	5.27	4.44	0.98	0.98
(x) बिजली के अलावा इंजी-				
नियरी उत्पाद	8.40	7.99	0.61	0.73
39. बाल बियरिंग	6.62	6.02	0.05	0.05
40. कार्यालय और घरेलू उपस्कर	10.19	8.74	0.06	0.07
41. कृषि के ओजार	4.97	3.95	0.11	0.10
42. मशीनों ओजार	11.03	11.04	0.11	0.15
43. अन्य मशीनें	8.66	8.30	0.30	0.36
(xi) बिजली इंजीनियरी उत्पाद	7.64	6.42	0.60	0.67
44. बिजली की मोटरें	6.39	4.94	0.06	0.06
45. बिजली के तार	8.03	3.92	0.12	0.11
46. इलेक्ट्रोनिक्स	10.45	7.57	0.05	0.06
47. बैटरियां	5.88	5.61	0.05	0.05
48. बिजली का घरेलू सामान	6.40	4.29	0.05	0.05
49. रेडियो	4.82	4.31	0.05	0.05

अनुलग्नक-5 (जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
50. टेलीफोन और टेलीप्राफ़ के उपस्कर	4. 91	4. 12	0. 04	0. 04
51. अन्य विजली का सामान	9. 67	9. 52	0. 19	0. 24
(xii) परिवहन उपस्कर	3. 73	3. 12	0. 96	0. 90
52. मोटर साईकल	7. 40	5. 78	0. 06	0. 06
53. मोटर वाहन	2. 53	2. 53	0. 30	0. 27
54. जहाज और नावें	6. 39	6. 36	0. 03	0. 04
55. हवाई जहाज	6. 43	6. 27	0. 04	0. 04
56. रेल के उपस्कर	3. 00	1. 89	0. 40	0. 36
57. अन्य परिवहन उपस्कर	5. 17	4. 99	0. 13	0. 13
(xiii) उपकरण	5. 39	4. 45	0. 03	0. 03
58. घड़ियाँ और क्लाक	5. 08	3. 43	0. 01	0. 01
59. विविध वैज्ञानिक उपकरण	5. 51	4. 82	0. 02	0. 02
(xiv) विविध उद्योग	6. 75	4. 42	0. 38	0. 38
60. अन्य उद्योग	6. 58	2. 42	0. 24	0. 21
61. मुद्रण	7. 21	7. 38	0. 14	0. 17
3. विजली	10. 12	8. 15	0. 79	0. 94
62. विजली	10. 12	8. 15	0. 79	0. 94
4. निर्माण	5. 90	5. 18	4. 06	4. 21
63. निर्माण	5. 90	5. 18	4. 06	4. 21
5. परिवहन	4. 79	4. 70	3. 43	3. 48
64. रेल	4. 63	4. 44	1. 02	1. 03
65. अन्य परिवहन	4. 91	4. 80	2. 40	2. 45
6. सेवाएं	4. 88	4. 80	25. 16	25. 73
66. सेवाएं	4. 88	4. 80	25. 16	25. 73
67. जोड़		4. 37	100. 00	100. 00

अनुलग्नक-6
(अध्याय 3, पैरा 3.8)

चुनी हुई चीजों के लिए 1978-79 में वास्तविक उत्पादन स्तर के संकेत

मद	इकाई	1973-74	1978-79
		(1)	(2)
खाद्यान्न और अन्य कृषि			
1. खाद्यान्न	दस लाख टन	104.7	125
2. गन्ना	दस लाख टन	140.8	165.0
3. कपास	लाख गांठें (हरेक 170 किंवद्दन की)	63.1	80.0
4. जूट और भेस्ता	लाख गांठें (हरेक 180 किंवद्दन की)	76.8	77.0
5. तिलहन	लाख टन	93.9	120
6. कोयला	दस लाख टन	79.0	124.0
7. लोह अयस्क	दस लाख टन	35.7	56.0
8. कच्चा तेल	दस लाख टन	7.2	14.18
खाद्य सामग्री			
9. चीनी	दस लाख टन	3.95	5.4
10. बनस्पति	हजार टन	449	610
वस्त्रोद्योग			
11. सूती धागा	दस लाख किंवद्दन	1000	1150
12. सूती कपड़ा	दस लाख मीटर	4083	4800
मिल क्षेत्र	दस लाख मीटर	3863	4700
विकेन्द्रित क्षेत्र	हजार टन	1074	1280
13. जूट से बना सामान	हजार टन	776	1050
कागज और कागज से बना सामान	हजार टन	48.7	80.0
14. कागज और गता	दस लाख जोड़े	14.6	18.0
15. अखबारी कागज	दस लाख-संख्या	4.66	8.0
चमड़े और रबड़ से बना सामान	दस लाख-संख्या	24.03	30.0
16. चमड़े के जूते	दस लाख जोड़े	38.8	50.0
17. अटोमोबाइल टायर	दस लाख जोड़े	19.7	27.0
18. साइकिल टायर	दस लाख जोड़े	319	770
19. रबड़ के जूते	दस लाख जोड़े	1343	2700
पेट्रोलियम से बना सामान	हजार टन	419	610
20. पेट्रोलियम से बना सामान (स्नेहक सहित)	दस लाख जोड़े	480	710
रासायनिक उत्पाद			
21. नाइट्रोजनीय उर्वरक (एन)	हजार टन	1058	2900
22. फास्फेटिक उर्वरक (पी२ ओ५)	हजार टन	319	770
23. सल्फूरिक एसिड	हजार टन	480	710
24. कास्टिक सोडा	हजार टन	23	50
25. सोडा ऐश	हजार टन		
26. मेथनाल	हजार टन		

अनुलग्नक-6 (जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)
27. संशिलस्ट रबड़	हजार टन	23. 3	40
28. डी० डी० ई०	हजार टन	3. 9	4. 4
29. बी० एच० सी०	हजार टन	21	28
30. रेयन फिलामेंट	हजार टन	37	40
31. रेयन रेशा तंतु	हजार टन	62	100
32. रेयन टायर धागे	हजार टन	16. 9	20
33. नाइलान फिलामेंट और रेशा	हजार टन	11. 3	17
34. पोलिएस्टर फिलामेंट और रेशा	हजार टन	15. 1	24. 0
35. ऐक्सिलिक तंतु	हजार टन	—	6
36. डी० एम० टी०	हजार टन	4. 2	24. 0
37. नाइलान टायर धागे	हजार टन	2. 2	6. 0
अधिकांश खनिज उत्पाद			
38. सीमेंट	दस लाख टन	14. 67	20. 8
39. रिफेक्ट्रीज	हजार टन	710	1020
मुल धातुएं			
40. बिक्री के लिए कच्चा लोहा	दस लाख टन	1. 59	2. 50
41. नरम इस्पात	दस लाख टन	4. 89	8. 80
42. औजार मिश्र और विशेष इस्पात	हजार टन	339	570
43. ऐल्यूमीनियम	हजार टन	147. 9	310. 0
44. तांबा	हजार टन	12. 7	37. 0
45. जस्ता	हजार टन	20. 8	80. 0
धात्विक उत्पाद			
46. इस्पात कार्सिंग	हजार टन	67	100
47. इस्पात फोर्जिंग	हजार टन	97. 3	130
बिजली के अलावा इंजीनियरी उत्पाद			
48. बाल और रोलर बियरिंग	दस लाख संख्या	24. 4	34. 0
49. डम्पर्स और स्केप्स	संख्या	215	450
50. कालर ट्रेक्टर	संख्या	278	450
51. सड़क रोलर	संख्या	1566	1200
52. क्रृषि ट्रेक्टर	हजार संख्या	24. 2	55. 0
53. मशीनी औजार ^{1,2}	दस लाख रु०	673	1300
54. मूर्ती वस्त्रोद्योग की मशीनें ¹	दस लाख रु०	458	1300
55. कोयला और खनन की मशीनें ¹	दस लाख रु०	62. 3	200
56. सीमेंट की मशीनें ¹	दस लाख रु०	81	150
57. चीनी की मशीनें ¹	दस लाख रु०	223	400
58. छपाई की मशीनें ¹	दस लाख रु०	9. 3	60
59. रबड़ की मशीनें ¹	दस लाख रु०	14. 5	100
60. कागज और लुगदी की मशीनें ¹	दस लाख रु०	51. 7	280
61. टाइप राइटर	हजार-संख्या	33. 7	60
62. सिलाई की मशीनें ²	हजार संख्या	257	415

अनुलग्नक-6 (जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)
बिजली इंजीनियरी उत्पाद			
63. पन-बिजली टर्बाइन	दस लाख कि० वा०	0.7	1.4
64. तापीय टर्बाइन	दस लाख कि० वा०	1.4	2.5
65. इलेक्ट्रीक ट्रांसफार्मर	दस लाख कि० वा०	12.42	20.0
66. इलेक्ट्रीक मोटरे	दस लाख अश्व शक्ति	3.24	4.5
67. ए० सी० एस० आर० और ए० ए० कंडक्टर	हजार टन	46.4	90
68. ड्राई चैटरी	दस लाख-संख्या	654	800
69. स्टोरेज बैटरी ²	हजार संख्या	1293	1500
70. बिजली के बल्ब	दस लाख-संख्या	120.6	180
71. फ्लूरोसेंट दृश्य	दस लाख-संख्या	12.7	20
परिवहन उपस्कर			
72. यात्री कार	हजार-संख्या	44.2	32
73. वाणिज्यिक वाहन	हजार- संख्या	42.9	60
74. मोटर साइकिल-स्कूटर और मोपेड	हजार संख्या	150.7	320
75. डीजल लोकोमोटिव	संख्या	145	160
76. इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव	संख्या	50	70
77. सवारी के डिव्हे	संख्या	1308	1200
78. माल के डिव्हे	हजार-संख्या	12.2	15
79. साइकिल ²	हजार-संख्या	2575	3000
बिजली			
80. बिजली उत्पादन	कि० वा० घं०	72	116-117
81. रेल में आरभिक यातायात	दस लाख टन		260

¹ 1973-74 में वास्तविक उत्पादन वर्तमान कीमतों पर है और उत्पादन का वितरण 1974-75 की कीमतों पर है।

² केवल संगठित क्षेत्र।

अनुलग्नक-७
(अध्याय 4.1, पैरा 4.4)

पांचवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का अनुमान—केन्द्र¹

(करोड़ रु०)

(०)	पहले 3 वर्ष 1974-77	बाद के 2 वर्ष 1977-79	संशोधित पांचवीं योजना 1974-79	
			(१)	(२)
			(३)	
1. आंतरिक बजट संसाधन	9144	10254	19398	
1. 1973-74 की करों की दर पर वर्तमान राजस्व से बकाया	1768	285	2053	
2. 1973-74 के किराए और भाड़े पर सरकारी उद्यमों का				
सकल अधिशेष	791	761	1552	
(क) रेलवे	1005	813	— 1818	
(ख) डाक व तार	181	199	380	
(ग) अन्य	1615	1375	2990	
3. बाजार ऋण (निवल)	1799	1947	3746	
4. छोटी बचत	233	310	543	
5. राज्य भविष्य निधि	601	568	1169	
6. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (निवल)	559	1663	2222	
7. अंतिरिक्त संसाधन जुटाना (राज्य के हिस्से का निवल)	3393	4120	7513	
(क) 1974-75 के उपाय	2601	2182	4783	
(ख) 1975-76 के उपाय	515	606	1121	
(ग) 1976-77 के उपाय	277	552	829	
(घ) 1977-79 के उपाय	—	780	780	
8. विदेशी मुद्रा संचित राशि के उपयोग के बदले में उद्धार	—	600	600	
2. विदेशी सहायता (निवल)				
(क) तेल व विशेष ऋणों के अलावा	2526	2400	5834	
(ख) तेल व विशेष ऋण	908			
3. घाटे की वित्त-व्यवस्था	754	600	1354	
4. कुल संसाधन	13332	13254	26586	
5. राज्य योजनाओं के लिए सहायता	— 3131	— 2869	— 6000	
6. योजना के लिए कुल संसाधन	10201	10385	20586	

1पांचवीं योजना के निर्माण के समय केन्द्र और राज्यों के लिए संसाधनों के अलग-अलग अनुमान नहीं लगाए गए थे।

अनुलेखक—८
(अध्याय ५.१, पैरा ४.४)

पांचवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का अनुमान—राज्य¹

(करोड़ रु०)

	(०)	पहले ३ वर्ष	बाद के २ वर्ष	संशोधित पांचवीं योजना
		1974-77	1977-79	1974-79
1. 1973-74 की दरों पर वर्तमान राजस्व से				
बकाया		1570	1278	2848
2. 1973-74 के किराए और भाड़े पर सरकारी उद्यमों		—167	—536	—703
का सकल अधिशेष		—48	—420	—468
(क) राज्य बिजली बोर्ड		—134	—114	—248
(ख) सड़क परिवहन निगम		+15	—2	+13
(ग) अन्य				
3. राज्य सरकारों, सरकारी उद्यमों और स्थानीय निकायों				
के बाजार ऋण (निवल)		1231	902	2133
4. छोटी बचत		859	620	1479
5. राज्य भविष्य निधि		449	369	818
6. वित्तीय संस्थाओं के अवधि-ऋण				
(निवल)		340	288	628
(क) जीवन बीमा निगम से		353	298	651
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से		42	45	87
(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम से		191	142	333
(घ) धटाइये—वित्तीय संस्थाओं को				
पुनर्भुगतान		—246	—197	—443
7. विविध पूँजीगत प्राप्तियां		—1115	—551	—1666
8. अतिरिक्त संसाधन जुटाने में केन्द्र का हिस्सा		380	601	981
(क) 1974-75 के उपाय		143	120	263
(ख) 1975-76 के उपाय		205	283	488
(ग) 1976-77 के उपाय		32	78	110
(घ) 1977-79 के उपाय		—	120	120
9. राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन				
जुटाना		2517	3682	6199
(क) 1974-75 के उपाय		1732	1633	3365
(ख) 1975-76 के उपाय		545	756	1301
(ग) 1976-77 के उपाय		240	592	832
(घ) 1977-79 के उपाय		—	701	701
10. कुल संसाधन		6064	6653	12717
11. राज्य योजनाओं के लिए सहायता		3131	2869	6000
12. योजना के लिए कुल संसाधन		9195	9522	18717

1. पांचवीं योजना के निर्माण के समय केन्द्र और राज्यों के लिए संसाधनों के अलग-अलग अनुमान नहीं लगाए गए थे।

केन्द्र और राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पहले तीन वर्षों में किए गए उपायों से पांचवीं योजना की अवधि में अनुमानित प्राप्ति

	(करोड़ रु०)
	प्राप्ति
(०)	(१)
1. कर	
केन्द्र	4467
1. प्रत्यक्ष कर	72
2. उत्पाद शुल्क	3246
3. सीमा शुल्क	305
4. ब्याज कर	383
5. अंतरराज्यीय विक्री कर	327
6. अन्य कर और शुल्क	134
राज्य	2725
1. भूमि राजस्व ^१	369
2. कृषि आय-कर	2
3. राज्य उत्पाद शुल्क	233
4. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	210
5. मोटर वाहनों और यात्रियों व माल पर कर	269
6. बिक्री कर	1157
7. मनोरंजन कर	117
8. अन्य कर और शुल्क	3682
2. सरकारी उद्यम	
केन्द्र	3127
1. रेलवे	2393
2. डाक-तार	734
राज्य	2364
1. राज्य बिजली बोर्ड	1809
2. सड़क परिवहन निगम	555
3. करेतर उपाय	409
1 वन	28
2. तिचार्इ	175
3. अन्य मद	206
कुल जोड़	13092

1इसमें वाणिज्यिक फसलों पर उप कर शामिल हैं।

2इसमें 88 करोड़ रु० की राशि शामिल है जिसके लिए मदवार वितरण उपलब्ध नहीं है। इस राशि को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय अभी किए जाने हैं।

अनुलग्नक- 10
(अध्याय 4.2 पैरा 4.43)

पाँचवीं योजना में अनुमानित बचत और विनियोजन—

भारत : 1973-74 से 1978-79 तक

(करोड़ रु.)

	1974-79
(0)	(1)
1. सरकारी बचत	15028
(1) बजट में	8536
(2) सरकारी उद्यम	6492
2. निजी निगमित बचत	5373
3. सहकारी बचत-ऋणीतर समितियां	175
4. वित्तीय संस्थाओं की बचत	1263
(1) भारतीय रिजर्व बैंक	841
(2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	100
(3) वित्तीय संस्थाएं	65
(4) निजी निगमित वित्तीय संस्थाएं	23
(5) सहकारी ऋण समितियां	234
5. धरेलू बचत	36481
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां—कुल	25080
(क) मुद्रा में बृद्धि	1216
(ख) जमा में बृद्धि	12213
1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	10438
2. सहकारी समितियां	1045
3. बैंक से दूतर कम्पनियां	680
4. आवधिक ऋण संस्थाएं	30
5. निजी निगमित वित्त देने वाली संस्थाएं	20
(ग) जीवन बीमा निगम-जीवन निधि में बृद्धि	2186
(घ) भविष्य निधि	5062
1. केन्द्र और राज्य	1987
2. कर्मचारी भविष्य निधि	2522
3. अन्य	553
(इ) निगमित और सहकारी शेयर और यूनिट सहित ऋण पत्र	657
(च) छोटी बचत कर्जमा विविध सरकारी दायित्व	3746
(2) वित्तीय देयताएं घटाकर	(-) 6245
(3) वित्तीय परिसम्पत्तियां-निवल	18835
(4) वास्तविक परिसम्पत्तियां	17646
6. कुल आंतरिक बचत	58320
7. विदेशी सहायता	5431
8. विनियोजन के लिए उपलब्ध कुल संसाधन	63751

व्यापक, आर्थिक शेषः प्रयोज्य आय, उपभोग, बचत और विनियोजनः 1973-74

(वर्तमान कीमतों पर करोड़ रु०)

(0)	आंतरिक क्षेत्र						
	सरकारी क्षेत्र		जोड़	घरेलू क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र	जोड़	शेष विश्व	जोड़
	विभागीय उद्यम सहित सरकारी उद्यम	विभागेतर उद्यम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. घटक लागत के अनुसार नि० आ० उ०	285	283	568	48580	49148	332	49480
2. हास	146	368	514	2240	2754	—	2754
3. घटक लागत के अनुसार स० आ० उ०	. 431	651	1082	50820	51902	332	52234
4. सहायता को घटाकर अप्रत्यक्ष कर	. 5405	—	5405	—	5405	—	5405
5. अप्रत्यक्ष कर	. 5970	—	5970	—	5970	—	5970
6. सहायता	(—) 565	—	(—) 565	—	(—) 565	—	(—) 565
7. बाजार की कीमतों पर स० आ० उ०	. 5836	651	6487	50820	57307	332	57639
8. अंतर-क्षेत्रीय अंतरण	. 405	—	405	(—) 405	—	—	—
9. प्रत्यक्ष कर	. 1665	—	1665	(—) 1665	—	—	—
10. विविध सरकारी प्राप्तियाँ	. 150	—	150	(—) 150	—	—	—
11. राष्ट्रीय क्रृषि पर व्याज	. (—) 502	—	(—) 502	502	—	—	—
12. सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र को चालू अंतरण	(—) 908	—	(—) 908	908	—	—	—

अनुलग्नक-11—(जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. प्रयोज्य आय . . .	6241	651	6892	50415	57307	332	57639
14. उपयोग . . .	5469	—	5469	43591	49060	—	49060
15. बचत . . .	772	651	1423	6824	8247	332	8579
16. सामान और वटकेतर सेवाओं का निवल आयात — — —	—	—	—	—	—	123	123
17. निनियोजन के लिए कुल बचत . . .	772	651	1423	6824	8247	455	8702
18. सकल आंतरिक बचत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अनुपात . . .	1. 4	1. 1	2. 5	11. 9	14. 4	0. 8	15. 2

नि० आ० उ० ==निवल आंतरिक उत्पाद

स० आ० उ० ==सकल आंतरिक उत्पाद

स० रा० उ० ==सकल राष्ट्रीय उत्पाद

अनुलग्नक-12

(अध्याय 4.2, पैरा 4.44)

व्यापक आंतरिक शेष : प्रयोज्य आय, उपभोग, बचत और विनियोजन : 1978-79

(1975-76 की कीमतों पर करोड़ रु०)

आंतरिक सरकारी क्षेत्र

(0)	विभागीय उद्यम सहित सरकारी उद्यम	विभागीय उद्यम उद्यम	जोड़	घरेलू क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र	जोड़	शेष विश्व	जोड़
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. घटक लागत के अनुसार नि० आ० उ०	1318	524	1842	70683	72525	380	72905
2. ह्रास	230	817	1047	3113	4160	—	4160
3. घटक लागत के अनुसार स० आ० उ०	1548	1341	2889	73796	76685	380	77065
4. सहायता को घटाकर अप्रत्यक्ष कर	10879	—	10879	—	10879	—	10879
5. अप्रत्यक्ष कर	11714	—	11714	—	11714	—	11714
6. सहायता	(—) 835	—	(—) 835	—	(—) 835	—	(—) 835
7. बाजार की कीमतों पर स०आ०स०	12427	1341	13768	13796	87564	380	87944
8. अंतर-क्षेत्रीय अंतरण	870	—	870	(—) 870	—	—	—
9. प्रत्यक्ष कर	3010	—	3010	(—) 3010	—	—	—
10. विविध सरकारी प्राप्तियां	230	—	230	(—) 230	—	—	—
11. राष्ट्रीय दृष्टि पर व्याज	(—) 1050	—	(—) 1050	1050	—	—	—
12. सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र को चाल अंतरण	(—) 1320	—	(—) 1320	1320	—	—	—
13. प्रयोज्य आय	13297	1341	14638	72926	87564	380	87944
14. उपभोग	10593	—	10593	63058	73651	—	73651
15. बचत	2704	1341	4045	9868	13913	380	14293
16. सामान और घटकेतर सेवाओं का निवल आयात	—	—	—	—	—	532	532
17. विनियोजन के लिए कुल बचत	2704	1341	4045	9868	13913	912	14825
18. सकल आंतरिक बचत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अनुपात	3.1	1.5	4.6	11.3	15.9	1.0	16.9

नि० आ० उ० —निवल आंतरिक उत्पाद

स० आ० उ०—सकल आंतरिक उत्पाद

स० रा० उ—सकल राष्ट्रीय उत्पाद

अनुलग्नक-13
(अध्याय 4.3, पैरा 4.53)

1974-75 और 1975-76 में मुख्य वस्तुओं का निर्यात

(करोड़ ₹०)

मद		1974-75	1975-76
(०)		(१)	(२)
1. चाय		228.1	236.8
2. जूट से बना सामान		296.8	248.3
3. काफी		51.4	66.7
4. तम्बाकू		80.4	93.1
5. वनस्पति तेल (अखाद्य)		33.7	33.3
6. खली		96.0	86.2
7. काजू की गिरी		118.2	96.1
8. मसाले		81.4	71.0
9. कच्चा सूत		15.2	38.8
10. मछली और मछली से बनी चीजें		66.2	126.6
11. चीनी		339.0	472.3
12. चावल		21.5	13.0
13. लाख		24.3	12.7
14. कोयला		6.6	16.7 ¹
15. लौह अयस्क		160.4	213.8
16. मैग्नीज अयस्क		17.6	17.5
17. अध्रक		18.2	14.6
18. सूती कटपीस-छत्रिम		129.6	119.4
19. सूती कटपीस-हथकरघा		29.3	39.4
20. सूती पोशाक		96.9	144.9
21. नारियल जटा और उससे बना सामान		17.9	19.0
22. छत्रिम तंतु से बने कपड़े		18.3	15.0
23. चमड़ा और चमड़े का सामान (जूतों को छोड़कर)		145.0	201.3
24. जूते		20.3	21.2
25. रासायनिक और संबद्ध उत्पाद		82.9	84.4
26. टायर और ट्रक्स		10.8	7.4 ¹
27. इंजीनियरी सामान		356.6	408.7
28. लोहा और इस्पात		21.1	68.2
29. हस्तशिल्प			
(1) मोती, हीरे-जवाहरात आदि		98.4	123.0
(2) अन्य हस्तशिल्प		88.2	101.2
30. अन्य		568.3	731.0
31. जोड़		3328.8	3941.6

¹ये आंकड़े अनंतिम हैं, क्योंकि केवल नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) के लिये वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक-14

(अध्याय 4. 3, पैरा 4. 53)

1974-75 और 1975-76 से मुख्य वस्तुओं का आयात

(करोड़ रुपये)

मद	1974-75	1975-76
(0)	(1)	(2)
1. धातु, अयस्क [और रही माल	608.3	423.5
2. धातु उत्पाद, मशीनें और परिवहन उपस्कर	723.2	910.6
3. पैट्रोलियम कच्चा उत्पाद और स्नेहक	1156.9	1225.7
4. उर्वरक और उर्वरकों के लिये कच्चा माल	486.2	463.4
5. अन्य	1544.2	2134.6
(1) खाद्यान्न और खाद्यान्न से तैयार सामान	763.8	1338.3
(2) काजू (कच्ची)	36.6	33.6
(3) कच्चा रबड़	6.9	6.8
(4) कपड़ा	67.1	72.7
(क) कच्चा सूत	27.4	28.2
(ख) कच्चा ऊन	27.5	25.9
(ग) कच्चा जूट	3.7	3.3
(घ) अन्य	8.5	15.3
(5) तिलहन		
(6) वनस्पति तेल और चर्बी	34.8	18.3
(7) रसायन	249.9	286.8
(क) रसायन तत्व और मिश्रण	186.2	177.4
(ख) रंगाई, चर्मशोधन और रंगाई का सामान	11.4	11.6
(ग) चिकित्सा और औषध-निर्माण से संबंधित वस्तुएं	34.2	36.2
(घ) अन्य	64.1	61.6
(8) लुगदी और रही कागज	9.8	16.3
(9) कागज, गत्ता और अखबारी कागज	59.5	56.2
(10) अधात्विक सामान	62.6	96.3
(11) विविध और अवर्गीकृत	208.6	209.3
6. जोड़	4518.8	5157.8

अनुलग्नक-15

(अध्याय 4.3, पैरा 4.58)

पांचवीं योजना की अवधि के लिये निर्यात के संकेत

(करोड़ रुपये)

मद	योजना का प्राप्त	संशोधित संकेत
(0)	(1)	(2)
1. चाय	840	1233
2. जूट से बना सामान	1200	1317
3. काफी	190	368
4. तंबाकू से बना सामान	335	550
5. खली	315	481
6. काजू की गिरी	405	632
7. मसाने	170	365
8. कच्चा सूत	115	75
9. मछली और मछली से बना सामान	580	853
10. चीनी	115	1424
11. लौह अयस्क	980	1373
12. कोयला	40	75
13. अभ्रक और अभ्रक से बना सामान	120	220
14. सूती वस्त्र-मिल में बने ¹	1000	1585
15. हथकरघा कटपीस	155	256
16. नारियल जटा और उससे बना सामान	90	131
17. कुनिम तंतु से बने काढ़े	80	143
18. चमड़ा और जूतों सहित चमड़े का सामान	945	1352
19. रसायन और संबद्ध उत्पाद	370	567
20. रबड़	60	88
21. हंजीनियरी सामान	1500	2328
22. लोहा और इस्पात	240	786
23. हस्तशिल्प	905	1237
(1) मोती, हीरे जवाहरात	600	695
(2) अन्य हस्तशिल्प	305	542
24. जोड़ (1-23)	10750	17439
25. अन्य	1830	4283
26. कुल जोड़	12580	21722

¹इसमें कटपीस, सूती धागा, पोशाक, होजियरी और अन्य सूती सामान शामिल हैं।

पांचवीं योजना की अवधि के लिए आयात के संकेत

(करोड़ रु०)

मद	योजना का प्रारूप	संशोधित
(0)	(1)	(2)
1. धातु अयस्क और रद्दी सामान	1920	2347
2. धातु उत्पाद, मशीनें और परिवहन उपस्कर, इसमें पुर्जे और अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं।	4010	6034
3. पेट्रोलियम कच्चा, उत्पाद और स्नेहक (पी ओ एल)	3080	6280
4. उर्वरक और उर्वरक के लिए कच्चा माल	1450	3168
5. अन्य ¹	3640	10705
6. जोड़	14100	28524

1. संशोधित अनुमानों में खातान्नों के आयात के लिए व्यवस्था शामिल है।

अनुलग्नक-17
(अध्याय, 5.1, पैरा 5.6)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना(1974—79)
क्षेत्रीय परिव्यय, (केन्द्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र)

(करोड़ रु०)

विकास शीर्ष	पांचवीं योजना का प्रारूप			1974-77		
	केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	जोड़	केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	जोड़
			क्षेत्र			क्षेत्र
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	2140.00	2795.00	4935.00	826.00	1304.19	2130.19
2. सिचाइ और बाढ़ नियंत्रण	140.00	2541.00	2681.00	35.82	1615.68	1651.50
3. विद्युत्	738.00	5452.00	6190.00	392.27	3120.78	3513.05
4. उद्योग और खनन	8270.00	759.00	9029.00	4760.46	444.89	5205.35
5. परिवहन और संचार	5727.00	1388.00	7115.00	2841.52	711.15	3552.67
6. शिक्षा	484.00	1242.00	1726.00	191.23	396.54	587.77
7. समाजिक और सामुदायिक सेवाएं (इसमें आर्थिक और सामान्य सेवाएं शामिल हैं परन्तु शिक्षा शामिल नहीं है)	2078.00	2996.00	5074.00	873.13	1449.29	2322.42
8. पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् योजनाएं	—	500.00	500.00	—	177.50	177.50
9. अभी तक सूचित नहीं किया गया क्षेत्रीय वितरण	—	—	—	—	260.44	260.44
10. जोड़	19577.00	17673.00	37250.002	9920.43	9480.46	19400.89

अनुलग्नक-17(जारी)

(करोड़ रु०)

विकास शीर्ष	1977-79				पांचवीं योजना		
	केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र		जोड़	केन्द्र	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	
		(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
(0)							
1.	कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	1077.40	1436.00	2513.40	1903.40	2740.19	4643.59
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	47.26	1741.42	1788.68	83.08	3357.10	3440.18
3.	विद्युत्	432.95	3347.90	3780.85	825.22	6468.68	7293.90
4.	उद्योग और खनन	4566.06	429.19	4995.25	9326.52	874.08	10200.60
5.	परिवहन और संचार	2664.38	664.38	3328.76	5505.90	1375.53	6881.43
6.	शिक्षा	214.06	482.46	696.52	405.29	879.00	1284.29
7.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं (इसमें आर्थिक और सामान्य सेवाएं शामिल हैं परंतु शिक्षा शामिल नहीं है)	1031.56	1412.79	2444.35	1904.69	2862.08	4766.77
8.	पंहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् योजनाएं	—	272.50	272.50	—	450.00	450.00
9.	अभी तक सूचित नहीं किया गया क्षेत्रीय वितरण	—	66.29	66.29	—	326.73	326.73
10.	जोड़	10033.67	9852.93 ¹	19886.60	19954.10	19333.39 ¹	39287.49 ¹

1. इसमें 16 करोड़ रु० की राशि शामिल नहीं है जिसके लिए क्षेत्रीय वितरण अभी तैयार किया जाना है।

2. इसमें बाद में जोड़ी गई 203 करोड़ रु० की राशि शामिल नहीं है।

श्रीनुलग्नक-28(जारी)

(0)	(1)
10. भाटगर पन-बिजली घर (महाराष्ट्र)	16
11. कोयना पन-बिजली घर चरण-3 (महाराष्ट्र)	320
12. वैतरना पन-बिजली घर (महाराष्ट्र)	60
13. कोयना बांध बिजली घर (महाराष्ट्र)	18
14. कोराडी तापीय बिजली घर (महाराष्ट्र)	480
15. कोराडी तापीय बिजली घर विस्तार (महाराष्ट्र)	200
16. नासिक तापीय बिजली घर विस्तार (महाराष्ट्र)	200
जोड़ :	3153

दक्षिणी क्षेत्र	
1. कोथगुडम तापीय बिजली घर चरण-3 (आनंदप्रदेश)	220
2. कोथगुडम तापीय बिजली घर चरण-4 (आनंदप्रदेश)	220
3. विजयवाडा तापीय बिजली घर (आनंदप्रदेश)	200
4. लोवर सिलेरु पन-बिजली घर (आनंदप्रदेश)	400
5. नागर्जुनसागर पन-बिजली घर (पुराते ढंग का) (आनंदप्रदेश)	110
6. श्रीसैलम पन-बिजली घर (आनंदप्रदेश)	110
7. इदिक्की बिजली घर चरण 1 (केरल)	390
8. शरावटी पन-बिजली घर चरण 3 (कर्नाटक)	178. 2
9. लिंगभट्टी पन-बिजली घर (कर्नाटक)	55
10. कालीनदी पन-बिजली घर (कर्नाटक)	270
11. कुंदाह पन-बिजली घर चरण 4 (तमिलनाडु)	110
12. सुरुलियार पन-बिजली घर (तमिलनाडु)	35
13. एन्नोर तापीय बिजली घर विस्तार (तमिलनाडु)	110
14. तूरीकोरिन तापीय बिजली घर (तमिलनाडु)	200
15. मद्रास परमाणु बिजली घर (केन्द्रीय)	235
जोड़ :	2843. 2

पूर्वी क्षेत्र	
1. कोसी पन-बिजली घर (बिहार)	5
2. सुबर्णरेखा पन-बिजली घर (बिहार)	130
3. पतरातु विस्तार (बिहार)	220
4. बाली मेला पन-बिजली घर (उडीसा)	240
5. तालचेर तापीय बिजली घर (उडीसा)	220
6. संतालदीह तापीय बिजली घर विस्तार (पश्चिम बंगाल)	360
7. जलधारा पन-बिजली घर चरण 2 (पश्चिम बंगाल)	8
8. कुसियोंग पन-बिजली घर (पश्चिम बंगाल)	2
9. लोवर लग्याप पन-बिजली घर (सिक्किम)	12
10. चन्द्रपुरा तापीय बिजली घर (दामोदर धाटी निगम)	360
11. दुर्गापुर तापीय बिजली घर विस्तार (दा० धा० नि०)	200
जोड़ :	1757

अनुलग्नक—18
(अध्याय 5.1, पैरा 5.6)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना-केन्द्रीय

(करोड़ ₹०)

मंत्रालय/विभाग	संशोधित पांचवीं योजना
(०)	(१)
1. कृषि	1828.09
2. परमाणु ऊर्जा	619.08
3. नागरिक पूर्ति और सहकारिता	148.93
4. कोयला	1147.58
5. वाणिज्य	207.33
6. संचार	1266.61
7. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	81.77
8. शिक्षा और संस्कृति	405.29
9. इलेक्ट्रोनिक्स	46.37
10. उर्वरक और रसायन	1602.06
11. वित्त	131.73
12. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	833.19
13. भारी उद्योग	365.43
14. गृह	143.12
15. औद्योगिक विकास	609.59
16. सूचना और प्रसारण	109.18
17. सिचाई	114.63
18. श्रम	14.18
19. खान	550.59
20. कार्मिक	0.50
21. योजना	25.24
22. पेट्रोलियम	2051.53
23. विद्युत्	557.45
24. रेल	2202.00
25. पुनर्वर्स	102.61
26. विज्ञान और औद्योगिकी	58.96
27. नौवहन और परिवहन	1682.61
28. समाज कल्याण	63.53
29. अंतरिक्ष	128.27
30. इस्पात	2237.42
31. पूर्ति	2.15
32. पर्यटन और नागर विमानन	375.59
33. निर्माण और आवास	241.49
34. जोड़	19954.10

पांचवीं पंचवर्षीय योजना-राज्य

राज्य	संशोधित पांचवीं योजना (करोड़ ₹०)
(०)	(१)
1. आंध्र प्रदेश	1333.58
2. असम	473.84
3. बिहार	1296.06
4. गुजरात	1166.62
5. हरियाणा	601.34
6. हिमाचल प्रदेश	238.95
7. जम्मू व कश्मीर	362.64
8. कर्नाटक	997.67
9. केरल	568.96
10. मध्य प्रदेश	1379.71
11. महाराष्ट्र	2347.61
12. मणिपुर	92.86
13. मेघालय	89.53
14. नागालैण्ड	83.63
15. उड़ीसा	585.02
16. पंजाब	1013.49
17. राजस्थान	709.24
18. सिक्किम	39.64
19. तमिल नाडू	1122.32
20. त्रिपुरा	69.68
21. उत्तर प्रदेश	2445.86
22. पश्चिम बंगाल	1246.83
23. सभी राज्य	18265.08

अनुलग्नक-20

(अध्याय 5.1, पैरा 5.6)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना—संघ शासित क्षेत्र

(0)	संशोधित पांचवीं योजना (करोड़ ₹०)
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	33.72
2. अरुणाचल प्रदेश	30.30
3. चंडीगढ़	39.76
4. दादरा व नगर हवेली	9.41
5. दिल्ली	316.01
6. गोवा, दमण व दीव	85.00
7. लक्ष्मीप	6.23
8. मिजोरम	46.59
9. पांडिचेरी	34.04
10. जोड़	634.06

20 सूक्ष्मी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में प्रस्तावित योजना आवंटन 1977-79

विषय	1977-79 (लाख ₹०)
(०)	(१)
1. विद्युत्	
(क) विद्युत् विभाग	22093
(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग	13640
(ग) बासोदर घाटी नियम	7562
2. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (हथकरघा)	3000
3. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	
(क) कृषि कृषण	21840
(ख) उपभोक्ता सहकारी संस्था	1525
(ग) छोटी सिचाई	1800
4. श्रम और रोजगार प्रशिक्षण प्रशिक्षण	46
5. शिक्षा	
(के) पुस्तक बैंक	300
(ख) छात्र सहायता निधि	130
(ग) तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रशिक्षण	270
6. जोड़	75706

ग्रन्तिलग्नक-22:
(अध्याय 5.1, पैरा 5.5).

20-सूक्ष्मी आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में 1977-79 के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय राज्य/संघ शासित क्षेत्र

राज्य	भूमि सुधार	छोटी सिचाई	बड़ी और मझौली सहकारिता	विद्युत	हथकरघा उद्योग	भूमिहीन श्रमिकों को आवास	प्रशिक्षण	पुस्तकों और लेखन सामग्री की निःशुल्क प्रूति	(लाख रुपये)	
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. आंध्र प्रदेश	101	1150	18265	1100	26358	252	210	6	15	47457
2. असम	231	1400	1726	638	4540	141	52	4	60	8792
3. बिहार	850	5185	12600	692	17095	180	200	10	55	36867
4. गुजरात	550	2035	12500	1177	18350	39	140	6	20	34817
5. हरियाणा	32	200	9111	546	9696	67	28	3	2	19685
6. हिमाचल प्रदेश	93	412	400	140	1930	32	—	3	30	3040
7. जम्मू व कश्मीर	110	986	2150	100	3350	50	25	6	5	6782
8. कर्नाटक	950	2350	10570	1150	14870	171	200	22	40	30323
9. केरल	1325	775	4110	375	5359	165	340	16	60	12525
10. मध्य प्रदेश	410	4043	12928	1158	29984	97	300	12	130	49062
11. महाराष्ट्र	62	5000	24480 ¹	1150	43495	191	130	80	90	74678
12. मणिपुर	15	145	830	65	245	80	—	1	12	1393
13. मेघालय	25	135	10	105	724	22	—	1	15	1037
14. नागालैंड	43	110	—	63	230	7	—	1	7	461
15. उड़ीसा	390	1350	5350	785	10592	55	75	2	40	18639
16. पंजाब	—	1400	3440	866	16292	5	75	6	3	22087
17. राजस्थान	25	510	9525	305	9388	40	8	5	3	19759
18. सिविकम	—	60	45	35	150	6	3	—	10	309
19. तमिलनाडु	उ० न०	1350	4654	441	19000	448	120	11	15	26039
20. त्रिपुरा	45	212	10	69	385	38	12	1	7	779
21. उत्तर प्रदेश	1500	5500	21704	1660	48159	915	240	15	300	79993 ²

22. पश्चिम बंगाल	1150	2900	4000	800	22154	187	195	11	170	31567
23. समीरा राज्य	7907	37208	158408	13420	302296	3188	2353	222	1089	526091
संघ शासित क्षेत्र										
1. अंडमान व निकोबार										
द्वीप समूह	4	7	—	25	121	—	—	—	1	158
2. अरुणाचल प्रदेश	उ० न०	192	—	97	260	12	—	—	8	569
3. चंडीगढ़	—	17	—	7	229	—	—	1	3	257
4. दादरा व नागर हवेली	14	28	182	6	41	—	—	—	1	272
5. दिल्ली	—	126	—	74	3046	30	20	40	40	3376
6. गोवा, दमण व दीव	55	101	1115	45	565	1	12	4	8	1906
7. लक्ष्मीप	—	—	—	25	35	—	—	नगण्य	—	60
8. मिजोरम	उ० न०	60	—	55	275	39	—	नगण्य	8	437
9. पांडिचेरी	20	70	48	25	125	17	24	6	6	341
10. संघ शासित क्षेत्र का जोड़	93	601	1345	359	4697	99	56	51	75	7376
11. कुल जोड़	8000	37809	159753	13779	306993	3287	2489	273	1664	533467

1बड़ी और मझौली सिंचाई के लिए कुल परिव्यय 28480 लाख रुपये होगा जिसमें रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत 4000 लाख रुपये शामिल है।

उ० न०—उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक-२३
(अध्याय ५.२, पैरा ५.८)

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के अन्तर्गत संशोधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना परिव्ययों का क्षेत्रवार वितरण

(लाख रु०)

विकास-शीर्ष	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड़
(०)	(१)	(२)	(३)	(४)
1. भूमि सुधार को छोड़ कर कृषि	78530.20	51522	2162.94	132215.14
2. भूमि सुधार	1200.36	15053	—	16253.36
3. छोटी सिंचाई	3107.00	75116	1009.10	79232.10
4. भू संरक्षण	4190.00	17181	742.54	22113.54
5. क्षेत्र विकास	10000.00	10659	—	20659.00
6. खाद्य	11832.55	518	—	12350.55
7. पशुपालन और डेरी विकास	21925.70	20784	1096.81	43770.51
8. मर्स्योद्योग	6804.81	7508	686.84	14999.65
9. वन	2912.00	16452	1205.59	20569.59
10. कृषि वित्त संस्थाओं में निवेश	39116.00	12861	—	51977.00
11. सामुदायिक विकास	442.00	11842	460.97	12744.97
12. सहकारिता	10280.00	26624	670.04	37574.04
13. जोड़	190340.62	265984	8034.83	464359.45

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के अन्तर्गत राज्य वार परिव्यय

(लाख रु०)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पांचवीं योजना का प्रारूप	प्रत्याशित व्यय 1974-77	प्रस्तावित परिव्यय 1977-79	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	12986	5046	6650	11696
2. असम	9334	4491	5489	9980
3. बिहार	20472	9914	11488	21402
4. गुजरात	17753	9536	9426	18962
5. हरियाणा	8773	2771	2996	5767
6. हिमाचल प्रदेश	5554	3002	2674	5676
7. जम्मू व कश्मीर	6047	2231	2751	4982
8. कर्नाटक	18240	8964	9650	18614
9. केरल	10484	5652	5565	11217
10. मध्य प्रदेश	21231	10719	12651	23370
11. महाराष्ट्र	31883	14877	14323	29200
12. मणिपुर	1469	774	861	1635
13. मेघालय	1894	1148	1049	2197
14. नागालैंड	2037	1177	1181	2358
15. उड़ीसा	10300	4589	5336	9925
16. पंजाब	10913	6476	7716	14192
17. राजस्थान	8222	3510	4052	7562
18. सिक्किम	1027	312	729	1041
19. तमिलनाडु	20327	6814	6093	12907
20. तिपुरा	1741	930	1235	2165
21. उत्तर प्रदेश	38308	14886	16380	31266
22. पश्चिम बंगाल	14802	8970	10900	19870
23. राज्यों का जोड़	273797	126789	139195	265984
संघ शासित क्षेत्र				
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	913.00	298.20	515.00	813.20
2. अरुणाचल प्रदेश	1695.00	615.00	1039.00	1654.00
3. चंडीगढ़	95.00	49.17	74.80	123.97
4. दादरा व नगर हवेली	174.00	113.47	118.90	232.37
5. दिल्ली	547.00	358.00	432.00	790.00
6. गोवा, दमण व दीव	1569.00	930.51	737.56	1668.07
7. लक्ष्मणपुर	216.00	100.15	137.85	238.00
8. मिजोरम	1567.00	743.92	903.00	1646.92
9. पांडिचेरी	863.00	421.30	447.00	868.30
10. सभी संघ शासित क्षेत्र	7639.00	3629.72	4405.11	8034.83
11. अखिल भारतीय जोड़	281436.00 ¹	130418.72	143600.11	274018.83

¹योजना के प्रारूप में किए गए 2795 करोड़ रु० के प्रावधान में बाद में 19.36 करोड़ रु० की वृद्धि कर दी गई है।

अनुलग्नक-25

(अध्याय 5.2, पैरा 5.12)

बड़ी और मक्कीली सिचाई का कार्यक्रम
पांचवीं योजना—परिव्यय

(करोड़ ₹०)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पांचवीं योजना के प्रारूप के परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना के परिव्यय		
		1974-77	1977-79	कालम (2+3) का जोड़
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. ओडिशा	198.00	145.46	182.65	328.11
2. असम	21.00	11.74	17.26	29.00
3. बिहार	239.70	129.00	126.00	255.00
4. गुजरात	218.00	133.34	125.00	258.34
5. हरियाणा	103.00	65.44	91.11	156.55
6. हिमाचल प्रदेश	1.05	0.58	4.00	4.58
7. जम्मू व कश्मीर	28.25	13.21	21.50	34.71
8. कर्नाटक	201.00	79.72	105.70	185.42
9. केरल	82.00	40.43	41.10	81.53
10. मध्य प्रदेश	200.00	121.29	129.28	250.57
11. महाराष्ट्र	375.06	197.59	244.80	442.39
12. मणिपुर	10.26	8.05	14.46	22.51
13. मेघालय	0.41	0.07	0.10	0.17
14. नागालैंड	—	—	—	—
15. उडीसा	71.00	42.41	53.50	95.91
16. पंजाब	30.00	31.22	34.40	65.62
17. राजस्थान	133.95	113.85	95.25	209.10
18. सिक्किम	—	0.50	0.45	0.95
19. तमिलनाडु	68.03	38.58	46.54	85.12
20. त्रिपुरा	0.09	0.07	0.10	0.17
21. उत्तर प्रदेश	294.71	257.25	217.04	474.29
22. पश्चिम बंगाल	56.25	29.83	40.00	69.83
राज्यों का जोड़	2331.76	1459.63	1590.24	3049.87
1. द्रादरा व नगर हवेली	4.99	0.61	1.82	2.43
2. गोवा, दमन व दीव	11.12	5.54	11.15	16.69
3. पांडिचेरी	0.67	0.28	0.48	0.76
संघ शासित क्षेत्रों का जोड़	16.78	6.43	13.45	19.88
केन्द्रीय क्षेत्र	52.90	7.76	17.42	25.18
कुल जोड़	2401.44	1473.82	1621.11	3094.93
		(+ 40 इंजी एस)	(+ 40 इंजी एस)	

बड़ी और मझौली सिचाई का कार्यक्रम

पांचवीं योजना—लाभ

(‘000 हेक्टर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पांचवीं योजना में अतिरिक्त लाभ	
(0)	(1)	(2)
1. आंध्र प्रदेश	570	311
2. असम	70	58
3. बिहार	880	476
4. गुजरात	370	295
5. हरियाणा	250	170
6. हिमाचल प्रदेश	—	—
7. जम्मू व कश्मीर	30	18
8. कर्नाटक	340	224
9. केरल	160	98
10. मध्य प्रदेश	630	382
11. महाराष्ट्र	515	435
12. मणिपुर	25	5
13. मेघालय	—	—
14. नागालैंड	—	—
15. उड़ीसा	240	200
16. पंजाब	200	120
17. राजस्थान	410	251
18. सिक्किम	—	—
19. तमिलनाडु	55	50
20. त्रिपुरा	—	—
21. उत्तर प्रदेश	1375	1812
22. पश्चिम बंगाल	125	200
राज्यों का जोड़	6245	5105
1. दादरा व नगर हवेली	—	—
2. गोवा, दमण व दोब	—	—
3. पांडिचेरी	2	2
संघ शासित क्षेत्रों का जोड़	2	2
केन्द्रीय खेत्र	—	—
अनाबंटित	—	700
कुल जोड़	6247	5807

अनुलग्नक-27
(अध्याय 5.2, पैरा 5.24)

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम
पांचवीं पंचवर्षीय योजना

(करोड़ ₹०)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र (०)	पांचवीं योजना के प्रारूप का परिव्यय (१)	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय		
		1974-77 (२)	1977-79 (३)	जोड़ (४)
राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	2.00	11.59	7.50	19.09
2. असम	7.00	5.76	9.00	14.76
3. बिहार	32.00	37.80	22.50	60.30
4. गुजरात	9.00	3.05	8.00	11.05
5. हरियाणा	9.00	3.54	4.01	7.55
6. हिमाचल प्रदेश	0.40	0.40	0.20	0.60
7. जम्मू व कश्मीर	8.00	4.45	6.00	10.45
8. केरल	23.00	5.17	3.50	8.67
9. कर्नाटक	2.00	0.76	1.00	1.76
10. मध्य प्रदेश	0.50	0.89	1.00	1.89
11. महाराष्ट्र	1.50	0.15	0.20	0.35
12. मणिपुर	1.50	0.98	0.75	1.73
13. मेघालय	0.55	0.44	0.32	0.76
14. नागालैंड	—	—	—	—
15. उड़ीसा	5.00	5.71	6.00	11.71
16. पंजाब	16.00	12.30	10.00	22.30
17. राजस्थान	2.22	1.80	1.25	3.05
18. सिक्किम	—	0.10	0.15	0.25
19. तमिलनाडु	4.00	2.47	1.46	3.93
20. तिपुरा	1.19	0.54	0.60	1.14
21. उत्तर प्रदेश	20.00	17.93	18.00	35.93
22. पश्चिम बंगाल	47.75	27.17	28.00	55.17
राज्यों का जोड़	192.61	143.00	129.44	272.44
संघ शासित क्षेत्रों का जोड़	14.92	6.63	8.30	14.93
केन्द्रीय क्षेत्र	93.50	23.05	29.85	57.90
कुल जोड़	301.03	177.68	167.59	345.27

विद्युत् उत्पादन स्कीमों से पांचवीं योजना में लाभ
सरकारी प्रतिष्ठान

क्षेत्र/ स्कीम	लाभ मेगावाट
(०)	(१)
उत्तरी क्षेत्र	
1. फरीदाबाद तापीय बिजली घर (हरियाणा)	120
2. पानीपत तापीय बिजली घर (हरियाणा)	220
3. भट्टिडा तापीय बिजली घर (पंजाब)	440
4. व्यास १ (हरियाणा, पंजाब और राजस्थान)	660
5. व्यास २ (हरियाणा, पंजाब और राजस्थान)	240
6. संबल पन-बिजलीघर (जम्मू व कश्मीर)	11
7. चनाही पन-बिजली घर (जम्मू व कश्मीर)	9
8. लोवर झेलम पन-बिजली घर (जम्मू व कश्मीर)	105
9. गिरि पन-बिजली घर (हिमाचल प्रदेश)	60
10. बस्सी विस्तार पन-बिजली घर (हिमाचल प्रदेश)	15
11. यमुना चरण २ (उत्तर प्रदेश)	240
12. यमुना चरण ४ (उत्तर प्रदेश)	30
13. रामगंगा पन-बिजली घर (उत्तर प्रदेश)	198
14. छत्तिकेश-हरद्वार (उत्तर प्रदेश)	36
15. ओबरा तापीय बिजली घर विस्तार १ (उत्तर प्रदेश)	200
16. ओबरा तापीय बिजली घर विस्तार २ (उत्तर प्रदेश)	600
17. ओबरा तापीय बिजली घर विस्तार ३ (उत्तर प्रदेश)	200
18. हरदुआगंज चरण ५ (उत्तर प्रदेश)	110
19. हरदुआगंज चरण ६ (उत्तर प्रदेश)	110
20. पनकी तापीय बिजली घर (उत्तर प्रदेश)	220
21. बदरपुर तापीय बिजली घर विस्तार (केन्द्रीय)	260
22. बदरपुर तापीय बिजली घर विस्तार (केन्द्रीय)	200
23. बैरा स्यूल पन-बिजली घर (केन्द्रीय)	201
24. राजस्थान परमाणु बिजली घर (केन्द्रीय)	220
जोड़	4645
पश्चिमी क्षेत्र	
1. उकाई पन-बिजली घर स्कीम (गुजरात)	300
2. गांधी नगर तापीय बिजली घर (गुजरात)	240
3. उकाई तापीय बिजली घर (गुजरात)	240
4. उकाई तापीय बिजली घर विस्तार (गुजरात)	400
5. अहमदाबाद तापीय बिजली घर (निझी)	110
6. कोरबा तापीय बिजली घर विस्तार (मध्य प्रदेश)	120
7. अमरकंटक तापीय बिजली घर विस्तार (मध्य प्रदेश)	240
8. सतपुड़ा तापीय बिजली घर विस्तार (मध्य प्रदेश)	200
9. बीर पन-बिजली घर (महाराष्ट्र)	9

(0)	(1)
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
1. नामरूप तापीय बिजली घर (असम)	30
2. किरदम कुरै पन-बिजली घर (मेघालय)	60
3. दजुजा पन-बिजली घर (नागालैंड)	1.5
4. गुमटी पन-बिजली घर (त्रिपुरा)	10
	<hr/>
जोड़ :	101.5
कुल जोड़ :	12499.7

127

अनुलग्नक-29
(अध्याय 5. 3, पृष्ठा 5. 33)

चौथी योजना और पांचवीं योजना के अन्त में स्थापित क्षमता का
संयंत्र के अनुसार क्षेत्रवार वितरण

(में वां में क्षमता)

क्षेत्र (०)	31-3-1974 को				31-3-1979 को					
	पन- बिजली		तापीय बिजली	परमाणु बिजली	जोड़	पन-बिजली		तापीय बिजली	परमाणु बिजली	जोड़
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1. उत्तरी	2200	1759	220	4179	4005	4379	440	8824		
2. पश्चिमी	1037	2612	420	4069	1760	5042	420	7222		
3. दक्षिणी	3080	1437	—	4517	4738	2387	235	7360		
4. पूर्वी	580	3102	—	3682	977	4462	—	5439		
5. उत्तर-पूर्वी	67	147	—	214	138	177	—	315		
6. अन्य संघ शासित क्षेत्र	—	3	—	3	—	3	—	3		
7. प्रतिष्ठानों का जोड़	6964	9060	640	16664	11618	16450	1095	29163		
8. गैर-प्रतिष्ठानों का जोड़				1792				1792		
9. कुल जोड़				18456				30955		

अनुलग्नक-30
(अध्याय 5.4, पैरा 5.37)

केन्द्रीय क्षेत्र में आईडीजिक और खनिज कार्यक्रमों पर परिव्यय

(करोड़ रु०)

मंत्रालय/ विभाग	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय
(०)	(१)
1. इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)	2237.42
2. इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग)	550.59
3. ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)	1147.58
4. पैट्रोलियम मंत्रालय (क) पैट्रोलियम (ख) पैट्रो रसायन	2051.53 (1691.28) (360.25)
5. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (क) उर्वरक (ख) रसायन	1602.07 (1488.16) (113.91)
6. उद्योग मंत्रालय (आईडीजिक विकास विभाग)	380.22
7. उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)	365.43
8. परमाणु ऊर्जा विभाग	184.18
9. इलैक्ट्रानिक्स विभाग	46.37
10. नौवहन और परिवहन मंत्रालय	146.58
11. वाणिज्य मंत्रालय	143.18
12. नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	46.13
13. वित्त मंत्रालय	131.73
जोड़	9033.00

अनुलेनक- 30क
(अध्याय 5.4, पैरा 5.37)

केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज कार्यक्रम

(करोड़ रु०)

संगठन परियोजना (०)	स्थान (१)	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय (२)	
1. इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)		2237.42	
1. 1 बोकारो (40 लाख टन)	बोकारो	825.32	
1. 2 भिलाई इस्पात संयंत्र (क) भिलाई 40 लाख टन विस्तार	भिलाई	513.87	
		(ख) रिफेन्ट्री संयंत्र	21.49
		(ग) अन्य जारी स्कीमें	42.16
1. 3 राउरकेला इस्पात संयंत्र	राउरकेला		
		(क) सर्पिल वेल्डेड किए पाइप संयंत्र	18.28
		(ख) सी० आर० जी० ओ० परियोजना	3.22
		(ग) अन्य स्कीमें—धातु मल निकालना, नेष्ठा परिष्करण आदि	24.37
1. 4 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर		
		(क) सीवलहीन ट्यूब परियोजना	1.00
		(ख) अन्य जारी स्कीमें	5.49
1. 5 दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर	1.00	
1. 6 हिन्दुस्तान स्टील लि०-प्रतिस्थापन और सन्तोलन सुविधाएं, बस्तियां आदि जैसे सामान्य परिव्यय		135.32	
1. 7 आई०आई०एस० क०	बर्नपुर	35.00	
1. 8 बी०आई०एस०एल०फोर्ज शाप परियोजना	भट्टाचार्य	2.58	
1. 9 स्टील अथारिटी आफ इंडिया (क) नए इस्पात संयंत्र		46.10	
		(ख) फेरो वेनेडियम परियोजना	3.20
		(ग) अन्य सामान्य, परिव्यय, संभाव्यता अध्ययन, आदि	1.77
1. 10 ए०पी०आई०डी०सी०स्पंज लोहा परियोजना	हैदराबाद	1.50	
1. 11 जल प्रूति परियोजनाएं (क) महानदी जलाशय		12.19	
		(ख) तनुघाट बांध	1.68
1. 12 मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स लि०		1.20	
1. 13 हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि०		19.75	
1. 14 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम		107.57	
		(क) किरबुरु खान विस्तार	7.10
		(ख) बेलाडिला खान-5 और 14	36.58
		(ग) दोनीमलाई खान	16.23
		(घ) भेघाहटाबुरु खान	32.00

(0)	(1)	(2)
(ड) पेलेट संयंत्र	दोनीमलाई और बेलाडिला	1. 70
(च) संभाव्यता रिपोर्ट और अग्रिम कार्रवाई		4. 20
(छ) प्रतिस्थापन परिव्यय		9. 74
(ज) अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला		0. 02
1. 15 दूसरा पेलेट संयंत्र	गोवा	2. 55
1. 16 लोह अयस्क बोर्ड		3. 45
1. 17 कुट्रेमुख लोह अयस्क	कुट्रेमुख	399. 24
1. 18 मेंगनीज और इंडिया लि०		1. 00
1. 19 मेंगनीज और कामाइट अयस्क के लिए अन्वेषण और अनुसंधान का विकास तथा फेरोकोमाइट परियोजना		0. 50
1. 20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी		6. 62
2. 0 इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग)		550. 59
2. 1 भारत अल्यूमीनियम कं० लि०	कोरबा	202. 62
(क) कोरबा परियोजना		187. 12
(ख) रत्नागिरि परियोजना	रत्नागिरि	15. 50
2. 2 हिन्दुस्तान जिक लि०		130. 81
(क) देवारी जिक स्मेल्टर	देवारी	25. 14
(ख) विशाखापट्टनम जिक स्मेल्टर	विशाखापट्टनम	39. 55
(ग) बलारिया खान	बलारिया	17. 97
(घ) माटन राक फास्फेट	माटन	3. 19
(ड) तुङ्ग सीसा स्मेल्टर (विस्तार और आधुनिकीकरण)	तुङ्ग	0. 83
(च) राजपुरा-दरीबा खान	राजपुरा	24. 03
(छ) जवारमाला-बरोई	जवारमाला	13. 58
(ज) सर्गेपल्ली सीसा	सर्गेपल्ली	5. 77
(झ) संभाव्यता अध्ययन		0. 75
2. 3 हिन्दुस्तान कापार लि०		115. 59
(क) खेतड़ी स्मेल्टर केंद्र	खेतड़ी	37. 80
(ख) राखा चरण-1	राखा	4. 03
(ग) राखा चरण-2	राखा	7. 00
(घ) चांदमारी खान	चांदमारी	2. 79
(ड) चांदमारी विस्तार	चांदमारी	2. 70
(च) बंदलमोट्टु खान	बंदलमोट्टु	0. 66
(छ) मोसाबनी विस्तार	मोसाबनी	5. 00
(ज) सुर्दा विस्तार	सुर्दा	2. 31
(झ) मलंजखंड भंडार	मलंजखंड	44. 08
(ट) धातुकर्मक और रासायनिक संयंत्र, छोटे भंडार सुर्दा चरण II, चपड़ी		8. 47
(ठ) संभाव्यता-पूर्व अध्ययन		0. 75

अनुलग्नक- 30क (जारी)

	(0)	(1)	(2)
2.4	भारत गोल्ड माइन्स लिं०	कोलार रामगिरि	8.00
2.5	खनिज अन्वेषण निगम		34.55
2.6	ए० एम० ई० सहित भारत भू सर्वेक्षण विभाग		40.03
2.7	भारतीय खान ब्यूरो		1.30
2.8	विशाखापट्टनम जिक संयंत्र को जलपूर्ति के लिए मेघाद्विषाट बांध	मेघाद्विषाट	0.61
2.9	सुकिन्दा निकल	सुकिन्दा	10.60
2.10	विज्ञान और प्रौद्योगिकी		6.48
3.0	ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)		1147.58
3.1	कोल इंडिया लि० (क) खानों पर निवेश (ख) नए कोयला ब्लाई केंद्र सुदमदीह, मोनीदीह और अन्य (ग) सी०एम०पी०डी०आई० और अन्य (घ) एल०टी०सी० संयंत्र (ङ) विस्फोटक संयंत्र (च) अन्य कार्यक्रम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खनन इंजीनियरी और कोयला नियन्त्रण संगठन)		966.14
	(छ) अग्रिम कार्रवाई सहित अन्वेषण (ज) खान सुरक्षा, विद्युत-पूर्ति, कल्याण, आदि सहित आधारभूत सुविधाएं		787.15
			45.33
			12.30
		धनकुनी	11.00
		भंडारा	6.70
			10.31
			32.85
			60.50
3.2	सिंगरेनी कोलियरीज क० लि०		59.19
	(क) खानों पर निवेश		44.00
	(ख) अग्रिम कार्रवाई		4.00
	(ग) तिम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र	रामकृष्णपुरम	11.19
3.3	नेवेली लिम्नाइट निगम	नेवेली	122.25
4.0	पेट्रोलियम मंत्रालय		2051.53
	क—अन्वेषण और परिकरण		1691.28
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग		1056.13
	(क) तटीय कार्यक्रम		414.13
	(ख) अप तटीय कार्यक्रम		599.90
	(ग) समुद्र पार प्रचालन		39.60
	(घ) अनुसंधान संस्थान		2.50
4.2	आयल इंडिया लि०		137.79
	(क) दमदमा और नियू में अन्वेषण		28.62
	(ख) पाइप लाइन परियोजनाएं		48.26
	(ग) वद्ध विद्युत संयंत्र	दुलियाजन	10.36
	(घ) पूंजीगत उपस्कर और सुविधाएं तथा अन्य स्कीमें		50.55
4.3	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०		387.14
	(क) मथुरा तेलशोधक कारखाना	मथुरा	99.48
	(ख) हल्दिया तेलशोधक कारखाना	हल्दिया	18.40
	(ग) गुजरात तेलशोधक कारखाने का विस्तार	कोयली	56.38

अनुलग्नक-30क (जारी)

(०)	(१)	(२)
(घ) सहायक परिष्करण सुविधाएं	कोयाली	22.61
(ङ) कच्चा तेल पाइप लाइन सलाया कोयाली-मथुरा		135.00
(च) विपणन प्रभाग		47.74
(छ) अनुसंधान और विकास केंद्र	फरीदाबाद	4.81
(ज) अन्य स्कीमें		2.72
4.4 मद्रास रिफाइनरीज लि०	मद्रास	1.00
4.5 एच०पी०सी०डीबोट्टलनैकिंग परियोजना	बम्बई	4.70
4.6 कोचीन रिफाइनरीज	कोचीन	0.30
4.7 बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि०	बोंगाईगांव	90.32
(क) कच्चा तेल का आसवन और मिट्टी के तेल के उपचार की इकाई		10.70
(ख) डिलेड कोकर और केल्सीनेशन इकाई		12.91
(ग) आफसाइट सहित पेट्रोरसायन स्कीमें		12.08
(घ) बढ़ विद्युत् संयंत्र		28.27
(ङ) आफसाइट उपयोगिता बस्ती		26.36
4.8 बिटुमन मार्केटिंग कार्पोरेशन लि०		1.00
4.9 लुब्रिजोल इंडिया लि०		2.90
4.10 सहायक सुविधाओं सहित नई स्कीमें		10.00
ख—पैट्रो-रसायन		348.96
4.11 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०	बड़ौदा	321.90
(क) पेट्रो-रसायन परिसर		312.28
(ख) अनुसंधान और विकास		4.62
(ग) विस्तार स्कीम		5.00
4.12 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०		11.78
4.13 सी आई पी ई टी		0.28
4.14 नई पेट्रोरसायन स्कीमें		15.00
ग—इंडो-बर्मा पेट्रोलियम क०		11.29
4.15 इंडो बर्मा पेट्रोलियम क०		11.29
(क) पेट्रोलियम प्रभाग		1.05
(ख) रसायन प्रभाग (चिस्फोटक)		3.79
(ग) इंजीनियरी प्रभाग		0.64
(घ) बामर लारी एंड क० लि०		0.81
(ङ) बीको लारी एंड क० लि०		2.00
(च) ब्रिज एंड रूफ क० (इंडिया) लि०		3.00
5.0 रसायन और उर्वरक भंतालय		1602.07
क-उर्वरक		1488.16
5.1 फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया		963.64
(क) दुर्गापुर	दुर्गापुर	22.41
(ख) बरौनी	बरौनी	23.18
(ग) नामरूप विस्तार	नामरूप	24.03
(घ) सिन्दरी यौक्तिकरण	सिन्दरी	23.39
(ङ) सिन्दरी आधुनिकीकरण	सिन्दरी	141.55

अनुलग्नक-30क (जारी)

अनुलंगक-30क (जारी)

	(0)	(1)	(2)
6.2	नेपा घेपर मिल्स विस्तार और विस्तृत उपचार	नेपा नगर	5.58
6.3	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (क) पाञ्चोटा (ख) मंधार विस्तार और सुधार (ग) बोकाजान (घ) कुरकुंठा विस्तार (ङ) नीमच (च) अकलतारा (छ) येरामांडला (ज) दो नई परियोजनाएं (झ) अन्य परिव्यय	पाञ्चोटा मंधार बोकाजान कुरकुंठा नीमच } अकलतारा } येरामांडला }	102.08 14.15 5.01 7.96 1.01 67.31 5.00 1.64 6.41 3.31 1.60 1.40 0.10 1.39 0.43 0.96 5.27 2.65 1.10 0.30 — — 1.22 0.33 3.71 0.50 3.43 0.92 1.35 0.34 2.20 0.85 43.00 0.35 5.28 365.43 55.27 183.84 5.11
6.4	इंस्ट्रुमेन्टेशन लि० कोटा (क) कंट्रोल सेपटी वाल्व आदि (ख) एकीकृत प्रणाली (ग) प्रदूषण नियंत्रण (घ) बेलो और मेम्ब्रेन का विनिर्माण	पालघाट कोटा	
6.5	नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लि० (क) केमरा परियोजना (ख) विविधीकरण कार्यक्रम	जादवपुर जादवपुर जादवपुर	
6.6	हिन्दुस्तान केबल्स लि० (क) रूपनारायणपुर में जारी स्कीमें (ख) हैदराबाद में जारी स्कीमें (ग) नई समाक्ष केबल स्कीमें (घ) बस्तियों का प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण	रूपनारायणपुर हैदराबाद — —	
6.7	भारत आर्थेलिक ग्लास टैक दाब और निस्संक्रमण स्कीमें		
6.8	टेनरी एंड फुटवीयर कार्पोरेशन	कानपुर	
6.9	भारत लेदर कार्पोरेशन		
6.10	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स	उटी	
6.11	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	नई दिल्ली	
6.12	भारत मानक संस्थान	नई दिल्ली	
6.13	राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान	अहमदाबाद	
6.14	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०		
6.15	एङ्गलूल एंड क० (बेलटींग परियोजना)		
6.16	पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता		
6.17	संभाव्यता अध्ययन		
6.18	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम		
7.0	उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)		
7.1	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०		
7.2	भारत हैवी इलेक्ट्रोकल्स लि० (क) भा०है०इ० लि० हरदार	हरदार	

अनुलग्नक-30क (जारी)

(0)	(1)	(2)
(ख) भा०है०इ० लि० हैदराबाद संयंत्र	रामचंद्रपुरम	10. 67
(ग) भा०है०इ० लि० तिरुची	तिरुची	22. 17
(घ) भा०है०इ०लि० भोपाल संयंत्र	भोपाल	9. 22
(ङ) भा०है०इ०लि० द्रांस्कार्मेर संयंत्र	आंसी	21. 22
(च) केंद्रीय फाउंड्री फोर्ज परियोजना	हरद्वार	33. 23
(छ) सीवनहीन ट्यूब संयंत्र	तिरुची	45. 10
(ज) सामान्य निगमित परिव्यय		37. 12
7.3 हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन	रांची	17. 95
7.4 भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि०	इलाहाबाद	16. 09
7.5 स्कूटर्स इंडिया लि०	लखनऊ	22. 69
7.6 जैसप्स लि०	कलकत्ता	13. 10
7.7 रिचार्ड्सन एंड क्रूडास लि०	बंबई	6. 93
7.8 माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन	दुर्गापुर	5. 64
7.9 भारत हैवी ऐट्रेस एंड वेसल्स लि०	विशाखापट्टनम	3. 69
7.10 ब्रेथवेट एंड कं०	कलकत्ता	2. 63
7.11 आई० एस० डब्ल्यू० बर्न		9. 50
7.12 आर्थर बटलर	मुजफ्फरपुर	1. 40
7.13 ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्स	मोकामा	1. 19
7.14 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	इलाहाबाद	0. 41
7.15 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स	तुंगभद्रा	0. 58
7.16 सेंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट	बंगलौर	3. 00
7.17 सम्भाव्यता अध्ययन		0. 35
7.18 वाणिज्यिक वाहन कारखाना		10. 10
7.19 विज्ञान और प्रौद्योगिकी		11. 07
8.0 परमाणु ऊर्जा विभाग		184. 18
8.1 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र		7. 40
(क) केंद्रीय वर्कशेप चरण 1 और 2		1. 52
(ख) किरण युविधाएं		0. 03
(ग) विद्युत रियेक्टर इंधन निष्पत्ति संयंत्र		1. 20
(घ) कोबाल्ट 60 युविधा		0. 03
(ङ) नाभिकीय सामग्री भंडारण युविधा		0. 39
(च) प्लॉटोनियम संयंत्र विस्तार		3. 21
(छ) यूरेनियम ध्रातु संयंत्र विस्तार		0. 36
(ज) रेडियो भेषज उत्पादन इकाई		0. 60
(झ) अन्य नई स्कीमें		0. 06
8.2 नाभिकीय इंधन परिसर		37. 75
(क) विशेष सामग्री संयंत्र (विस्तार)		0. 07
(ख) स्टेनलेस स्टील ट्यूब संयंत्र		12. 18

(0)	(1)	(2)
(ग) सीवनहीन ट्यूब संयंत्र (बाल बेयरिंग स्टील ट्यूब के लिए विस्तार)	19. 66	
(घ) जिरकोनियट संयंत्र	3. 30	
(ङ) आवास सुविधाएं और प्रशासनिक भवन	0. 83	
(च) इन्वार और कोवार संयंत्र	0. 30	
(छ) असंवर्धित इंधनों के उत्पादन के लिए विस्तार की सुविधा	1. 00	
(झ) एफ० बी० टी० आर० इंधन सुविधा	0. 41	
8.3 भारी जल संयंत्र	103. 27	
8.4 विद्युत् रियेक्टर इंधन निरूपण संयंत्र	1. 00	
8.5 परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा खनिज का विकास	0. 44	
8.6 सरकारी उद्यम		
(क) इंडियन रेलवे अर्थसे लि०	17. 20	
(ख) इलेक्ट्रोनिक कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	14. 96	
(ग) यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	2. 16	
9.0 इलेक्ट्रोनिक्स विभाग	46. 37	
9.1 अर्ध-संचाहक निगम	8. 00	
9.2 इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार और विकास निगम	1. 00	
9.3 संगणित अनुरक्षण निगम	1. 85	
9.4 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	5. 60	
9.5 एस० डी० और सी० टी० के लिए राष्ट्रीय केन्द्र	बंबई	1. 04
9.6 क्षेत्रीय संगणित केन्द्र	कलकत्ता	1. 30
9.7 क्षेत्रीय संगणित केन्द्र	कानपुर और बंगलौर	0. 25
9.8 सापटवेयर विकास परियोजना		0. 25
9.9 उपयुक्त स्वचलन संवर्धन कार्यक्रम		1. 10
9.10 विशेष नियंत्रण कम्पोनेट्स का बिकास और उत्पादन		0. 10
9.11 मानक आधारभूत संरचना विकास		1. 25
9.12 विशेष कम्पोनेट्स और सामग्री के लिए मार्गदर्शी संयंत्र		2. 00
9.13 विशेष ट्यूब उत्पादन परियोजना		0. 10
9.14 राज्य इलेक्ट्रोनिक्स संवर्धन कार्यक्रम		3. 00
9.15 मुख्यालय		0. 80
9.16 विज्ञान और प्रौद्योगिकी (टी डी सी+एन आर सी+डी पी सी)		18. 73
10.0 नौवहन और परिवहन मंत्रालय		146. 58
10.1 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	विशाखापट्टनम्	15. 31
(क) विकास कार्यक्रम-अवस्था 1 ए		10. 31
(ख) विकास कार्यक्रम-अवस्था 1 बी और 2		5. 00
10.2 कोचीन शिपयार्ड	कोचीन	99. 71
(क) मूल परियोजना		84. 71
(ख) अवस्था 1 विस्तार		15. 00
10.3 नए शिपयार्ड		5. 00
10.4 केन्द्रीय नौ और अभिकल्प अनुसंधान संगठन		2. 16
10.5 जहाज-निर्माण के लिए सहायता		24. 40

अनुलग्नक-30क (जारी)

	(०)	(१)	(२)
11.0	वाणिज्य मंत्रालय		143. 18
11.1	राष्ट्रीय वस्त्रोदय निगम		104. 47
	(क) कार्यकारी पूँजी		4. 43
	(ख) आधुनिकीकरण		84. 97
	(ग) श्रम यौक्तिकरण		10. 07
	(घ) विषयन		5. 00
11.2	मार्गदर्शी परीक्षण केन्द्र	बंबई	0. 50
11.3	इलेक्ट्रानिक्स नियंत्रित प्रक्रिया क्षेत्र	बंबई	3. 07
11.4	नौ उपायद नियंत्रित विकास प्राधिकरण		2. 76
11.5	पौधरोपण		30. 75
	(क) चाय		12. 33
	(ख) काफी		6. 68
	(ग) रबड़		9. 80
	(घ) इलायची		1. 94
11.6	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम		1. 63
12.0	नामांकित पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय		46. 13
12.1	नाप-तोल स्कीमें		1. 73
12.2	सहकारी उद्योगों का परिवर्तन		44. 40
	(१) ओडिशा एफ० एफ० सी० ओ०		
	(क) कांडला और कलोल	कांडला और कलोल	7. 20
	(ख) फूलपुर	फूलपुर	31. 20
	(ग) फास्फोरिक एसिड संयंत्र कांडला	कांडला	2. 00
	(२) महाराष्ट्र सहकारी उद्योग और रसायन, तारापुर	तारापुर	4. 00
13.0	वित्त मंत्रालय		131. 73
13.1	राजस्व और बैंकिंग विभाग		106. 82
	क. बैंकिंग स्कंध		105. 03
	ख. राजस्व स्कंध		1. 79
	(क) एल्कालाइड परियोजना, नीमच	नीमच	1. 19
	(ख) पोस्ट की झोड़ियों से एल्कालाइड निकालने की परियोजना		0. 60
13.2	आर्थिक कार्य विभाग		24. 91
	(क) बैंक नोट प्रेस	देवास	7. 61
	(१) जारी और विस्तार स्कीमें		7. 21
	(२) आवास स्कीम चरण २		0. 40
	(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	नासिक	6. 54
	(१) स्टांप प्रेस का विस्तार और आधुनिकीकरण		2. 08
	(२) करेंसी नोट प्रेस का विस्तार और आधुनिकीकरण		3. 50
	(३) आवास कार्यक्रम		0. 96
	(ग) सेक्युरिटी पेपर मिल	होमंगाबाद	10. 34
	(१) मिल का आधुनिकीकरण		10. 00
	(२) मौल्ड कवर संयंत्र और अन्य स्कीमें		0. 34
	(घ) बंबई टक्साल आवास स्कीम	बंबई	0. 32
	(ङ) हैदराबाद टक्साल विस्तार	हैदराबाद	0. 10

1978-79 के लिये चुने हुए उद्योगों के लिये क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य

उद्योग	इकाई	1973-74		1978-79	
		वास्तविक उत्पादन	अनुमानित उत्पादन	क्षमता का लक्ष्य	उत्पादन का लक्ष्य
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. खनन					
(1) कोयला	दस लाख टन	79.00	99.80	—	124.00
(2) लिनाइट	"	3.30	3.02	—	4.50
(3) कच्चा तेल	"	7.20	8.44	14.18	14.18
(4) लौह अयस्क	"	35.70	40.96	—	56.00
2. आधारभूत धातुएं					
(1) विक्री के लिए					
कच्चा लोहा	"	1.59	1.63	2.26	2.50
(2) इस्पात पिंड	"	6.32	7.65	16.40	11.32
(3) तंयार इस्पात	"	4.89	5.49	13.02	8.80
(4) मिश्र और विशेष					
इस्पात	000 टन	339.00	400.00	750.00	570.00
(5) अल्यूमीनियम	"	147.90	187.00	325.00	310.00
(6) तांबा	"	12.70	23.90	57.00	37.00
(7) जस्ता	"	20.80	27.80	95.00	80.00
(8) सोसा	"	2.70	5.10	18.00	16.00
3. धातु उत्पाद					
(1) इस्पात कार्स्टिग्स	"	67.00	62.5	200.00	100.00
(2) इस्पात फोर्जिंग्स	"	97.30	100.0	250.00	130.00
4. आधारिक खनिज उत्पाद					
(1) सीमेट	दस लाख टन	14.67	17.20	23.50	20.80
(2) रिफ्रेक्ट्रीज	हजार टन	710.00	729.00	1745.00	1020.00
5. पैद्रोलियम उत्पादन					
(स्नेहक सहित)	दस लाख टन	19.70	20.70	31.50	27.00
6. आधारभूत रसायन					
(1) सल्फ्यूरिक एसिड	000 टन	1343.00	1416.00	3804.00	2700.00
(2) कार्स्टिक सोडा	"	419.00	470.00	755.40	610.00
(3) सोडा ऐश	"	480.00	555.00	999.00	710.00
(4) मेथानाल	"	23.00	27.00	84.50	50.00
(5) औद्योगिक आक्सीजन एम०सी०एम०		60.70	64.30	130.00	100.00
7. कृषि रसायन					
(1) उर्वरक (एन)	000 टन	1058.00	1535.00	4728.00	2900.00
(2) उर्वरक (पी०२ औ००५)	"	319.00	302.00	1311.00	770.00

अनुलग्नक-31(जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) रोगाणुनाशक (तकनीकी सामग्री)	000 टन	29.00	36.00	70.00	60.00
(4) बी०एच०सी०	"	21.00	24.30	28.90	28.00
(5) डी०डी०टी०	"	3.90	4.40	4.20	4.40
8. तापीय प्लास्टिक और कृतिम रबड़					
(1) एल०डी० पोलिथिलीन	"	28.20	27.20	113.00	60.00
(2) एच० डी० पोलिथिलीन	"	22.90	19.50	30.00	27.00
(3) पी०वी०सी०	"	46.40	41.80	71.10	55.00
(4) पोलिस्टरीन	"	14.40	9.20	17.50	13.00
(5) पोली प्रोपिलीन	"	—	—	30.00	15.00
(6) कृतिम रबड़	"	23.30	24.10	50.00	40.00
9. कृतिम तंतु और माध्यस्थ					
(1) डी० एम० टी०	"	4.20	19.60	24.00	24.00
(2) कैप्रोलेवटम	"	—	13.00	20.00	20.00
(3) विस्कोस फिलमेंट सूत	"	37.00	28.50	42.70	40.00
(4) विस्कोस रेशा तंतु	"	62.00	66.70	132.50	100.00
(5) विस्कोस टायर धारे	"	16.90	19.70	21.00	20.00
(6) नाइलन फिलमेंट सूत	"	11.30	14.20	19.20	17.00
(7) नाइलन टायर धारे और अन्य औद्यो- गिक सूत	"	2.20	4.30	9.99	6.00
(8) पोलिएस्टर फिला- मेंट सूत और रेशा तंतु	"	15.10	19.30	30.10	24.00
(9) ऐक्जिलिक तंतु	"	—	—	12.00	6.00
10. औषधियां और भेषज					
(1) प्रतिजीवाणु पेनि- सिलीन	एम०एम०य०	247.50	251.80	575.00	520.00
(2) स्ट्रैप्टोमाइसिन	टन	179.85	191.10	490.00	400.00
(3) मधुमेह रोधक औष- धियां (इसुलीन)	एम० एम० य०	898.00	812.00	1500.00	1200.00
(4) पेचिश रोधक औष- धियां	टन	72.80	123.70	539.40	450.00
(5) कुछ रोधक औष- धियां	टन	8.70	14.70	25.60	22.00
(6) मलेरिया रोधक औषधियां	टन	22.86	60.00	303.00	200.00

अनुलग्नक-31(जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(7) ज्वर रोधक और टन		977.10	1587.00	3055.00	2000.00
पीड़ा हारक औषध- विधां					
(8) तपेदिक रोधक टन		594.00	646.00	1702.00	1050.00
श्रौतविधां					
(9) सलफां श्रौषविधां टन		1297.00	1055.00	2730.00	1750.00
(10) बीटामीन-ए एम०एम०य०		48.30	30.00	60.00	54.00
(11) अन्य बीटामीन टन		—	370.00	665.00	500.00
11. खाद्य सामग्री					
(1) चीनी दस लाख टन		3.95	4.30	5.40	5.40
(2) बनस्पति 000 टन		449.00	489.00	1350.00	610.00
12. सूती वस्त्रोद्योग					
(1) सूती धाग दस लाख किग्रा०		1000.00	1005.00	—	1150.00
(2) सूती कपड़ा (मिल दस लाख मी० क्षेत्र)		4083.00	4026.00	—	4800.00
(3) सूती कपड़ा „ 3863.00		4100.00	—	4700.00	
(विकेन्द्रित क्षेत्र)					
(4) कृत्रिम रेशम के कपड़े „ 840.00		900.00	—	1435.00	
(5) जूट उत्पादन 000 टन		1074.00	1302.00	1350.00	1280.00
13. कागज और कागज से बना सामान					
(1) कागज और गत्ता 000 टन		776.00	829.00	1300.00	1050.00
(2) अखबारी कागज „ 48.70		53.00	155.00	80.00	
14. चमड़े और रबड़ का सामान					
(1) चमड़े के जूते दस लाख जोड़े		14.60	15.30	24.60	18.00
(2) रबड़ के जूते „ 38.80		39.40	57.00	50.00	
(3) साइकिल टायर दस लाख-सं०		24.03	24.25	34.00	30.00
(4) आटोमोबाइल टायर „ 4.66		4.73	9.90	8.00	
15. अन्य उपशोक्ता सामान					
(1) साबुन 000 टन		234.00	265.00	273.00	320.00
(2) कृत्रिम डिटर्जेंट „ 72.00		75.00	235.00	125.00	
16. श्रौद्योगिक मशीनें					
(1) मशीन श्रौजार दस लाख र०		673.00	1080.00	1700.00	1300.00
(2) खनन की मशीनें „ (कोयले की मशीनों सहित)		62.30	85.00	300.00	200.00
(3) धातुकर्म की मशीन „ 260.00		320.00	600.00	380.00	

अनुलंगनक-31 (जारी)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) सीमेंट की मशीनें	दस लाख रुपये	81.00	60.00	260.00	150.00
(5) रसायन और भेषज की मशीनें	"	313.00	485.00	850.00	650.00
(6) चीनी की मशीन	"	223.00	330.00	450.00	400.00
(7) रबड़ की मशीनें	"	14.50	73.00	125.00	100.00
(8) कागज और लुगदी की मशीनें	"	51.70	187.50	400.00	280.00
(9) छपाइ और मशीनें	"	9.30	36.00	126.00	60.00
(10) सूती वस्त्रोदयोग की मशीनें	"	458.00	1000.00	2130.00	1300.00
(11) बायलर (विद्युत् और आधोगिक)	"	825.10	1400.00	—	1750.00
17. बिजली विद्युत् उपस्कर					
(1) वाष्प टर्बाइन	दस लाख कि० वा०	1.40	2.50	—	2.50
(2) पन-बिजली टर्बाइन	"	0.70	1.2	—	1.40
(3) ड्रांसफार्मर	"	12.42	13.34	31.00	20.00
(4) मोटर	दस लाख अशवशित	3.24	3.5	6.7	4.50
18. निर्माण-कार्य की मशीनें					
(1) क्रालर ट्रैक्टर	संख्या	278.00	391	600	450
(2) डम्पर और स्ट्रेपर	"	215	310	788	450
(3) रोड रोलर	"	1566	750	1900	1200
19. छापि की मशीनें					
(1) ट्रैक्टर	000 संख्या	24.2	33.3	70	55
20. रेल और जल परिवहन					
(1) डीजल लोकोमोटि- व्ज	संख्या	145	80	160	160
(2) इलैक्ट्रिक लोको- मोटिव्ज	"	50	54	80	70
(3) सवारी के डिब्बे	"	1308	1000	1500	1200
(4) माल के डिब्बे	000 भंड्या	12.2	10	26.8	15
(5) जहाज-निर्माण	000 जी०आर० टी०	30.00	33	180.2	130.2
21. सड़क परिवहन					
(1) वाणिज्यिक वाहन	000 संख्या	42.90	43.8	64	60
(2) यात्री मोटर कारें	"	44.20	22.45	47.4	32
(3) जीपें	"	12.40	7.10	13.00	10.00
(4) स्कूटर, मोटर साइ- किल और मोपेड	"	150.70	217	600	320
(5) साइकिल	"	2575	2250	4019	3000

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22. मशीनों के संघटक और आम					
उपभोग का टिकाऊ सामान					
(1) बाल और रोलर बेयरिंग	दस लाख संख्या	24. 4	24	40	34
(2) टाइपराइटर	000 संख्या	33.70	49. 4	74.4	60
(3) सिलाई की मशीनें	"	257	270	533. 5	415
23. बिजली के संघटक और					
आम उपभोग का टिकाऊ					
सामान					
(1) कंडक्टर (ए० सी० एस० आर० और टोनीज ए० ए०)	000 संख्या	46.40	59.10	113.12	90.00
(2) तार (पी० वी० सी० और वी० आई०					
आर०)	दस लाख मीटर	551.00	383.00	1281.00	550.00
(3) ड्राई बैटरी	दस लाख संख्या	654.00	516.00	1291.00	800.00
(4) स्टोरेज बैटरी	"	1.29	1.41	2.20	1.50
(5) जी० एल० एस०					
लैम्पस	"	120.60	138.10	200.00	180.00
(6) फ्लूरोसेंट टयूल्स	000 संख्या	12.70	17.20	22.00	20.00
(7) बिजली के पंखे	000 संख्या	2118.00	2209.00	3200.00	2500.00
24. इलेक्ट्रोनिक्स					
(1) आम उपभोग के					
इलेक्ट्रोनिक दस लाख रु०		615.00	930	—	1990.00
(2) चिकित्सा में उपयोग					
के इलेक्ट्रोनिक्स	"	40.00	65	—	140.00
(3) उपकरण	"	118.00	195	—	460.00
(4) संगणित और गणक	"	95.00	190	—	510.00
(5) नियंत्रण और					
ओप्टोगिक इलेक्ट्रो					
निक्स	"	70.00	170	—	300.00
(6) संघटक	"	550.00	760	—	1300.00
(7) सामग्री	"	65.00	120	—	315.00
(8) टेलीसीटरी और					
दुतरका संचार	"	64.00	72	—	138.00

अनुलग्नक-32
(अध्याय 5.5, पैरा 5.95)

वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

	पांचवीं योजना का रूप	1974-75 (वास्तविक)	1975-76 (संभावित)	1976-77 (प्रत्याशित)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
उत्पादन				
1. हथकरघे और बिजली चालित करघे का सूती कपड़ा (दस लाख मीटर)	4,800	3,800	4,100	4,200
2. खादी (मात्रा-दस लाख मीटर) —मूल्य (करोड़ रु०)	— —	59.72 43.28	61.20 52.50	63.00 53.85
3. कच्चा रेशम (दस लाख कि० ग्रा०)	4.6	3.00	3.2	3.8
4. ग्रामोद्योग ¹ — मूल्य (करोड़ रुपए)	—	136.31	155.46	176.11
निर्यात				
5. हथकरघे का सूती कपड़ा और अन्य सामान (करोड़ रुपए)	2	92.0	97.0	107.00
6. रेशमी कपड़े और सम्बद्ध सामान (करोड़ रुपए)	21.0	12.7	17.5	18.5
7. नारियल जटा उत्पाद— मात्रा (000 टन) मूल्य (करोड़ रुपए)	— 19.0	42.0 17.9	36.00 19.0	40.0 20.0
8. हस्तशिल्प (करोड़ रु०)	220.00 ³	190.4	192.0	205.0

1. ये आंकड़े उन केन्द्रों के संबंध में हैं जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता दी जाती है।
2. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्तर्गत हथकरघा कट पीस सामान के संबंध में पांच वर्ष की अवधि (1974-79) के लिए निर्यात संकेत की राशि 155 करोड़ रुपए परिकल्पित की गई थी।
3. यद्यपि हथकरघे के लिए निर्यात संकेत में पांचवीं योजना में 1978-79 में 220 करोड़ रुपए का ऋण रखा गया है, यह प्रयत्न रहा है कि उसे और बढ़ा कर 250 करोड़ रुपए कर दिया जाए।

संशोधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिए
व्यय और परिव्यय

उद्योग	1974-77 (प्रत्याशित व्यय)			1977-79 (प्रस्तावित)			1974-79 केन्द्र (संशोधित पांचवीं योजना)		
	केन्द्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोड़	केन्द्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोड़	(राज्य/संघ शासित क्षेत्र)		
							(0)	(1)	(2)
1. लघु उद्योग	22.31	44.91	67.22	48.49	62.89	111.38	70.80	107.80	178.60
2. श्रीद्वयिक बस्तियां	—	11.03	11.03		10.03	10.03	—	21.06	21.06
3. खादी और ग्रामोद्योग	70.76	4.67	75.43	62.80	4.75	67.55	133.56	9.42	142.98
4. हथकरघा उद्योग	7.30	29.75	37.05	30.00	32.87	62.87	37.30	62.62	99.92
5. विज्ञानी- चालित करघे	0.14	1.43	1.57	0.02	1.66	1.68	0.16	3.09	3.25
6. रेशम उद्योग	3.21	9.24	12.45	4.75	12.48	17.23	7.96	21.72	29.68
7. नारियल जटा उद्योग	0.93	2.08	3.01	2.00	2.65	4.65	2.93	4.73	7.66
8. हस्त शिल्प	3.73	5.01	8.74	15.00	6.06	21.06	18.73	11.07	29.80
9. ग्रामोद्योग परि- योजनाएँ ¹	12.13	—	12.13	9.00	—	9.00	21.13	—	21.13
10. आंकड़ों का एकली- करण ¹	0.15	—	0.15	0.80	—	0.80	0.95	—	0.95
11. जोड़	120.66	108.12	228.78	172.86	133.39	306.25	293.52	241.51	535.03

1. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें।

अनुलग्नक-34
(अध्याय 5.6, पैरा 5.97)

संशोधित पांचवीं योजना-परिव्यय, पर्यटन और संचार
केन्द्रीय क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

मद	पांचवीं योजना का प्रारूप	1974-77 (प्रत्याशित व्यय)	1977-79 (प्रस्तावित परिव्यय)	संशोधित पांचवीं योजना
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. रेले	2550.00	1149.00	1053.00	2202.00
2. सड़क	714.00	217.84	227.60	445.44
3. सड़क परिवहन	26.00	49.97	8.20	58.17
4. पत्तन ²	330.00	358.75	184.83	543.58
5. नौवहन	258.00	233.11	216.89	450.00
6. अन्तर्राजीय जल परिवहन	40.00	10.19	14.73	24.92
7. प्रकाशस्तंभ	12.00	7.53	6.13	13.66
8. फरक्का बैराज	22.00	16.55	15.00	31.55
9. नागर विमान परिवहन	391.00	155.87	178.98	334.85
10. पर्यटन	78.00	22.06	18.68	40.74
11. संचार	1176.00	572.28	694.33	1266.61
12. प्रसारण	120.00	48.37	46.01	94.38
13. जोड़	5717.00 ¹	2841.52	2664.38	5505.90

1. योजना के प्रारूप में 5727 करोड़ रुपए का प्रावधान दिखाया गया है।

2. गोदी मजदूर आवास स्कीम के लिए प्रावधान आवास और शहरी विकास के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

रेलों के लिए पांचवीं योजना परिव्यय

कार्यक्रम (0)	व्यय 1974-75 (1)	परिव्यय 1977-79 (2)	(करोड़ रुपए)	
			जोड़ 1974-79 (3)	
1. रेल के डिब्बे	556.8	500.0	1056.8	
2. वर्कशाप/शेड	35.9	42.0	77.9	
3. मशीनें और संयंत्र	23.7	18.0	41.7	
4. पथ नवीकरण	104.1	105.0	209.1	
5. पुल का निर्माण-कार्य	23.3	24.0	47.3	
6. लाइन क्षमता निर्माण-कार्य	169.9	146.0	315.9	
7. सिग्नल व्यवस्था और सुरक्षा कार्य	39.2	32.0	71.2	
8. विद्युतीकरण	59.1	42.0	101.1	
9. विजली के अन्य निर्माण-कार्य	13.0	10.0	23.0	
10. नई लाइनें	55.2	42.0	97.2	
11. कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	15.2			
12. कर्मचारी कल्याण	8.6	31.0	67.2	
13. उपयोगकर्ताओं की सुविधाएं	7.0			
14. अन्य निर्दिष्ट निर्माण-कार्य	5.4			
15. सड़क परिवहन सेवाओं में निवेश	22.7	26.0	48.7	
16. इन्वेटरीज	(-) 15.3	10.0	(-) 5.3	
17. जोड़	1123.8	1028.0	2151.8	
18. महानगर रेल परिवहन	25.2	25.0	50.2	
19. कुल जोड़	1149.0	1053.0	2202.0	

अनुलग्नक-36
(अध्याय 5.6, पैरा 5.115)

पांचवीं योजना—नौवहन-टन भार के लक्ष्य

(कुल पंजीकृत टन भार दस लाख में)

श्रेणी	पांचवीं विचाराधीन योजना के संशोधित प्रारूप का लक्ष्य	विचाराधीन 1-4-76 को टन भार	1-4-76 तक प्राप्त (3+4) आड़ेर	जोड़ 1978-79 तक हटा दिया जाने वाला टन	पांचवीं योजना के अत में प्रवर्ती भार (5-6)	संशोधित योजना के लक्ष्य को अत में करने के लिए प्राप्त टन भार (2-7)		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. तटीय जहाज	0.60	0.60	0.42	—	0.42	0.08	0.34	0.26
2. लाइनर	2.06	1.50	1.27	0.07	1.34	0.17	1.17	0.33
3. बल्क कैरियर	3.56	2.90	1.57	0.65	2.22	—	2.22	0.68
4. टैकर	1.37	1.04	1.01	0.05	1.06	0.02	1.04	—
5. ट्रैम्पस	1.05	0.46	0.45	0.10	0.55	0.09	0.46	—
6. जोड़	8.64	6.50	4.72	0.87	5.59	0.36	5.23	1.27

अनुलग्नक-37

(अध्याय 5.8, पैरा 5.158)

पांचवीं योजना में परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम के लिए योजना परिव्यय का सारांश

(करोड़ रुपए)

कार्यक्रम (0)	पांचवीं योजना का प्रारूप (1)	1974-77 का प्रत्याशित व्यय (2)	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय (3)	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय (4)
1. सेवाएं और पूर्ति	422.53	197.74	221.67	419.41
2. प्रशिक्षण	13.54	6.17	5.90	12.07
3. जन शिक्षा	22.00	6.45	6.68	13.13
4. अनुसंधान और मूल्यांकन	14.33	3.45	5.58	9.03
5. विश्व बैंक परियोजना	19.50	15.68	9.06	24.74
6. प्रसूतिका और बाल स्वास्थ्य	15.00	2.73	5.84	8.57
7. संगठन	9.10	5.43	3.98	9.41
8. जोड़	516.00	237.65	259.71	497.361

¹इसमें परिवार नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली नई स्कीमों के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

अनुलग्नक-38
(अध्याय 5.8, पैरा 5.162)

पोषाहार कार्यक्रम

(करोड़ रु०)

स्कीम	क्षेत्र	पांचवीं पंच- वर्षीय योजना का प्रारूप	1974-77 के लिए प्रस्तावित प्रत्याशित व्यय	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	राज्य संघ- शासित क्षेत्र	330.00	44.24	43.94	88.18
2. केन्द्रीय खाद्य विभाग की आहार और पोषाहार की सहायक स्कीमों	केन्द्र	50.00	6.53	7.97	14.50
3. केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग की स्कीमों व्यावहा- रिक पोषाहार कार्यक्रम	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	20.00	4.48	8.51	12.99
4. जोड़		400.00	55.25	60.42	115.67

शहरी विकास के लिए संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय

(करोड़ रुपए)

स्तरीय	पांचवीं योजना का प्रारूप	1974-77 के लिए प्रत्याशित व्यय	1977-79 के लिए परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परि- व्यय
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
राज्य क्षेत्र	474.60	183.20	167.45	350.75
1. राज्य योजनाएं	272.35	93.70	89.10	182.80
2. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	26.60	10.93	13.00	23.93
3. कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र और राज्य राज- धानी परियोजनाओं का समेकित विकास	175.65	78.57	65.35	143.92
केन्द्रीय क्षेत्र	252.00	66.13	88.68	154.81
1. महानगरीय नगरों और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों का समेकित शहरी विकास	230.00	64.51	85.00	149.51
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास	20.00	1.59	3.50	5.09
3. स्थानीय स्वशासी संगठनों और शहरी विकास से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास और शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजन के अध्य- यन के लिए वित्तीय सहायता	2.00	0.03	0.18	0.21
जोड़—	726.60	249.33	256.13	505.46

अनुलग्नक-40
(अध्याय 5.9, पैरा 5.166)

पुलिस के लिए आवास सहित आवास के लिए संशोधित
पांचवीं योजना का परिव्यय

(करोड़ ₹०)

स्कीम (०)	पांचवीं योजना का प्रारूप (१)	1974-77 के लिए प्रत्याशित व्यय (२)	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय (३)	संशोधित पांचवीं योजना का परि- व्यय (४)
राज्य क्षेत्र	379.57	260.09	245.47	505.56
1. राज्य योजनाएं	338.39	243.71	220.95	464.66
2. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं	41.18	16.38	24.52	40.90
केन्द्रीय क्षेत्र	237.16	40.09	55.27	95.36
1. कार्यालय और आवास के लिए जनरल पूल				
आवास	100.00	21.12	30.00	51.12
2. आवास और शहरी विकास निगम	90.00	5.00	9.00	14.00
3. बागवानी के मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त				
शौचालयिक आवास	5.00	2.40	2.60	5.00
4. राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्कीमें	4.00	0.83	0.85	1.68
5. राष्ट्रीय भवन सामग्री विकास निगम	35.00	0.05	0.10	0.15
6. हिन्दुस्तान आवास फैब्री	2.00	0.05	0.10	0.15
7. गोदी मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त				
शौचालयिक आवास स्कीम	1.16	0.14	0.12	0.26
8. उप-जोड़ (1-7)	237.16	29.59	42.77	72.36
9. पुलिस के लिए आवास	—	10.50	12.50	23.00
10. जोड़	616.73	300.18	300.74	600.92

अनुलग्नक-41
(अध्याय 5. 9, पैरा 5. 170)

जलपूर्ति और स्वच्छता के लिए संशोधित पांचवीं योजना का परिव्यय

(करोड़ ₹०)

स्कीम	पांचवीं योजना का प्रारूप	1974-77 के लिए प्रत्याशित व्यय	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परि- व्यय
(०)	(१)	(२)	(३)	(४)
राज्य और संघ शासित क्षेत्र	1004.00	458.64	461.77	920.41
न्यू० आ० का० के अलावा	431.00	287.24	303.90	591.14
न्यू० आ० का०	573.00	171.40	157.87	329.27
केन्द्रीय क्षेत्र	16.60	2.68	7.59	10.27
जोड़	1020.60	461.32	469.36	930.68

ग्रन्तुलग्नक-42
(अध्याय 5.11, पैरा 5.181)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना—परिव्यय और व्यय—पिछड़ी जातियों का विकास

(करोड़ रुपए)

शीर्ष	पांचवीं योजना के प्रारूप का परि- व्यय	1974-77 के लिए प्रत्याशित व्यय	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परि- व्यय
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	85.00	52.19	66.69	118.88
1. जनजातीय विकास	10.00	7.29	—	7.29
2. मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियाँ	53.00	38.09	61.91	100.00
3. लड़कियों के छात्रावास	4.00	2.04	1.73	3.77
4. शिक्षक और संबद्ध स्त्रीमें	3.00	0.82	0.76	1.58
5. महकारिता	3.00	1.34	0.10	1.44
6. अनुसंधान और प्रशिक्षण	3.00	0.86	0.46	1.32
7. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	4.00	1.58	1.39	2.97
8. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को लागू करने के लिए तंत्र और व्यवस्था	5.00	0.17	0.34	0.51
9. राज्य और संघ शासित क्षेत्र	173.14	112.63	95.47	208.10
कुल जोड़	258.14	164.82	162.16	326.98

पांचवीं पंचवर्षीय योजना—परिव्यय और व्यय—समाज कल्याण

(करोड़ रुपए)

कार्यक्रम	पांचवीं योजना के प्रारूप का परिव्यय	1974-77 के लिए प्रत्याशित व्यय	1977-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	संशोधित पांचवीं योजना का परि- व्यय
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय स्कीमें				
1. परिवार और बाल कल्याण परियोजनाएं	3.20	2.08	0.32	2.40
2. महिला कल्याण	21.00	5.25	9.40	14.65
3. विकलांगों का कल्याण	9.00	3.82	3.51	7.33
4. आयोजन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन	8.10	2.02	2.13	4.15
5. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा अपने क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ाना	8.00	4.83	4.49	9.32
6. अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	3.50	0.78	1.04	1.82
7. मद्य-निषेध के लिए शिक्षाकार्य	0.20	0.10	0.10	0.20
केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें				
1. बाल-कल्याण	145.00	13.45	8.64	22.09
2. महिला कल्याण	—	—	1.00	1.00
3. विकलांगों का कल्याण	2.00	0.39	0.18	0.57
केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का जोड़	200.00	32.72	30.81	63.53
राज्य और संघशासित क्षेत्र	29.72	10.01	12.59	22.60
कुल जोड़	229.72	42.73	43.40	86.13

अनुलग्नक-44
(अध्याय 5.11, पैरा 5.185)

संशोधित पंचवर्षीय योजना—पुनर्वास

(करोड रुपए)

स्कीमें	1974-77 के लिए 1977-79 के लिए पांचवीं योजना का प्रत्याशित व्यय प्रस्तावित परिव्यय परिव्यय (1974-79)		
	(0)	(1)	(2)
पुनर्वास			
1. पश्चिम बंगाल में प्रवासियों का पुनः स्थापन	3.30	2.80	6.10
2. पश्चिम बंगाल के बाहर पुनः स्थापन			
(क) दण्डकारण्य और अंडमान के अलावा अन्य क्षेत्र			
(1) कृषक परिवार	4.27	2.25	6.52
(2) कृषकेतर परिवार	2.24	2.75	4.99
(ख) दण्डकारण्य	13.54	12.00	25.54
(ग) अंडमान व निकोबार द्वीप	2.18	1.60	3.78
3. श्रीलंका से आये प्रवासी	14.17	14.00	28.17
4. बर्मा से आये प्रवासी	2.25	2.00	4.25
5. छम्ब से आये शरणार्थी	4.41	6.59	11.00
6. उगांडा और जैरे से आये प्रवासी			
7. पुनर्वास उद्योग नियम	0.86	0.60	1.46
8. पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए अवशिष्ट स्कीम			
9. भूतपूर्व पाकिस्तान में भारतीय क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों का पुनर्वास	0.40	0.40	0.80
10. पश्चिम बंगाल में पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याएं			
(क) एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल०	—	6.00	6.00
(ख) विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का निकास	—	2.68	2.68
(ग) नए आप्रवासियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	—	1.52	1.52
11. जोड़	47.62	55.19	102.81

1. पहली प्रावस्था के लिए

अनुलग्नक-45

(अध्याय 5, पैरा 5. 201)

पांचवीं योजना—विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्यय

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	पांचवीं योजना का प्रारूप	1974—77	1977—79	पांचवीं योजना का जोड़
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. परमाणु उर्जा (विकास और अनुसन्धान)	111.13	83.12	34.01	167.13
2. अंतरिक्ष	90.00	66.18	62.09	128.27
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी—वैज्ञानिक और शैक्षणिक अनुसन्धान परिषद् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	104.50	37.66	44.11	81.77
4. पूर्ति-राष्ट्रीय परीक्षण शाला उप-जोड़ (1—4)	109.98	23.02	35.94	58.96
5. उद्योग और नागरिक पूर्ति भारी उद्योग औद्योगिक विकास	2.50	0.61	1.49	2.10
6. बाणिज्य	418.11	210.59	227.64	438.23
7. इस्पात और खान—इस्पात खान जी० एस० आई० और आई० बी० एम०	70.00	6.61	22.15	28.76
8. श्रम (कोयला खान सुरक्षा)	25.00	3.97	6.35	10.32
9. ऊर्जा-विद्युत —कोयला	5.00	0.56	1.07	1.63
10. इलेक्ट्रोनिक्स	20.00	2.12	4.50	6.62
11. नौवहन और परिवहन-नौवहन परिवहन	18.33	1.48	5.00	6.48
12. संचार	39.85	18.53	22.85	41.38
13. पर्यटन और नागर विमान—नागर विमानन —भारत भौसम विज्ञान और संस्थान	32.28	10.87	11.52	22.39
14. सूचना और प्रसारण	0.80	0.18	0.20	0.38
15. पैट्रोलियम और रसायन—पैट्रोलियम —रसायन	30.00	9.05	10.53	19.58
16. निर्माण और आवास	0.50	0.27	0.50	0.77
	16.00	7.35	4.73	12.08
	15.00	1.13	1.22	2.35
	23.75	0.03	0.50	0.53

अनुलग्नक-45 (जारी)

(०)	(१)	(२)	(३)	(४)
17. सिंचाई	38.00	2.49	5.99	8.48
18. कृषि—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्— (शिक्षा को छोड़कर) बन अनुसंधान —अन्य	110.16 14.84 —	46.55 1.21 1.40	55.93 2.50 1.80	102.48 3.71 3.20
19. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-जोड़ (5 से 19 तक)	36.00 560.33	9.92 134.17	11.40 195.24	21.32 329.41
20. कुल जोड़	978.44	344.76	422.88	767.64

निम्नलिखित मंत्रालयों के अन्तर्गत आई० एन० एस० ए० टी० के लिए 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है:—संचार-20 करोड़ रुपए ; सूचना और प्रसारण-5 करोड़ रुपए ; पर्यटन और नामगर विभानन-5 करोड़ रुपए।